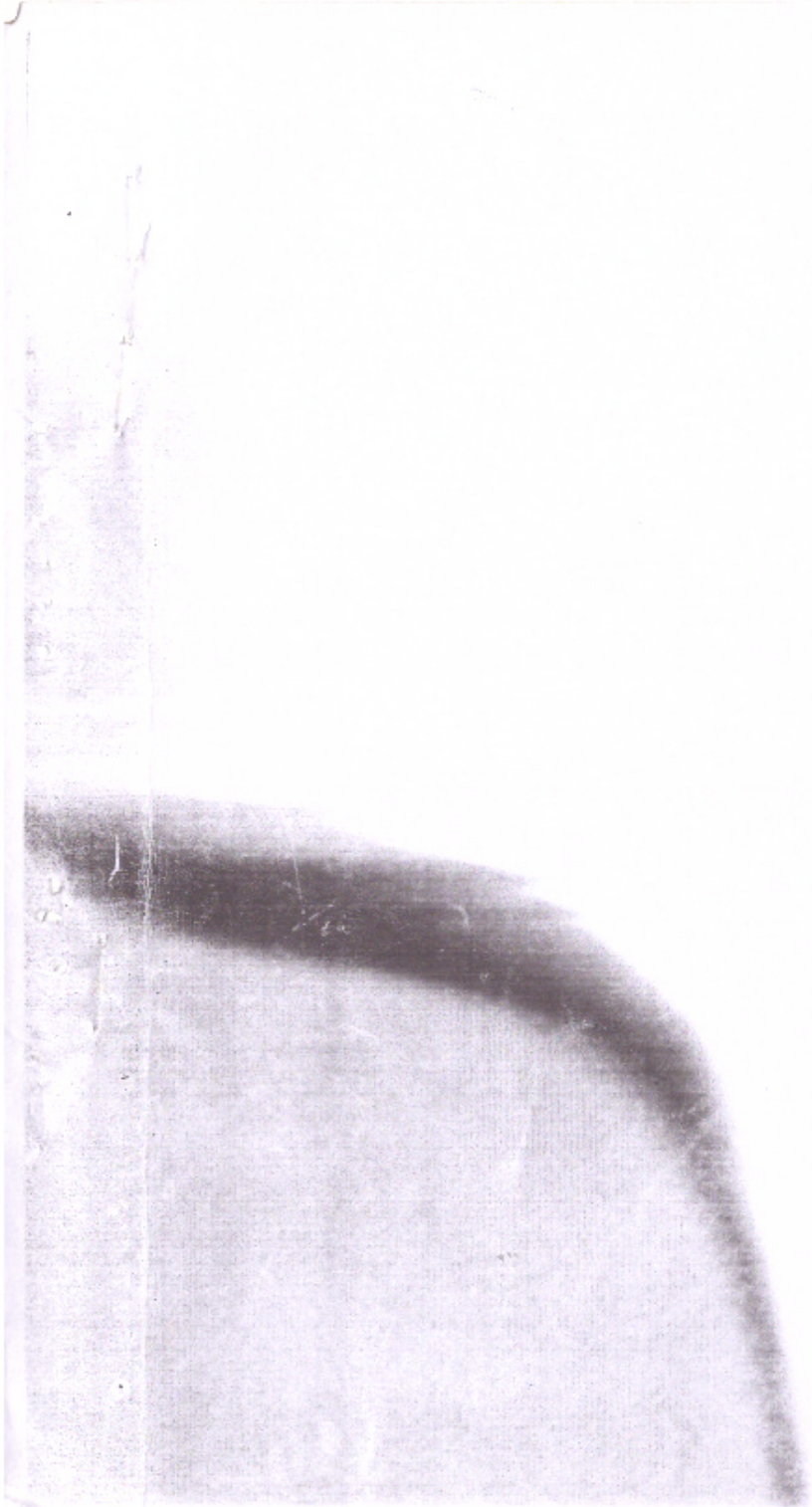

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

SAMPURNANAND SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, VARANASI

निर्दर्शिका

CALENDER

[भाग- २]

परिनियमावली

२६ दिसम्बर, १९७८ से प्रवृत्त

राजाज्ञा-संख्या-५९८७/१५-१०-७८-५(३)-७६,
दिनाङ्क २० दिसम्बर, १९७८

२ अक्टूबर, २००५

मूल्य : ६०.००

प्रकाशक —
डॉ. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी
निदेशक, प्रकाशन-संस्थान
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी-२२१००२

❐

प्राप्ति-स्थान—
विक्रय-विभाग,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी-२२१००२

❐

संशोधित संस्करण - २००० प्रतियाँ
मूल्य - ६०.०० रूपये

❐

मुद्रक —
श्रीजी प्रिण्टर्स
नाटी इमली, वाराणसी-२२१००१

कुलगीतम्

समुद्यत्सहस्रांशुमाणिक्यपुञ्जप्रभाभासुरं ज्योतिरन्तःश्रुतीनाम्।
दधानो जगन्मण्डले जागरूकः सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।१।।

क्वणत्कच्छपीमञ्जुनादैरमुष्मिन् मुहुर्व्यञ्जयन्ती रहस्यानि वाचाम्।
चिराद् भारती भारतीयान् पुनीते सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।२।।

कृपापाङ्गपूतः शशाङ्कार्धमौलेः प्रसिद्धिं गतः प्राक्तनैः पण्डितेन्द्रैः।
यशोमौक्तिकैर्मण्डयन् दिग्वधूटीः सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।३।।

अशेषासु विद्यासु लब्धाधिकारा धियं यत्र शिष्याः समुद्योतयन्ति।
कवीन्द्रैरुपास्यः कलामञ्जुलास्यः सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।४।।

नवज्ञानविज्ञानविद्याप्रयोगैः समुद्योतयन्नूतनोन्मेषदेशान्।
विशेषानशेषासु भाषासु चिन्वन् सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।५।।

समुज्जीवयन् बोधिसत्त्वावदानप्रदानैर्दिगन्तान् महावीरवाग्भिः।
किरन् शाङ्करीं वाङ्करीं चित्तभूमौ सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।६।।

जगद्वन्द्यविद्वत्प्रणीतानवद्यान् प्रबन्धान् सरस्वत्यलङ्कारहारान्।
हृदब्जे वहन् भारतज्ञानदीपः सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।७।।

इहोदारशास्त्रार्थसम्पूर्णताश्रीरिह स्यन्दते सूक्तिधारा कवीनाम्।
इहैव स्थिता भावना भारतीया सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।८।।

प्रस्तावना

अद्यावधिक संशोधनों सहित **'निदर्शिका'** (CALENDER) भाग-१ प्रकाशित करते समय मैंने गत माह इसी स्तम्भ में आश्वासन दिया था कि उत्तर-प्रदेश-राज्य-विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ से सम्बन्धित **'परिनियम'** भी अक्टूबर, २००५ के अन्त तक आपके कर-कमलों में होगा। मैं आनन्दित हूँ कि विश्वविद्यालयीय प्रकाशन-संस्थान के अथक परिश्रम एवं आत्मीय सहयोग के फलस्वरूप मैं अपने द्वारा दिये गये वचन को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल रहा।

किसी गाड़ी या मशीन एवं उसके कल-पुर्जों को चालू स्थिति में बनाये रखने के लिए जिस प्रकार मोबिल आयल की भूमिका होती है, उसी प्रकार किसी 'अधिनियम' का व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए 'परिनियम' भी उतना ही आवश्यक है, जितना कि मूल 'अधिनियम'। 'परिनियम' के बिना 'अधिनियम' की वही स्थिति है, जो आत्मा के बिना प्राणि-जगत् की होती है। 'परिनियम' के बिना 'अधिनियम' को व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया जा सकता और वैसी स्थिति में नीतिशास्त्र एवं विधि और निषेध के मूल मन्त्र पर आधारित कार्य भी बाधित होने स्वाभाविक है; क्योंकि 'अधिनियम' का सम्यक् बोध 'परिनियम' से ही सम्भव है। नीतिशास्त्र के सम्यक् अध्ययन से ही सर्वज्ञता प्राप्त हो सकती है, जैसा कि चाणक्य ने कहा है—

तदहं सम्प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया।
यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते।।

विगत लगभग १५ वर्षों से यह 'परिनियम' विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मुद्रित/प्रकाशित नहीं किया जा सका था, जबकि इस अवधि में अनेकानेक नियमों में संशोधन, संयोजन एवं स्थगन भी हुए है। अतः 'अधिनियम' के साथ-साथ 'परिनियम' भी अद्यावधिक संशोधनों सहित मुद्रित/प्रकाशित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक था। मुझे असीम हर्षानुभूति हो रही है कि इस हेतु प्रकाशन-संस्थान के निदेशक **डॉ. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी** के संयोजकत्व में गठित उप-समिति, जिसके अन्य दो सदस्य क्रमशः **श्रीमती गीतिकना सूर** वित्त अधिकारी तथा **श्री विद्याधर त्रिपाठी** कुलसचिव है, ने इस आवश्यकता के महत्व

[illegible] रूप में स्वीकारते हुए इसे परिणाम तक पहुँचाया। इन महानुभावों को [illegible] धन्यवाद देते हुए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। **श्री चन्द्रनाथ मिश्र 'चन्द्र जी'**, डॉ. **हरिवंश कुमार पाण्डेय, डॉ. ददन उपाध्याय, श्री कन्हई सिंह कुशवाहा** एवं इस विश्वविद्यालय के पूर्व-वरिष्ठ-आन्तरिक-लेखा-परीक्षक **श्री अशोक कान्ति चक्रवर्ती** को, जिन्होंने इस महान् कार्य हेतु तत्परतापूर्वक सदैव अपना सहयोग प्रदान किया है, हार्दिक [illegible] करता हूँ। मुद्रक-संस्था मे. श्रीजी प्रिन्टर्स के संचालक **श्री अनूप कुमार** [illegible] भी साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने अत्यल्प समय में इतने परिष्कृत मुद्रण-कार्य से विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है।

सभी पाठकों को मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इस 'परिनियम' का आंग्ल [illegible] भी हम शीघ्र ही आपके कर-कमलों मे उपलब्ध करायेंगे। सम्प्रति 'कैरियर [illegible] योजना' का आधिकारिक हिन्दी-रूपान्तरण प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस [illegible] को यथावत आंग्ल-भाषा में ही मुद्रित किया गया है।

(प्रो. अशोक कुमार कालिया)
कुलपति
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी
[illegible]
[illegible]
[illegible]

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रथम परिनियमावली

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
	अध्याय—१	
१.	प्रारम्भिक	१-२
	अध्याय—२	
२.	विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक	३-१४
	अध्याय—३	
३.	कार्य-परिषद्	१५-१६
	अध्याय—४	
४.	सभा	१७-१९
	अध्याय—५	
५.	विद्या-परिषद्	२०-२१
	अध्याय—६	
६.	वित्त-समिति	२२-२३
	अध्याय—७	
७.	संकाय	२४-२७
	अध्याय—८	
८.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा निकाय	२८-३०
	अध्याय—९	
९.	बोर्ड	३१
	अध्याय—१०	
	(भाग-१)	
१०.	विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण	३२-३३
	(भाग-२)	
११.	सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण	३३-३५

अध्याय—११

(भाग-१)

१२. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएँ और नियुक्ति ३६-५८

(भाग-२)

१३. सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएँ और नियुक्ति ५८-६५

अध्याय—१२

(भाग-१)

१४. सम्बद्ध महाविद्यालयों का वर्गीकरण ६६-६८

(भाग-२)

१५. नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना ६८-७४

(भाग-३)

१६. नई उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना ७४-७५

(भाग-४)

१७. सम्बद्धता का बना रहना ७६-७८

(भाग-५)

१८. सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण ७९

(भाग-६)

१९. सम्बद्धता वापस लेना ७९-८१

अध्याय—१३

२०. अधिछात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, निर्धन-छात्रवृत्ति, पदक तथा पारितोषिक ८२

अध्याय—१४

२१. उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना ८३

अध्याय—१५

२२. दीक्षान्त-समारोह ८४

अध्याय—१६

(भाग-१)

२३. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें ८५-९०

(भाग-२)

२४ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम ९०-९३

(भाग-३)

२५. अधिवर्षिता की आयु ९३-९६

(भाग-४)

२६. अन्य उपबन्ध ९६-९७

अध्याय—१७

(भाग-१)

२७. सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा-शर्तें ९८-१०३

(भाग-२)

२८. सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम १०३

(भाग-३)

२९. अधिवर्षिता की आयु १०४

(भाग-४)

३०. अन्य उपबन्ध १०४

अध्याय—१८

(भाग-१)

३१. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता १०५-१०८

(भाग-२)

३२. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता १०९-१११

अध्याय—१९

३३. छात्रावास ११२

अध्याय—२०

३४. अध्यापकों और शिक्षा संस्थाओं की मान्यता ११३

अध्याय—२१

३५. प्रकीर्ण ११४-११६

अध्याय—२२

३६. अधिभार ११७-१२०

परिशिष्ट—'क'

३७. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन १२१-१३१

परिशिष्ट–'ख'

३८. विश्वविद्यालय के अध्यापक-वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र १३२-१३३

परिशिष्ट–'ग'

३९. अध्यापकों के लिए आचरण-संहिता १३४

परिशिष्ट–'घ'

४०-(१) सम्बद्ध महाविद्यालयों में (प्राचार्य से भिन्न) अध्यापक के साथ करार का प्रपत्र १३५-१३६

(२) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य के साथ करार का प्रपत्र १३६-१३८

(३) शैक्षिक सत्र.....की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र १३९

परिशिष्ट–'ङ'

४१. स्व-मूल्याङ्कन विवरण का निदर्श (वैयक्तिक प्रोन्नति योजना) १४०-१४२

परिशिष्ट–'ए'

४२. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों का वार्षिक शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन १४३-१४५

परिशिष्ट–'बी'

४३. स्व-मूल्याङ्कन हेतु प्रपत्र (कैरियर एडवांसमेण्ट योजना) १४६-१४७

परिशिष्ट–'च'

४४. सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली १४८-१५१

परिशिष्ट–'छ'

४५. राज्य-सहायता-प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली १५२-१६१

परिशिष्ट–'ज'

४६. गैर अशासकीय सहायता-प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के कार्यकारी सिद्धान्त १६२-१६९

परिनियम

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित और सरकारी अधिसूचना संख्या-शिक्षा (१०) ८१४६/१५-६० (५६)-७४, दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा यथा अंगीकृत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-१०, १९७३) की धारा ५० की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियमावली बनाते हैं—

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रथम परिनियमावली*

अध्याय- १

प्रारम्भिक

१.०१ (१) यह परिनियमावली सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, १९७८ कही जायेगी। धारा ५० (१)

(२) यह दिनाङ्क २६ दिसम्बर, १९७८ से प्रवृत्त होगी।

१.०२ (१) विश्वविद्यालय में प्रवृत्त ऐसे सभी विद्यमान परिनियम और ऐसे सभी अध्यादेश जो इस परिनियमावली से असंगत हों, ऐसी असंगति की सीमा तक एतद्द्वारा विखण्डित किये जाते हैं और तुरन्त प्रभावहीन हो जायेंगे, सिवाय उन बातों के सम्बन्ध में, जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई हों या की जाने से छूट दी गई हो। धारा ५० (१)

(२) सरकारी अधिसूचना संख्या-७२५१/१५-१०-७५-६० (११५)-७३, दिनाङ्क २० अक्टूबर, १९७५ द्वारा एवं समय-

---

* उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा (१०) अनुभाग की अधिसूचना संख्या-५९८७/१५-१०-७८-५ (३)/७६, लखनऊ, दिनाङ्क २० दिसम्बर, १९७८ द्वारा अधिसूचित और उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में २० दिसम्बर, १९७८ को प्रकाशित।

समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-४५४६/१५-१०-७५, दिनाङ्क २५ जुलाई, १९७५ के साथ जारी की गयी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली (अध्यापको की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हताएँ) १९७५, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सम्बन्ध मे इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनाङ्क से निरस्त हो जायगी।

धारा ५० (१)

१.०३ इस परिनियमावली में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १०, १९७३) से है, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४) द्वारा पुन: अधिनियमित है और समय-समय पर संशोधित है।

(ख) 'खण्ड' का तात्पर्य परिनियम के उस खण्ड से है, जिसमें उक्त पद आया हो;

(ग) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

(घ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से है; और

(ङ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो इस परिनियमावली में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

धारा ४० तथा ५०

१.०४ इस परिनियमावली में किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बद्ध अध्यापक के जन्म दिनाङ्क के अनुसार आयु के प्रति, जो उसके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे।

अध्याय- २

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक

कुलाधिपति

धारा १०(४) तथा ४९ (ग)

२.०१ (१) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा ६८ के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय, विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझें, माँग सकते है, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँग सकते है।

(२) जहाँ कुलाधिपति खण्ड (१) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँगें, वहाँ कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाय।

(३) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जान-बूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इनकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझें, कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते है।

(४) कुलाधिपति को खण्ड (३) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुए, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

२.०१ (क) 'कार्य-परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे'[१]।

---

१. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-९२९/१५-१०-८५-१५ (७५)-८३ दिनाङ्क २० मार्च, १९८५ द्वारा बढ़ाया गया तथा २६ दिसम्बर, १९७८ से प्रवृत्त।

कुलपति

धारा १३ (६) और ४९ (ग)

२.०२ कुलपति को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसन्धान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे, उसको माँगने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

धारा ९ (३)

२.०३ जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम-निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो, तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा, जिसे कुलपति नाम-निर्दिष्ट करे।

धारा १५ (७) और ४९ (ग)

२.०४ वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वत: या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है;

(ग) नकद तथा बैंक बैलेन्स की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत दृष्टि रखेगा।

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आनेवाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जाँच की जाती है।

(च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक् परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे, मँगा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक सम्परीक्षा के सञ्चालन का प्रबन्ध करेगा, और उन बिलों की सम्परीक्षा प्रारम्भ में ही करेगा, जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;

(झ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे कार्य-परिषद् तथा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(ञ) अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहायक कुलसचिव (लेखा) के पद से ऊपर विश्वविद्यालय के सम्परीक्षा और लेखा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर परिनियम २.०६ के खण्ड (२) और (३) के अर्थान्तर्गत अनुशासनिक नियन्त्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

धारा १३ (९), १५ (७) तथा ४९ (ग)

२.०५ यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारी उससे बाध्य होंगे।

कुलसचिव

धारा १३ (९), १६ (४), २१ (i), (vii), २१ (८) और ४९ (ग) तथा (ङ)

२.०६ (१) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियन्त्रण होगा, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) उप-कुलसचिव और सहायक कुलसचिव,

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले किसी पद पर हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हों।

(घ) पुस्तकाध्यक्ष।

(ङ) विश्वविद्यालय के लेखा और सम्परीक्षा अनुभाग के कर्मचारी।

(२) खण्ड (१) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी की जाँच होने तक की अवधि में या जाँच करने के विचार से निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(३) खण्ड (२) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक ऐसी जाँच न कर ली जाय, जिसमें उसे अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो, और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो;

परन्तु जहाँ ऐसी जाँच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहाँ ऐसी जाँच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर ऐसी शास्ति आरोपित की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभिवेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है), यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था :—

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसको मूल पंक्ति में प्रतिवर्तित करने का आदेश।

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश।

(ग) किसी कर्मचारी को, पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश।

(घ) निलम्बन का आदेश।

२.०७ परिनियम २.०६ में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनाङ्क से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम ८.०१ के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुलसचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा। धारा २१ तथा ४१

२.०८ अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा :— धारा १६

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना, जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो;

(ख) धारा १६ (४) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनाएँ जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) सभा, कार्य-परिषद् तथा विद्या-परिषद् के अधिकृत पत्र-व्यवहार का सञ्चालन करना;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा या विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

अनुसन्धान संस्थान का निदेशक

२.९ अनुसन्धान संस्थान का निदेशक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, जो कार्य-परिषद् द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें निम्नलिखित होंगे, नियुक्त किया जायगा :—

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो ऐसे व्यक्ति जो संस्कृत या पालि या प्राकृत के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् हो और जिन्हें अनुसन्धान कार्य का अनुभव हो।

२.१० (१) निदेशक, विश्वविद्यालय के समस्त अनुसन्धान प्रकाशनों का, जिसमें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संस्कृत की पाण्डुलिपियों का सूची-पत्र भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगा।

(२) यह कार्य-परिषद् द्वारा गठित सम्पादकीय बोर्ड के मार्ग-निर्देशन मे विश्वविद्यालय की अनुसन्धान-पत्रिका का सम्पादन करेगा।

(३) यह विश्वविद्यालय के समस्त अनुसन्धान कार्य-कलापों (अनुसन्धान उपाधियों के लिये व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुसन्धान से सम्बन्धित कार्य-कलाप को छोड़कर) के सम्बन्ध मे कुलपति और विद्या-परिषद् को त्रैमासिक रिपोर्ट देगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

धारा २७ (४) और ४९ (ख) — २.११ यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो, तो ज्येष्ठतम आचार्य और जहाँ उस संकाय मे कोई आचार्य उपलब्ध न हो, वहाँ संकाय का ज्येष्ठतम अध्यापक संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा।

धारा ४९ (ग) — २.१२ कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

धारा १८ तथा ४९ (ग) — २.१३ संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्त्तव्य तथा शक्तियाँ होंगी :—

(i) वह संकाय-बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते है;

(ii) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(iii) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करेगा;

(iv) उसे अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष

२.१४ छात्र-कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन-कार्य का अनुभव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति के न हों, कार्य-परिषद् द्वारा 'कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी'[१]। — धारा १८, २१ (१) (xvii) और ४९ (ग)

२.१५ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेगा। — धारा ११ तथा ४९

२.१६ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी, जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय। — धारा ४९

२.१७ कार्य-परिषद् छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता के लिए एक या उससे अधिक छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। ऐसे सहायक संकायाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ करेंगे। — धारा १८ तथा ४९ (ग)

---

१. अधिसूचना संख्या-३४५४/१५-१०-८८ (६)/८७ दिनाङ्क १८ जून, १९८८ द्वारा प्रतिस्थापित संशोधन के पूर्व रूप 'एक समिति की सिफारिश पर की जायगी, जिसमें कुलपति और दो ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष होंगे'।

धारा ४९ (ग) अ० द — २.१८ (१) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र-कल्याण सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्तव्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग-दर्शन अपेक्षित है, सामान्यतः सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया, छात्रों तथा भावी छात्रों को—

(i) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने;

(ii) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरुचि का चुनाव करने;

(iii) निवास स्थान ढूँढ़ने;

(iv) भोजन व्यवस्था करने,

(v) चिकित्सकीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने;

(vi) छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिका, अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने;

(vii) अवकाश के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिये यात्रा-सुविधायें प्राप्त करने;

(viii) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने, और

(ix) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्ण रहें, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या-अध्ययन करने में उचित रूप से संचालित होने, में सहायता करना और सलाह देना।

(२) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिससे उसकी सहायता अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

धारा ४९ (ग) — २.१९ छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो, तथा विश्वविद्यालय चिकित्साधिकारी पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कार्य-परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाँय।

धारा ४३ (१) — २.२० कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

२.२१ छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है, जैसा कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे। धारा ४९ (घ)

विभागाध्यक्ष

२.२२ विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक उस विभाग का प्रधान होगा। धारा ४९

पुस्तकाध्यक्ष

२.२३ (१) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकाध्यक्ष चयन समिति की, जिसमें निम्नलिखित होंगे, सिफारिश पर कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा, अर्थात्— धारा ४९ (ग)

(क) कुलपति,

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(२) जब तक खण्ड (१) के अधीन नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष अपने पद का कार्य-भार न सम्भाले, तब तक कार्य-परिषद् ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

*२.२४ विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष, उप-पुस्तकाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकाध्यक्ष की अर्हतायें— धारा ४९ (ग)

२.२४ (क) पुस्तकाध्यक्ष

उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकुमेण्टेशन पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा समतुल्य परीक्षा में सात सूत्रीय माप में बी-ग्रेड।

---

*२.२४ शासनादेश संख्या-९१/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, टी.सी., दिनाङ्क ६ जनवरी, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित तथा प्रवृत्त।
संशोधन से पूर्व रूप 'पुस्तकाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होगी, जैसी अध्यादेशों में व्यवस्थाएँ की जाँय'।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम १३ वर्ष के कार्य का अनुभव अथवा महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर न्यूनतम १८ वर्ष के कार्य का अनुभव।

पुस्तकालयीय सेवा में अभिनवीकरण तथा प्रकाशित रचना को संगठित करने का प्रमाण।

वांछित अर्हता— पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टेशन/संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख-रखाव मे एम.फिल. अथवा पी-एच.डी. उपाधि।

२.२४ (ख) उपपुस्तकाध्यक्ष

(अ) उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टरी में स्नातक स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत अङ्क अथवा समतुल्य उपाधि में यू.जी.सी. के साथ सात सूत्रीय वर्ग माप मे बी-ग्रेड।

(ब) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) पुस्तकालयाध्यक्ष (महाविद्यालय) के पद पर ५ वर्ष के कार्य का अनुभव।

(स) पुस्तकालय सेवा में अभिनवीकरण का प्रमाण, प्रकाशित रचनाओं और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का प्रमाण।

वांछित —पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टेशन/संग्रहालय तथा हस्तलेखों के रख-रखाव, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल. अथवा पी-एच.डी. की उपाधि।

नोट— उप-पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो कि प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

२.२४ (ग) सहायक पुस्तकाध्यक्ष

अनिवार्य उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टेशन अथवा समतुल्य व्यावसायिक उपाधि में न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा यू.जी.सी. के सात

सूत्रीय माप में बी-ग्रेड अथवा पुस्तकालय के कम्प्यूटराइजेशन का ज्ञान।

सुसंगत पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डाकूमेण्टेशन में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट—उपर्युक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालयों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष महाविद्यालय) के पदों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख वही होगा, जो प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित है।

स्पष्टीकरण—वर्तमान मे जो अभ्यर्थी पूर्व में यूनिवर्सिटी सिस्टम मे प्राचार्य, उपाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियमित रूप में चयनित एवं कार्यरत हैं, के लिए सीधी भर्ती के प्राचार्य, उपाचार्य तथा पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय पदों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर ५५ प्रतिशत की अनिवार्यता पर बल न दिया जाय'।

२.२५ पुस्तकाध्यक्ष की परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाँय। धारा ४९ (ग)

२.२६ विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवा को ऐसी रीति से, जो अध्यापन-कार्य तथा अनुसन्धान-कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकाध्यक्ष का कर्तव्य होगा। धारा ४९ (ग)

२.२७ पुस्तकाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियन्त्रण में रहेगा। धारा ४९ (ग)

परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य-परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

प्राक्टर

२.२८ प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर, कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा। प्राक्टर कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक धारा १८ तथा ४९ (ग)

** शासनादेश संख्या-५७८/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, टी.सी. दिनाङ्क २४ फरवरी, २००३ से प्रवृत्त।

प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौंपे जाँय।

धारा ४९ (ग) २.२९ प्राक्टर की सहायता के लिए सहायक प्राक्टर होंगे, जिनकी संख्या कार्य-परिषद् द्वारा समय-समय पर निश्चित की जायगी।

धारा ४९ (ग) २.३० कुलपति प्राक्टर के परामर्श से सहायक प्राक्टर नियुक्त करेंगे।

धारा ४९ (ग) २.३१ प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टर एक वर्ष के लिये पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :—

परन्तु जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, प्रत्येक प्राक्टर अथवा सहायक प्राक्टर पद पर बना रहेगा;

परन्तु यह और कि कार्य-परिषद् कुलपति की सिफारिश पर प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है;

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व हटा सकते हैं।

धारा ४९ (ग) तथा ४९ (ङ) २.३२ प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है, जैसा कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें।

अध्याय-३

कार्य-परिषद्

३.०१ संकायों के संकायाध्यक्ष, जो धारा २० (१) (ग) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे, जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनियम ७.०१ में प्रमाणित हैं। धारा २० (१) (ग)

३.०२ विश्वविद्यालय के एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक का, जो धारा २० (१) (घ) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन उनके अपने-अपने संवर्ग में, ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम से किया जायगा। धारा २० (१) (घ)

३.०३ सम्बद्ध महाविद्यालयों के (आयुर्वेदिक महाविद्यालय से भिन्न) एक प्राचार्य और एक अध्यापक का, जो धारा २० (१) (घ) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन, यथास्थिति, ऐसे प्राचार्य या ऐसे अध्यापक के रूप में ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायगा। धारा २० (१) (घ)

३.०४ धारा २० (१) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य-परिषद् के सदस्य नहीं रह जायेंगे। धारा २० (१) (च)

३.०५ कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का न तो सदस्य होगा और न सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, तो यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था, उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनाङ्क से रिक्त कर दिया है। धारा ४९ (क) तथा (ख)

धारा २१ (४) ३.०६ कार्य-परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

धारा २० तथा ४९ (ख) ३.०७ कार्य-परिषद् के अधिवेशन कुलपति के निदेश से बुलाये जायेंगे।

धारा २० तथा ४९ (ख) ३.०८ कार्य-परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसमें वित्तीय प्राविधान अन्तर्ग्रस्त हों, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

अध्याय-४

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

४.०१ (१) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा २२ (१) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा :— धारा २२ (१) (ix)

(क) विश्वविद्यालय के दो आचार्य;

(ख) विश्वविद्यालय के तीन उपाचार्य;

(ग) विश्वविद्यालय के तीन प्राध्यापक;

(घ) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(ङ) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा एक अध्यापक;

(च) सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा एक अध्यापक।

(२) उपर्युक्त आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा, अन्य अध्यापक के रूप में उनके ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

स्नातकों का रजिष्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

४.०२ कुलसचिव अपने कार्यालय में रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिष्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिष्टर कहा गया है। धारा १६ (१) तथा ४९ (ग)

४.०३ रजिष्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे— धारा ४९ (ग)

(क) रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता।

(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष।

(ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ से वे स्नातक हुए।

(घ) रजिष्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनाङ्क।

(ङ) ऐसे अन्य ब्यौरे, जिनके बारे में कार्य-परिषद् समय-समय पर निदेश दे।

टिप्पणी—ऐसे रजिष्ट्रीकृत स्नातको के नाम काट दिये जायेंगे, जिनकी मृत्यु हो गई हो।

धारा ४९ (थ) ४.०४ विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन-पत्र देने पर और इक्यावन रूपये की फीस देने पर रजिष्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनाङ्क से दर्ज कराने का हकदार होगा, जिसमें वह उपाधि प्रदान की गई थी या उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गई होती, जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन-पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिष्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन-पत्र एक ही आवरण मे प्राप्त हों, तो उन्हे अस्वीकार कर दिया जायगा।

धारा ४९ (थ) ४.०५ आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक् रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिष्टर मे दर्ज करेगा।

धारा ४९ (थ) ४.०६ कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनाङ्क के पूर्ववर्ती ३० जून को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिष्टर में लिखा हो, रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा।

धारा २२ (१) (xi) तथा ४९ (थ) ४.०७ कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक धारा २२ (१) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनाङ्क के पूर्ववर्ती ३० जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिष्टर मे दर्ज रहा हो।

धारा २२ (१) (xi) तथा ४९ (थ) ४.०८ धारा २२ (१) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रावास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, अथवा छात्रावास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जायगा।

धारा २२ (१) (xi) (xii) ४.०९ कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक, जो पहिले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो, रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनियम ३.०५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

धारा २२ (१) (xi) ४.१० इस अध्याय के अधीन रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट 'क' में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।

धारा २२ (२) तथा ४९ (ख) ४.११ सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनाङ्क से प्रारम्भ होगा।

अध्याय-५

विद्या-परिषद्

धारा २५ (२) (vii) २५ (३) तथा ४९ (ख)

५.०१ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों से जो तीन प्राचार्य धारा २५ (२) के खण्ड (vii) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उनके ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

धारा २५ (२) (viii) तथा ४९ (ख)

५.०२ ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा २५ (२) के खण्ड (viii) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा :—

(क) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य।

(ख) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापक।

(ग) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के चार अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

(घ) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के तीन अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

टिप्पणी—(१) एक सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे।

टिप्पणी—(२) यदि एक महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होने के हकदार हों, तो दो ज्येष्ठतम अध्यापक विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे। ऐसे अध्यापक, जो इस प्रकार रह जायेंगे, उनकी बारी चक्रानुक्रम से अगली बार आयेगी।

धारा २५ (२) (xi) तथा ४९ (ख)

५.०३ शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पाँच व्यक्ति, जो धारा २५ (२) के खण्ड (xi) के अधीन विद्या-परिषद् के सदस्य होंगे, उनका

सहयोजन उक्त धारा के खण्ड (i) से (x) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायगा, जो विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

धारा २५ (३) तथा ४९ (ख)

५.०४ धारा २५ (२) के खण्ड (vi), (viii) और (xi) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

धारा २५ (१) (ग)

५.०५ अधिनियम, इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या-परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(i) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य-परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना, जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय;

(ii) सभा अथवा कार्य-परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना;

(iii) विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा, उपाधियों या प्रमाण-पत्रों को मान्यता देने के विषय में कार्य-परिषद् को सलाह देना;

(iv) विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के सम्बन्ध में कार्य-परिषद् को सलाह देना, और

(v) शिक्षा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना, जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

धारा २५ तथा ४९ (ख)

५.०६ विद्या-परिषद् का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जायगा।

अध्याय-६

वित्त-समिति

धारा ४९ (ख)

६.०१ धारा २६ (१) के खण्ड (ध) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०२ व्यय की ऐसी नई मदें, जो पहिले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों, निम्नलिखित दशाओं में वित्त-समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी :—

(i) अनावर्ती व्यय, यदि उसमें दस हजार रूपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो; और

(ii) आवर्ती व्यय, यदि उसमें तीन हजार रूपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को, जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हों, छोटी-छोटी धनराशियों को बहुत-सी मदें मानकर कार्य करे और वित्त-समिति के समक्ष प्रस्तुत न करे।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०३ वित्त-समिति ऐसे दिनाङ्क को या उसके पूर्व, जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम ६.०२ अथवा परिनियम ६.०४ के अधीन उसको निर्दिष्ट की गयी व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य-परिषद् को संसूचित करेगी।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०४ यदि कार्य-परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम ६.०२ में निर्दिष्ट आवर्ती

या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, तो कार्य-परिषद् वित्त-समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०५ वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त-समिति के समक्ष विचार के लिये रखा जायगा और तत्पश्चात् कार्य-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०६ वित्त-समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त-समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो।

धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६.०७ लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त-समिति का प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बार अधिवेशन होगा।

धारा १५ (७) तथा ४९ (ग)

६.०८ वित्त-समिति के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिए भी नोटिसें जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखा जायगा।

अध्याय-७

संकाय

धारा २७ (१) ७.०१ विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्—

(क) वेद-वेदाङ्ग संकाय।
(ख) साहित्य-संस्कृति संकाय।
(ग) दर्शन संकाय।
(घ) श्रमणविद्या संकाय।
(ङ) आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय।
(च) आयुर्वेद संकाय।

टिप्पणी— आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी से आयुर्वेद संकाय का गठन होगा।

धारा २७ (२) ७.०२ वेद-वेदाङ्ग संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(१) वेद।
(२) धर्मशास्त्र।
(३) ज्योतिष।
(४) व्याकरण।

धारा २७ (२) ७.०३ साहित्य-संस्कृति संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(१) साहित्य।
(२) पुराणेतिहास।
(३) प्राचीन राजशास्त्र-अर्थशास्त्र।

धारा २७ (२) ७.०४ दर्शन संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(१) न्याय-वैशेषिक।
(२) सांख्य-योग-तन्त्र-आगम।

(३) पूर्वमीमांसा।
(४) वेदान्त।
(५) तुलनात्मक धर्म-दर्शन।

धारा २७ (२) ७.०५ श्रमणविद्या संकाय मे निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(१) बौद्धदर्शन।
(२) जैनदर्शन।
(३) पाली एवं थेरवाद।
(४) प्राकृत एवं जैनागम।
(५) 'संस्कृत विद्या-विभाग'[१]।

धारा २७ (२) ७.०६ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(१) आधुनिक भाषा एवं भाषाविज्ञान।
(२) सामाजिक विज्ञान।
(३) शिक्षाशास्त्र।
(४) विज्ञान।
(५) ग्रन्थालय विज्ञान।

धारा २७ (२) ७.०७ आयुर्वेद संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(१) शरीर।
(२) द्रव्यगुण।
(३) रसशास्त्र-भैषज्यकल्पना।
(४) काय-चिकित्सा।
(५) शल्य-शालाक्य।
(६) प्रसूति, स्त्री, बालरोग तथा अगदतन्त्र।
(७) आयुर्वेद संहिता और आधारभूत सिद्धान्त।

धारा २७ (३) ७.०८ आयुर्वेद संकाय से भिन्न प्रत्येक संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायगा :—

---

१. कुलाधिपति के विधि परामर्शी के पत्र संख्या ई-७३७५/जी.एस., दिनाङ्क १० अक्टूबर, १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित। इसके पूर्व 'भारतीय विद्या संस्कृति एवं संस्कृत प्रमाणपत्रीय विभाग' था।

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) संकाय के समस्त विभागाध्यक्ष।

(iii) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त आचार्य और उपाचार्य (जो विभागाध्यक्ष न हों)।

(iv) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचार्य और सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचार्य, जो संकाय को सौंपे गये विषयो के अध्यापक हों, ज्येष्ठता-क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।

(v) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न) और सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयो का एक ऐसा अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न), जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों, ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(vi) तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हो और जिनको संकाय को सौंपे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या-परिषद् नाम-निर्दिष्ट करे।

धारा २७ (३)

७.०९ आयुर्वेद संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा :—

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) संकाय के समस्त विभागाध्यक्ष।

(iii) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त आचार्य और उपाचार्य (जो विभागाध्यक्ष न हों)।

(iv) संकाय के प्रत्येक विभाग का एक प्राध्यापक ज्येष्ठता-क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।

(v) तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों और जिनको संकाय को सौंपे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या-परिषद् नाम-निर्दिष्ट करे।

धारा २७ (३) और ४९ (ख)

७.१० (१) इस अध्याय में उपबन्धित के सिवाय, संकाय के बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(२) संकाय के बोर्ड का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष के निदेश से बुलाया जायगा।

धारा २७ (३)

७.११ अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय के बोर्ड की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात्—

(i) शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बद्ध अध्ययन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।

(ii) विश्वविद्यालय के अध्यापन और अनुसन्धान कार्य के सम्बन्ध में संकाय को सौंपे गये विषयों में विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।

(iii) अपने कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और विद्या-परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट मामले पर विचार करना और विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।

धारा २७ (३)

७.१२ इस अध्याय की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का कोई विभाग, जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने पर विद्यमान न हो, खोलने का प्राधिकार है, जब तक कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय और उसके लिये, आवश्यक अनुदान सुनिश्चित न हो जाय।

अध्याय-८

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा निकाय

अनुशासनिक समिति

धारा ४९ ८.०१ (१) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपति और कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे :—

परन्तु यदि कार्य-परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(२) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, वह उस मामले के सम्बन्ध मे कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(३) कार्य-परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

धारा ४९ ८.०२ (१) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) परिनियम २.०७ के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे मामलों में जाँच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;

(ग) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की सिफारिश करना, जिसके विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन हो या करने का विचार हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय-समय पर कार्य-परिषद् द्वारा सौंपे जाँय।

(२) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(३) 'अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य-परिषद् के समक्ष रखी जायगी, जिससे कार्य-परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके'[१]।

विभागीय समितियाँ

८.०३ परिनियम २.२२ के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिये विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में, एक विभागीय समिति होगी। धारा ४९

८.०४ विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे :— धारा ४९

(i) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) विभाग के समस्त आचार्य, और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समस्त उपाचार्य;

(iii) यदि किसी विभाग में आचार्य तथा उपाचार्य भी हों, तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए दो उपाचार्य;

(iv) यदि किसी विभाग में उपाचार्य तथा प्राध्यापक भी हों, तो एक प्राध्यापक, और यदि किसी विभाग में कोई उपाचार्य न हो, तो

---

१. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३-...-३९, दिनाङ्क २ दिसम्बर १९८० द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन का पूर्व-रूप 'समिति का विनिश्चय या रिपोर्ट अन्तिम होगी और कार्य-परिषद् यथाशीघ्र उसे कार्यान्वित करने के लिये बाध्य होगी' था।

ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो प्राध्यापक तीन वर्ष की अवधि के लिये;

परन्तु किसी विषय या विद्याविशेष से विशेषत: सम्बद्ध किसी मामले के लिए उस विषय या विद्याविशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिये विशेषत: आमन्त्रित किया जायगा।

धारा ४९

८.०५ विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(i) विभाग के अध्यापकों में अध्यापन-कार्य के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ii) विभाग में अनुसन्धान-कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना;

(iii) विभाग में ऐसे कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में, जिसके लिए विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हो, सिफारिश करना;

(iv) विभाग के सामान्य और विद्याविषयक रुचि के मामलों पर विचार करना।

धारा ४९

८.०६ समिति का अधिवेशन एक तिमाही में कम से कम एक बार होगा। इस अधिवेशन के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

परीक्षा-समिति

धारा २९ तथा ४९ (क)

८.०७ परीक्षा-समिति, धारा २९ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप-समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी को किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर सकती है, यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

●

अध्याय-९

बोर्ड

धारा ४९

९.०१ विश्वविद्यालय के संकाय बोर्डों तथा अध्ययन बोर्डों के अतिरिक्त निम्नलिखित बोर्ड होंगे, अर्थात्—

(क) छात्रकल्याण बोर्ड,

(ख) समन्वय बोर्ड,

(ग) अनुसन्धान और प्रकाशन संस्थान का बोर्ड,

(घ) पुस्तकालय बोर्ड,

(ङ) प्रथमा और मध्यमा अध्ययन तथा परीक्षा बोर्ड।

धारा ४९ तथा धारा ५१

९.०२ परिनियम ९.०१ में उल्लिखित बोर्डों की शक्ति, कृत्य तथा गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय :

परन्तु उक्त परिनियम के खण्ड (क) में निर्दिष्ट छात्रकेल्याण बोर्ड में सम्बन्धित अध्यादेशों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी और ऐसे छात्र-प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

धारा ४९ तथा धारा ५१

९.०३ जब तक कि परिनियम ९.०२ के अनुसार नये बोर्ड का गठन न हो जाय, तब तक परिनियम ९.०१ में उल्लिखित तथा इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दिनाङ्क को वर्तमान बोर्ड कार्य करता रहेगा।

●

अध्याय- १०

भाग- १

विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण

धारा ३१ तथा ४९ (घ)

१०.०१ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(१) आचार्य;

(२) उपाचार्य; और

(३) प्राध्यापक।

धारा ३१ तथा ४९ (घ)

१०.०२ विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनमें विद्या-परिषद् की राय में, ऐसे प्राध्यापकों की, अध्यापन-कार्य के हित में अथवा अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक प्राध्यापक उतना वेतन पा सकते हैं, जितना सामान्यतया उस पद के, जिस पर वे नियुक्त किये जाँय, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो। अनुसन्धान-सहचर अथवा अनुसन्धान-सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिये कहा जा सकता है।

धारा ३१ तथा ४९ (घ)

१०.०३ कार्य-परिषद् विद्या-परिषद् की सिफारिशों पर, निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है—

(१) इस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट संविदा शर्तों पर शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।

(२) अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य—

(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;

(ख) जो अनुसन्धान-कार्य का मार्ग-दर्शन करेंगे;

(ग) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने तथा उसके विचार-विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) जिन्हें यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसन्धान-कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी; और

(ङ) जो समस्त दीक्षान्त-समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे;

परन्तु कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य के रूप में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

१०.०४ शिक्षक अथवा अध्यापन अनुसन्धान सहायक ऐसी शर्तों तथा निबन्धों पर, जिसकी अध्यादेशों में व्यवस्था की गयी हो, कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं। धारा २१ (1) (xvii) ३१ तथा ४९ (घ)

●

भाग- २

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण

१०.०५ उत्तर प्रदेश में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य से भिन्न अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(क) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में :—

(१) प्रधानाचार्य;

(२) सहायक आचार्य;

(३) आचार्य;

(४) शिक्षक।

(ख) उपाधि महाविद्यालयों में—

(१) प्रधानाचार्य;

(२) अध्यापक;

(३) सहायक अध्यापक।

(ग) उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में—

(१) प्रधानाचार्य;

(२) अध्यापक;

(३) सहायक अध्यापक ज्येष्ठ;

(४) सहायक अध्यापक कनिष्ठ।

(घ) पूर्व माध्यमिक विद्यालय में—

(१) प्रधान अध्यापक;

(२) अध्यापक;

(३) 'सहायक अध्यापक'[1]।

---

१. उ.प्र. सरकार की अधिसूचना संख्या ५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२, दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व इस प्रकार था—

१०.०५ उत्तर प्रदेश में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य से भिन्न अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे—

(क) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में—

(१) प्रधानाचार्य

(२) आचार्य/विभागाध्यक्ष

(३) सहायक आचार्य/सहायक विभागाध्यक्ष

(४) शिक्षक

(ख) उपाधि महाविद्यालयों में—

(१) प्रधानाचार्य

(२) अध्यापक

(३) सहायक अध्यापक

(ग) उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में

(१) प्रधानाचार्य

(२) सहायक अध्यापक

(३) सहायक अध्यापक (कनिष्ठ)

(४) अध्यापक

१०.०६ उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों को सम्बद्ध सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें ऐसे वर्गों में रखा जा सकता है, जिसे कार्य-परिषद् उचित समझे। धारा ३१ तथा ४९

१०.०७ सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अन्य अध्यापक सम्बद्ध राज्य सरकार या संघक्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतन-मान में पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किये जायेंगे : धारा ३१ तथा ४९

[× × × ×][2]

१०.०८ [× × × ×][3]

१०.०९ परिनियम १०.०५ से १०.०७ तक के उपबन्ध राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों पर ऐसे परिष्कारों सहित लागू होंगे, जो कार्य-परिषद् द्वारा उचित समझे जाँय।

●

(घ) पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में—

(१) प्रधान अध्यापक

(२) सहायक अध्यापक (ज्येष्ठ)

(३) सहायक अध्यापक (कनिष्ठ)

(४) अध्यापक

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२ दिनाङ्क १३ अक्टूबर १९८५ द्वारा संशोधित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

पूर्व रूप में इस प्रकार था—'परन्तु किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, अवैतनिक या अंशकालिक अध्यापकों को ऐसे निबन्धनों पर नियुक्त कर सकता है, जिसे वह उचित समझे'।

२. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। पूर्व रूप में इस प्रकार था—

'किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अंशकालिक या अवैतनिक अध्यापक उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में न ही तो कोई पद धारण करेगा और न ही विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, निकाय या समिति का सदस्य होगा'।

अध्याय- ११

भाग- १

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएँ और नियुक्ति

धारा ४९

११.०१ *(१) [१]वेद-वेदाङ्ग, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, श्रमणविद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान (शिक्षाशास्त्र-विभाग के सिवाय) सङ्कायों की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएँ—

(क) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्ग माप में बी. ग्रेड।

(ख) उत्तम शैक्षिक अभिलेख (होंगी)।

**(२) [२]आधुनिक ज्ञान-विज्ञान सङ्काय में शिक्षाशास्त्र-विभाग की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएँ—

१,२. शासनादेश संख्या-९१/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, टी.सी., दिनाङ्क ६ जनवरी, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित एवं उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। पूर्व रूप में इस प्रकार था—

*(१) वेद-वेदाङ्ग, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, श्रमणविद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान (शिक्षाशास्त्र-विभाग के सिवाय) संकायों की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएँ।

(क) सुसंगत विषय में कम से कम ५५ प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और

(ख) अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख (होंगी)।

**(२) आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय में शिक्षाशास्त्र-विभाग की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएँ कम से कम ५५ प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि अर्थात् एम.एड. की उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षिक अभिलेख होगी।

(क) शिक्षा/एम.एड. में न्यूनतम ५५ प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्ग माप में बी.ग्रेड।

(ख) किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ग) उत्तम शैक्षिक अभिलेख (होंगी)।

विशेष—परन्तु 'किसी प्राध्यापक पद हेतु अर्हताओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए स्नातकोत्तर उपाधियों में न्यूनतम प्राप्ताङ्क ५५ प्रतिशत के स्थान पर ५० प्रतिशत होंगे'।

(३) [१]इस परिनियम के प्रयोजन के उत्तम शैक्षिक अभिलेख—

*(क) सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत् होंगे—

'सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क, जो अभ्यर्थी पी-एच.डी. धारक हों, उनके लिए सुसंगत स्नातक उपाधि में अधिकतम ५ प्रतिशत अंको तक की सीमा की छूट दी जायगी'।

(ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत् होंगे—

१. शासनादेश संख्य-५७६/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/१२, टी.सी., दिनाङ्क २४ फरवरी, २००३ एवं ७२८/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, दिनाङ्क ७ मार्च, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। पूर्व रूप मे इस प्रकार था—

*(क) कोई ऐसा अभ्यर्थी (शिक्षाशास्त्र-विभाग में प्राध्यापक के पद के लिये किसी अभ्यर्थी से भिन्न) जिसने या तो स्नातक की उपाधि परीक्षा में ५५ प्रतिशत अंक और इण्टरमीडिएट परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं मे से प्रत्येक मे पृथक्-पृथक् ५० प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा।

(ख) शिक्षाशास्त्र-विभाग में प्राध्यापक के पद के लिये कोई ऐसा अभ्यर्थी, जिसने या तो बी.एड. की उपाधि परीक्षा में ५५ प्रतिशत अंक और किसी अन्य स्नातक उपाधि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक

'सुसंगत स्नातक उपाधि में से न्यूनतम ५० प्रतिशत प्राप्ताङ्क, परन्तु जो अभ्यर्थी पी-एच.डी. धारक हों, उनके लिए सुसंगत स्नातक उपाधि में अधिकतम ५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क तक की सीमा की छूट अनुमन्य होगी'।

*(४) [1]प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो प्राध्यापक के पद के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ पूरी करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों अथवा उत्तर-प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों।

परन्तु किसी अभ्यर्थी से—

(१) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् या जूनियर रिसर्च फेलोशिप या उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

में पृथक्-पृथक् ५० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा।

१. शासनादेश संख्या-९१/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, टी.सी., दिनाङ्क ६ जनवरी, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। पूर्व रूप में इस प्रकार था—

*प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने प्राध्यापक के पद के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अनुसार संचालित किये जाने वाले किसी व्यापक परीक्षण, यदि कोई हो, में अर्हता प्राप्त की हो[2]। परन्तु वह अभ्यर्थी भी पात्र होगा—

(१) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या शैक्षिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(२) जिसे ३१ दिसम्बर, १९९३ तक पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की गयी हो, या

(३) जिसने ३१ दिसम्बर, १९९३ तक पी-एच.डी. की उपाधि के लिये शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर दिया हो, या

(४) जिसे ३१ दिसम्बर, १९९२ तक एम.फिल. की उपाधि प्रदान की गयी हो।

२. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-९७७/१५-१०-८९-१५-(९)/८८, दिनाङ्क २५ मार्च, १९८९ द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

(२) जिसे ३१ दिसम्बर, १९९३ तक एम.फिल. उपाधि प्रदान की गयी हो, या

(३) जिसे सम्बन्धित विषय में ३१ दिसम्बर, २००२ तक पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की गयी हो, या

(४) जिसने सम्बन्धित विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध (थीसिस) ३१ दिसम्बर, २००२ को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया है,

ऐसे अभ्यर्थी से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

जिसने सम्बन्धित विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध (थीसिस) ३१ दिसम्बर, २००२ को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया है, किन्तु पी-एच.डी. उपाधि हेतु शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी यदि पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो उनके लिये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या समतुल्य उत्तर-प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

११.०२ वेद-वेदाङ्ग, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, श्रमणविद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकायों की स्थिति में, धारा ४९

(क) विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात्—

*(१) [1]उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ डाक्टरेट की उपाधि तथा सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम ५५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क अथवा सात सूत्रीय वर्ग माप में बी.ग्रेड।

१. शासनादेश संख्या-९१/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, टी.सी., दिनाङ्क ६ जनवरी, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। पूर्व रूप में इस प्रकार था—

*(१) डाक्टर की उपाधि या समकक्ष प्रकाशित रचना सहित उत्तम शैक्षणिक अभिलेख और अनुसन्धान-कार्य या अध्यापन-सामग्री के उत्पादन में सक्रिय रूप से कार्यरत, और

**(२) विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षण का न्यूनतम ५ वर्ष का अनुभव तथा शोध के अनुभव के साथ ज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, जो अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित रचना, शैक्षिक क्षेत्र में अभिनवीकरण, नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा में किये गये योगदान, इस हेतु किये गये योगदान, अथवा नवीन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा मे किये गये योगदान से प्रमाणित हो।

[1]इस परिनियम के प्रयोजन के लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख—

उपाचार्य हेतु वह अभ्यर्थी 'उत्तम शैक्षिक अभिलेख' का धारक माना जायगा, जिसने हाईस्कूल (या समकक्ष) एवं उससे उच्चतर सभी संगत परीक्षाओं में, जिनमे वह उत्तीर्ण हुआ है, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी (या सात सूत्री अक्षर वर्ग माप में 'सी' वर्ग) अर्जित की है'।

(ख) विश्वविद्यालय में आचार्य के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्—

या तो—

*[2]ऐसा प्रख्यात विद्वान् जिसकी प्रख्यापित रचना उच्च कोटि की हो और विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में

**(२) अध्यापन या अनुसन्धान-कार्य का पाँच वर्ष का, जिसमें कम से कम तीन वर्ष प्राध्यापक के रूप में या किसी समकक्ष स्थिति मे कार्य करने का अनुभव :

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जिसने चयन-समिति की राय में उत्कृष्ट अनुसन्धान-कार्य किया हो, उपखण्ड (२) मे दी गयी अपेक्षाएँ शिथिल की जा सकती हैं।

१. शासनादेश संख्या-१८८९/सत्तर-१-१५(१४)/९२, दिनाङ्क २१ सितम्बर, २००० द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनाङ्क ३ मई, २००० से प्रवृत्त।

२. शासनादेश संख्या-९१/सत्तर-१-२००३-१५(१४)/९२, टी.सी., दिनाङ्क ६ जनवरी, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित। पूर्व रूप में इस प्रकार था—
*उच्च कोटि की प्रकाशित रचना सहित प्रख्यात विद्वत्ता और अनुसन्धान-कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत और अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव या अनुसन्धान-कार्य और डाक्टर की उपाधि के स्तर पर अनुसन्धान-कार्य के मार्ग-दर्शन का अनुभव; या

अनुसन्धान-कार्य में सक्रिय रूप से लगे हों तथा जिसे परास्नातक कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा अनुसन्धान के कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव भी शामिल हो, **या**

विषय का ख्यातिलब्ध मूर्धन्य विद्वान् जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान किया हो।

११.०३ परिनियम १.०२ के खण्ड (२) में निर्दिष्ट उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हताएँ) १९७५ के आधार पर, जैसा कि वह अधिसूचना संख्या-७२५१/१५-१०-७५-६०(११५)-७३, दिनाङ्क २० अक्टूबर, १९७५ द्वारा संशोधन के पूर्व थी, दिनाङ्क १ अगस्त, १९७५ और २० अक्टूबर, १९७५ के बीच किये गये किसी अध्यापक के चयन पर इस परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा ४९

११.०४ धारा ३१ (१०) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन सामान्यतया अभ्यर्थियों को रिक्ति के लिए आवेदन-पत्र देने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनाङ्क से देगा, जिस दिनाङ्क को समाचार-पत्र का अङ्क निकाला गया, जिसमें विज्ञापन छपा है। धारा ३१ तथा ४९ (घ)

११.०५ (१) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेश से बुलाया जायगा। धारा ३१ (९) तथा ४९ (घ)

(२) चयन-समिति विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि उसने उसके लिए आवेदन-पत्र न दिया हो :

परन्तु किसी आचार्य की नियुक्ति की दशा में, समिति कुलपति के अनुमोदन से, उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन-पत्र न दिये हों, नाम पर विचार कर सकती है।

(३) चयन-समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, समिति या कार्य-परिषद् के अधिवेशन से बाहर चला जायगा, यदि ऐसे अधिवेशन

विद्या के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये संस्थापित प्रतिष्ठा सहित विशिष्ट विद्वत्ता।

में किसी नातेदार की (जैसा कि धारा २० के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

धारा ३० तथा ३१

११.०६ —(१) यदि चयन-समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करे, तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है। जहाँ समिति अभ्यर्थियों के नाम अधिमान-क्रम में रखने का विनिश्चय करे, वहाँ यह समझा जायगा कि उसने यह इङ्गित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(२) चयन-समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायगा।

४९ (ख)

११.०७ चयन-समिति की सिफारिशें तथा उनसे सम्बन्धित कार्य-परिषद् की कार्यवाहियाँ अत्यन्त गोपनीय मानी जायेंगी।

धारा २१ (१) (xvii), ३१ तथा ४९ (घ)

११.०८ यदि धारा ३१ (२) के अधीन नियुक्त अध्यापक का कार्य तथा आचरण—

(i) सन्तोषजनक समझा जाय तो कार्य-परिषद् परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है।

(ii) सन्तोषजनक न समझा जाय तो कार्य-परिषद् परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर अध्यापक की सेवायें धारा ३१ के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

धारा ३० तथा ४९ (घ)

११.०९ चयन-समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा।

धारा ३१ तथा ४९ (घ)

११.१० चयन-समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना

सूचना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायगी, नोटिस की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिष्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

धारा ३१ तथा ४९ (घ)

११.११ अभ्यर्थियों को चयन-समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिष्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

धारा ४९ (ख)

११.१२ चयन-समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों मे विहित दरों पर दिया जायगा।

धारा ४९ (ख)

११.१२ (क) [1]'अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में और चयन-समिति की सिफारिश पर कार्य-परिषद् ऐसे अध्यापकों को, जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पाँच अग्रिम वेतनवृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में पाँच से अधिक अग्रिम वेतन-वृद्धि देना आवश्यक हो, तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायगा'[2]।

धारा ४९

११.१२ (ख) *(१) [3]प्रवक्ता से उपाचार्य के पद पर तथा उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति केवल उन्हीं अध्यापकों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने शासनादेश संख्या—५७१४/१५-११-८७-१४ (-)/८७, दिनाङ्क १०-०९-८७ के प्रस्तर-१९ के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नति हेतु निर्धारित समय के अन्दर विकल्प प्रस्तुत किया था।

---

1. उ.प्र. सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३ (१०)-३९, दिनाङ्क २ दिसम्बर, १९८० द्वारा प्रतिस्थापित एवं उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।
2. कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्राङ्क संख्या-ई. ८८४२/जी.एस., दिनाङ्क २९ सितम्बर, १९९९ द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।
3. *११.१२-ख (१) परिनियम ११.०२ या किसी अन्य परिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के विश्वविद्यालय के अध्यापक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर **वैयक्तिक प्रोन्नति** के लिए पात्र होंगे—

उपाचार्य का पद—(i) प्राध्यापक जो पी-एच.डी. हो और इस रूप में कम से कम १३ वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

(ii) प्राध्यापक जो पी-एच.डी. न हो, किन्तु इस रूप में कम से कम १६ वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

आचार्य का पद—उपाचार्य, जिन्होंने इस रूप में कम से कम १० वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

स्पष्टीकरण—'उपाचार्य' का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से होगा, जिसने किसी विश्वविद्यालय में उपाचार्य के रूप में कार्य किया हो।

(२) खण्ड (१) में निर्दिष्ट सेवा किसी अनुमोदित पद पर—

(i) स्थायी, अस्थायी या तदर्थ रूप में की गयी होनी चाहिये;

(ii) इस विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर या अधिस्नातक महाविद्यालय-या संस्थान में इस प्रकार की गयी होनी चाहिये कि कम से कम पाँच वर्ष की स्थायी सेवा अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन-समिति के माध्यम से नियमित चयन के पश्चात् इस विश्वविद्यालय में की गयी हो।

(३) विश्वविद्यालय का अध्यापक, जो वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र हो, परिशिष्ट 'ङ' में दिये गये निदर्श में स्व-मूल्यांकन विवरण कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके संतोषप्रद कार्य के सम्बन्ध में सूचना होगी।

स्पष्टीकरण—'संतोषप्रद कार्य' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापक से प्रत्याशित कार्य के निर्देश में किये गये कार्य से होगा।

(४) अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन-समिति स्व-मूल्यांकन विवरण, सेवा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत चरित्र-पंजी भी है) और ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेखों पर, जो उसके समक्ष रखे जाँय या उसके द्वारा आवश्यक समझे जाँय, विचार करेगी। वैयक्तिक पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिये चयन-समिति का अधिवेशन प्रतिवर्ष कम से कम एक बार होगा।

(५) चयन-समिति कार्य-परिषद् को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी और कार्य-परिषद् खण्ड (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी संस्तुति के आधार पर वैयक्तिक पदोन्नति स्वीकृत करेगी।

(६) प्राध्यापकों को वैयक्तिक पदोन्नति का लाभ केवल उपाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिये अनुमन्य होगा और इस प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्त उपाचार्य, आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिये हकदार नहीं होंगे।

(७) यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति उक्त पद का भार ग्रहण करने के दिनाङ्क से प्रभावी होगी।

(८) वैयक्तिक पदोन्नति के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के अध्यापक के कार्यभार में कोई कमी नहीं की जायगी।

(९) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक वैयक्तिक पदोन्नति के लिये उपयुक्त न पाया जाय तो वह दो वर्ष के पश्चात् ऐसी पदोन्नति के लिये पुनः आवेदन कर सकता है और उसके मामले पर विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के साथ-साथ, जो उस समय तक पात्र हो गये हों, चयन-समिति द्वारा विचार किया जायगा।

(१०) यदि चयन-समिति विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को वैयक्तिक पदोन्नति के लिये उपयुक्त न पाये तो वह कारणों का उल्लेख करेगी।

(११) (i) उपाचार्य या आचार्य के पद को जिस पर वैयक्तिक पदोन्नति की जाय, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य के संवर्ग में अस्थायी वृद्धि समझी जायगी, और पदधारी का उक्त पद पर न रह जाने पर पद समाप्त समझा जायगा।

(ii) उपाचार्य या आचार्य के पद पर जिस पर उसे वैयक्तिक पदोन्नति दी गयी थी, न रह जाने पर, उपाचार्य के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायगी और इसी तरह प्राध्यापक का उपाचार्य के पद पर न रह जाने पर प्राध्यापक के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायगी[१]।

१ उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-२१८०/१५-१०-८५-१३-८६-८०, दिनाङ्क २८ सितम्बर, १९८५ द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

(२) इस योजना का लाभ उन अध्यापकों को अनुमन्य नहीं होगा जो कैरियर एडवान्समेण्ट योजना से आच्छादित हैं।

(३) प्रवक्ता से रीडर के पद पर तथा रीडर से प्रोफेसर के पद पर वैयक्तिक प्रोन्नति विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३१ एवं परिनियमों के अधीन विधिवत् गठित चयन-समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार एवं संस्तुति के उपरान्त देय होगी।

(४) इस योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत रीडर/प्रोफेसर/फेलो के कार्यभार में कोई कमी न होगी, अर्थात् प्रवक्ता के रूप में जितने वादन (पीरियड) वह पढ़ाता था, उतने ही वादन वह रीडर/प्रोफेसर/फेलो के पद पर भी वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति पर भी पढ़ाता रहेगा। यह प्रोन्नति सम्बन्धी अध्यापक के लिये वैयक्तिक होगी। इस प्रोन्नति के कारण कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित अध्यापक को वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत देय प्रोन्नति की तिथि से ०३ माह पूर्व ही कार्यवाही कर देनी चाहिए।

(६) वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत रीडर/प्रोफेसर/फेलो को पदोन्नति का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

(७) यदि कोई अध्यापक चयन-समिति द्वारा प्रोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो वह दो वर्ष के उपरान्त प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है और उपयुक्त पाये जाने पर ऐसे अध्यापक को वैयक्तिक प्रोन्नति का वेतनमान एवं पदनाम का लाभ उनको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य होगा।

(८) वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु अध्यापकों के लिये वही अर्हतायें होगी जो विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम द्वारा उस पद के लिये निर्धारित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु वही पात्र होगा, जिसने रीडर के रूप में कम से कम १० वर्ष की निरन्तर नियमित सेवा कर ली हो।

(९) इस योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने अथवा अन्य किसी प्रकार से पद रिक्त होने पर नयी नियुक्ति उस पद पर की जायगी, जिस पद पर सम्बन्धित अध्यापक की मौलिक नियुक्ति थी।

(१०) अध्यापकों की वरिष्ठता सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायगी।

(११) द्वितीय प्रोन्नति का लाभ इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहमत नही होता है, तो उक्त योजना का लाभ तथा भुगतान की गयी अतिरिक्त धनराशि वसूल कर ली जायगी। इस सम्बन्ध में प्रोन्नति के समय सम्बन्धित शिक्षकों से लिखित आश्वासन प्राप्त कर लिया जाय।

(१२) सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय का लिखित आश्वासन (अण्डर टेकिंग) देना होगा कि उसके मौलिक पद के लिये निर्धारित कार्यभार सम्पादित करता रहेगा।

(१३) यह वैयक्तिक प्रोन्नति योजना उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ द्वारा शासित एवं नियन्त्रित विश्वविद्यालयों के अध्यापकों पर लागू होगी।

(१४) वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत द्वितीय प्रोन्नति का लाभ शासनादेश जारी होने की तिथि से अनुमन्य होगा, किन्तु इस वैयक्तिक प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी प्राध्यापक अथवा उपाचार्य का वेतन निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या—५०१/१५(१५)/८४, दिनाङ्क २५.२.८४ में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

*११.१२ (ग) केरियर एडवांसमेण्ट योजना **[Career Advancement (Scheme)]**—This Career Advancement Scheme applies to the State Universities and Associated/Affiliated Colleges (except the colleges affiliated to Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi) It shall come into force from July 27, 1998. Teachers who have become eligible for Senior Scale/Selection Grade/Reader (Promotion)/Professor (Promotion) under the Career Advancement Scheme in force prior to July 27, 1998 shall be covered by the provisions of Govt. Order No. 91-G.I/14:11:88-14 (5)/87 dated 7th of January, 1989 and Statutes made earlier in this behalf and Govt. Order No. 1309/15-11-90-32/89 Dated March 17, 1990.

With effect from 27th of July, 1998 teachers shall have the opportunities for Career Advancement Scheme (Promotion) as given hereafter :

---

*शासनादेश संख्या-२५५३/सत्तर-१-२०००-३१३१/१९९६, दिनाङ्क ७ नवम्बर, २००० द्वारा बढ़ाया गया एवं संख्या-६३६/सत्तर-१-२००१-३(३)/२०००, दिनाङ्क १३ मार्च, २००१ तथा संख्या-१०८९/सत्तर-१-२००१-३(३)/२०००, दिनाङ्क, ३ मई, २००१ से प्रतिस्थापित।

1. A Lecturer in University or in an affiliated/ associated college will be eligible for placement in Senior Scale. A Lecturer (Senior Scale) may move into the grade of the Lecturer (Selection Grade) or Reader. Minimum length of service for eligibility to move into the grade of lecturer (Senior Scale) would be four years for those with Ph.D. degree, five years for those with M. Phil. degree, six years for others at the level of Lecturer and for eligibility to move into the Grade of Lecturer (Selection Grade)/Reader, the minimum length of service as Lecturer (Senior Scale) shall be uniformly five years.

2. For promotion to the posts of Reader and Professors the minimum eligibility criterion would be Ph.D. or equivalent published work.

3. Only a Reader in the University with a minimum of eight years of service in that grade will be eligible to be considered for appointment as a Professor. Readers in Degree and Post Graduate Colleges will not be eligible for the Post of Professor under Career Advancement Scheme in the colleges.

4. In the case of University, Selection Committee for Lecturer (Selection Grade), Reader and Professor shall be constituted under clause (a) of subsection 4 of section-31 of U.P. State Universities Act 1973.

5. **Senior Scale : Constitution of Screening Committee—**

Placement in Senior Scale will be through a process of Screening Committee to be constituted as under :

(A) In the case of University the Screening Committee shall consist of—

1.	Vice-Chancellor	Chairman
2.	Dean of Faculty concerned	Member
3.	Two experts of the subject to be nominated by the Chancellor	Member
4.	Head of Department concerned	Member

6. Lecturer (Senior Scale)—

A Lecturer will be eligible for placement in a senior scale through the procedure of selection, if she/he has:

(i) Completed 6 years of service after regular appointment with relaxation of one year for those having M.Phil. degree and relaxation of two years for those with Ph.D. degree.

(ii) Participated in one Orientation course and one Refresher course each of three to four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality, as may be specified or approved by the University Grants Commission.

Provided that these Lecturers who have a Ph.D. Degree would be exempted from one Refresher Course.

(iii) Consistently satisfactory Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report as per appendix A&B.

7. Lecturer (Selection Grade)—

Lecturers after completion of five years in the senior scale who do not have Ph.D. degree or equivalent published work and who do not meet the scholarship and research standards, but fulfil the other criteria for the Post of Reader by Direct Recruitment given in these statutes, and have a good record in

teaching and, preferably, have contributed in various ways such as to the corporate life of the institution, examination work or through extension activities and have completed two refresher courses each of at least three to four weeks duration will be placed in the selection grade subject to the recommendations of the selection Committee which is the same, as for promotion to the post of Reader. They will be designated as Lecturers in the Selection Grade.

Provided that a Lecturer in the Selection Grade could offer himself/herself for fresh assessment after obtaining Ph.D. degree and fulfilling other requirements for promotion as Reader and if found suitable could be given the designation of Reader.

8. **Reader (Promotion)**—

A lecturer in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Reader if she/he has:

(i) Completed 5 years of service in the senior scale.

(ii) Obtained a Ph.D. degree or has equivalent published work.

(iii) Made some mark in the areas of scholarship and research as evidenced by self assessment, reports of referees, quality of publications, contribution to educational innovation, design of new courses and curricula and extension activities.

(iv) Participated in two refresher courses/ summer institutes of three to four weeks duration after placement in the Senior Scale, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission.

(v) Possesses consistently good Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report as per appendix A & B respectively.

9. **Constitution of selection committee**—

Promotion as Reader will be through a process of selection by a Selection Committee to be constituted as under :

(A) In the case of University, Selection Committee shall be constituted under clause (a) of Sub-section (4) of section-31 of the U.P. State Universities Act, 1973.

10. *__Professor (Promotion)__—

(1) That a minimum of **8 years experience as a Reader** be an eligibility.

(2) That self-appraisal report for the period including five years before the date of eligibility be submitted.

(3) That minimum of **five research publication out of which two could be the books** be submitted for evaluation/assessment before the interviews.

---

*शासनादेश संख्या-२९६६/६०-९-२००३-८(१४)/२००२, दिनाङ्क २६ नवम्बर, २००३ द्वारा प्रतिस्थापित। दिनाङ्क १ मार्च, २००२ से प्रवृत्त, मूल रूप में—

(१) रीडर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति हेतु रीडर के रूप में कम से कम ८ वर्ष का अनुभव।

(२) अर्हता की तिथि से पूर्व के ५ वर्षों की स्वमूल्याङ्कन आख्या।

(३) कम-से-कम ५ प्रकाशित रिसर्च पेपर जिनमें २ पुस्तकें भी हो सकती हैं को ३ विषयविशेषज्ञों को भेजकर मूल्यांकन आख्या प्राप्त की जाय तथा ३ विशेषज्ञों में से यदि एक विषयविशेषज्ञ की मूल्यांकन आख्या प्रतिकूल हो तो चौथे विषयविशेषज्ञ को मूल्यांकन के लिये भेजा जाय। इस प्रकार ४ विषयविशेषज्ञ में से कम-से-कम तीन की आख्या सकारात्मक हो।

(४) उक्त प्राविधान दिनाङ्क ०१ मार्च, २००२ से प्रभावी होंगे।

(4) That the assessment of the research publication, including books, be done by three eminent experts in the subject which shall be **different** than those called for interview to be conducted later on.

(5) That all the recommendations be positive from the three experts. In case the recommendation of one out of the three is negative, the research publication be sent to the fourth expert for evaluation and assessment. In all, there has to be a **minimum of three positive recommendations** out of the total of four experts, in case the fourth expert has participated in the exercise due to one negative report out of the initially three experts invoived in evaluation.

EXPLANATION —

The requirement of participation in orientation/refresher courses/summer institutes, each of at least 3 or 4 weeks duration, and consistently satisfactory Annual Progress Report and Perfomance Appraisal Report, shall be mandatory requirement for Career Advancement from lecturer to Lecturer (Senior Scale) and From Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

Whereever the reqirement of Orientation/ Refresher courses has remained incomplete, the promotion would not be held up but these requirements must be completed by 31.12.2001.

The requirement for completing these courses would be as follows;

(i) For lecturer to Lecturer (Senior Scale) one orientation course would be compulsory for University and College teachers. Those without Ph.D. would be required to do one refresher course in addition.

(ii) Two refresher courses for Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

(iii) The senior teachers like Lecturers (Selection Grade) and Readers may opt to attend two seminars/conferences in their subject areas and present papers as one aspect of their promotion/selection to higher level or attend refresher courses to be offered by Academic Staff Colleges for this level.

*11. If the number of years required in feeder cadre are less than those stipulated above, thus entailing hardship to those who have completed more than the total number of years in their entire service for eligibility in the cadre, may be placed in the next higher cadre if found suitable by the Selection committee after adjusting the total number of years. This is however, not applicable in the case of promotion from Reader to Professor under Career Advancement scheme.

This situation is likely to arise as, in the earlier scheme of January 1, 1989, the number of years required in a feeder cadre were much more than those envisaged under this order.

Counting of service will be done in the Following manner—

Previous service, without any break as a Lecturer of equivalent, in a university, college, national laboratory, or other scientific organisations, e.g. CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR and as a UGC Research Scientist, should be counted for placement of lecturer in Senior Scale/Selection Grade provided that—

(I) The post was in an equivalent grade/ scale of pay as the post of lecturer;

*कुलाधिपति के प्रमुख सचिव के पत्राङ्क संख्या-९०६/जी.एस., दिनाङ्क १८.२.२००५ द्वारा प्रतिस्थापित।

(II) The qualification for the post were not lower than the qualifications prescribed by the UGC for the post of Lecturer.

(III) The candidate who apply for direct recruitement should apply through proper channels;

(IV) The concerned Lecturers possessed the minimum qualifications prescribed by the UGC for appointment as Lecturer;

(V) The Post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down by the University/State Government/Central Government/ Institution's regulations;

(VI) The appointment was not ad-hoc or in a leave vacancy of less than one year duration. Ad-hoc-service of more than one year duration:

(a) The ad-hoc service was of more than one year duration;

(b) The incumbent was appointed on the recommendation of duly constituted Selection Committee;

(c) The incumbent was selected to the permanent post in continuation to the ad-hoc service, without any break.

12. A teacher of the University who is eligible for career Advancement/Promotion shall submit his application in triplicate along with the Annual Academic Progress Report and the performance Appraisal Report containing information about his satisfactory work to the Registrar of University through the Head of the Department and in the case of teachers of Associated/Affiliated Colleges to the head of the Management/ Director Higher Education through the Principal of the College in the proforma given in appendix A & B annexed herewith.

EXPLANATION—

Satisfactory work shall mean the work done with reference to the work expected from a teacher of the University under the University statutes, ordinances or regulations.

13. (i) The Selection Committee constituted, under section 31 of U.P. State Universities Act for Career Advancement/Promotion shall consider all relevant material and record required under the Statutes to be placed before it.

(ii) In case of University the recommendations of Screening/Selection Committee shall be submitted to the Executive council for decision. If the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Screening/Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and the Chancellor's decision shall be final:

If the Executive Council does not take a decision on the recommendation of the Screening/ Selection Committee within a period of four months from the date of meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final.

(iii) In case of affiliated or associated colleges (other than College maintained exclusively by State Govt.) the recommendations of the Screening/ Selection Committee shall be submitted to the Head of the Management of the College for decision of the Management.

If the Management does not agree with the recommendation made by the Screening/Selection Committee, the management shall refer the matter to the Director, Higher Education alongwith the reasons

of such disagreement and the decision of the Director, Higher Eduoation shall be final. If the Management does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee within a period of four months then also the matter shall stand referred to the Director, Higher Education and his decision shall be final.

(iv) In the cases of Colleges maintained exclusively by the State Govt. the recommendations of the Screening/Selection Committee shall be submitted to the State Govt. for decision and its decision shall be final.

14. If an incumbent lecturer/lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection grade/Reader (Promotion) is found suitable and recommended accordingly for promotion to the next higher Senior Scale/Selection Grade/Reader grade/Professor grade by the duly constituted Screening/Selection Committee at the first instance, the next higher grade would be admissible to him from the date of eligibility or 27th of July 1998 whichever is later, but the designation (if any) shall be given to him from the date of taking over charge.

15. In case the incumbent Lecturer/Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader is not found suitable for Career Advancement Promotion in the first instance, he may offer himself again for such advancement/promotion after every one year, and he shall be considered by the Screening/Selection Commitee alongwith other candidates who have since become eligible. If he is recommended for promotion in the second or subsequent attempts he will be given the grade as well as the designation (if any), from the date of taking over charge as Lecturer in Senior Scale/ Lecturer in Selection Grade/Reader (Promotion)/ Professor (Promotion), as the case may be.

16. The posts of Reader or Professor to which promotion is made, shall be deemed to be in addition to the cadre of Reader or Professor as the case may be upto the date of retirement of the incumbent, and thereafter the post will revert back to its original.

17. No selection of any teacher of the University under the then existing statutes through the duly constituted Selection Committee for making appointment/promotions to teaching post by direct recruitment or by personal promotion or by Career Advancement prior to the coming into force of the present statutes, having had the then requisite minimum qualification as was prescribed at that time shall be affected by the present statutes.

18. (i) Subject experts and the nominee (if any) for the Screening/Selection Committee be nominated for each Calendar year by the Vice-Chancellors/the Director Higher Education well in time to facilitate the Member Convenors to initiate the process of convening the meetings of the Committee, constituted under Career Advancement Scheme. The Screening/Selection Committee shall usually meet within six months and in all cases be definitely convened within a year of the date, a teacher is eligible for promotion.

(ii) Screening/Selection Committee shall meet at the head quarters of the University in the case of the teachers of the University and its Affiliated/ Associated Colleges (other than Colleges maintained exclusively by the State Govt.). In the case of teachers of the colleges maintained exclusively by State Govt. the Committee shall meet in the office of the Director, Higher Education, U.P.

(iii) The majority of the total membership of the Screening/Selection Committee shall form the

quorum of the Committee but the presence of the Chairman and at least one expert shall be necessary.

(iv) No recommendation made by the Screening/Selection Committee shall be considered to be valid unless one of the experts have agreed to the selection.

19. Members of the Selection Committee shall be given not less than 15 days notice of the meeting reckoned from the date of dispatch of such notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

20. Atleast 15 days notice reckoned from the date of dispatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the Selection Committee. The Notice shall be served either personally or by registered post.

21. The work load of Lecturer placed in Selection Grade or Promoted as Reader or Professor under Career Advancement Scheme shall remain unchanged.

भाग- २

सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की अर्हतायें और नियुक्ति

धारा ३१ तथा ४९

११.१३ परिनियम ११.१४ से ११.३२ तक किसी राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से घोषित और प्रबन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू न होंगे।

धारा ३१ तथा ४९

११.१४ सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं) की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी अध्यादेशों में निर्धारित की जाँय।

धारा ३१ तथा ४९

११.१५ प्रबन्धतन्त्र सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अध्यापकों को सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर, पूर्णकालिक आधार पर और सम्बद्ध राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतनमान में चयन-समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त करेगा[1]।

धारा ३१ तथा ४९

११.१६ (१) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिये चयन-समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो), जो अध्यक्ष होगा;

(ख) सम्बद्ध सम्भाग का सम्भागीय उप-शिक्षा-निदेशक।

(ग) किसी उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जिसे कम से कम १० वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा[2]।

(घ) दो विशेषज्ञ, जिन्हें कम से कम १५ वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक या उस महाविद्यालय के जिसके लिए चयन किया जा रहा है, समीप स्थित सम्बद्ध महाविद्यालय में संस्कृत विभाग का प्रधान होगा और दूसरा किसी समान या उच्चतर वर्ग के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

संशोधन के पूर्व निम्न प्रकार से था—

'सम्बद्ध महाविद्यालयों मे प्राचार्य और अध्यापक प्रबन्धतन्त्र द्वारा पदों पर पूर्णकालिक आधार पर और सम्बद्ध राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतन-मान में चयन-समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात् रीति से नियुक्त किये जायेंगे'।

२. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

प्राचार्य या अध्यापक या सम्बद्ध विषय का कोई ऐसा सेवानिवृत्त अध्यापक या अन्य विद्यावान् व्यक्ति होगा, जो उप-शिक्षा-निदेशक के सम्भाग में निवास करता हो, जिन्हें कुलपति द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के उप-शिक्षा-निदेशक द्वारा तैयार किए गये पैनल में नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

परन्तु आधुनिक विषयों के लिए, इस प्रकार तैयार किये गये पैनल में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यालय से भी, जो सम्बन्धित उप-शिक्षा-निदेशक के सम्भाग के आसन्न हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते हैं :

परन्तु यह और कि उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कुलपति ऐसे महाविद्यालयों के, जो उस महाविद्यालय के निकट स्थित हों, जिसके लिए चयन किया जाना है, अध्यापकों और उस महाविद्यालय के, जिसके लिए चयन किया जाना है, निकट निवास करने वाले विद्यावान् व्यक्तियों के अपने द्वारा तैयार किये गये पैनल में से विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट कर सकते हैं[१]।

(२) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न) की नियुक्ति के लिये चयन-समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा;

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य;

(ग) सम्बद्ध जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक;[२]

(घ) दो विशेषज्ञ, जिन्हें कम से कम १० वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जो उस जिले से, जिसमें महाविद्यालय स्थित

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-२१०६/१५-१०-८७-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३० मई, १९८७ द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

२. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-८३८५/१५-१०-८५-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

हो, भिन्न जिले में समान या उच्चतर वर्ग के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक या प्राचार्य या सम्बद्ध विषय का कोई ऐसा सेवानिवृत्त अध्यापक या विद्वान् व्यक्ति होगा, जो उप-शिक्षा-निदेशक के सम्भाग में निवास करता हो, जिन्हें कुलपति द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के उप-शिक्षा-निदेशक द्वारा तैयार किये गये पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा :

परन्तु आधुनिक विषयों के लिये इस प्रकार तैयार किये गये पैनल में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यालय से भी, जो सम्बन्धित उप-शिक्षा-निदेशक के सम्भाग के आसन्न हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते हैं :

परन्तु यह और कि उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित महाविद्यालयो के सम्बन्ध में कुलपति ऐसे महाविद्यालयों के, जो उस महाविद्यालय के निकट स्थित हों, जिसके लिये चयन किया जाना है, अध्यापकों और उक्त महाविद्यालय के निकट निवास करने वाले विद्वान् व्यक्तियों के अपने द्वारा तैयार किये गये पैनल में से विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट कर सकते हैं[१]।

१ उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-२१०६/१५-१०-८७-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३० मई, १९८७ द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

नोट—संशोधन के पूर्व परिनियम **११.१६** (१) तथा **११.१६** (२) इस प्रकार था—

११.१६ (१) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन-समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य; (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो);

(ग) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य महाविद्यालय का एक प्राचार्य और

(घ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ, जिनमें से एक विश्वविद्यालयीय अध्यापकों में से होगा।

धारा ३९ तथा ४९

११.१७ चयन-समिति या प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य, यथास्थिति, चयन-समिति या प्रबन्धतन्त्र के अधिवेशन से बाहर चला जायगा, यदि किसी ऐसे अधिवेशन में सदस्य के किसी नातेदार की (जैसा कि धारा २० के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर ऐसे अधिवेशन में विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

धारा ३९ तथा ४९

११.१८ चयन-समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

धारा ३९ तथा ४९

११.१९ परिनियम ११.१८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी चयन-समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी।

धारा ३९ तथा ४९

११.२० चयन-समिति की सिफारिश और उससे सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र की कार्यवाही गोपनीय होगी।

धारा ३९ तथा ४९

११.२१ किसी ऐसी रिक्ति में (जो किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई रिक्ति न हो) जिसके छः मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, नियुक्ति के लिये कोई चयन (कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्र में)[1] जिसका

(२) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की (प्राचार्य से भिन्न) नियुक्ति के लिये चयन-समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा।

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य (जो निम्नतर श्रेणी का महाविद्यालय न हो); और

(घ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ (जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक होगा)।

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(९)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व शब्द 'कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में' था।

सम्बद्ध राज्य या संघ-क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, विज्ञापन दिये बिना नहीं किया जायगा और विज्ञापन में उस समाचार-पत्र के, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया जाय, निकलने के दिनाङ्क से कम-से-कम तीन सप्ताह का समय सामान्यतः अभ्यर्थियों को दिया जायगा।

धारा ३९ तथा ४९

११.२२ (१) यदि चयन-समिति नियुक्ति के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियों की सिफारिश करे, तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है। जहाँ समिति नामों को अधिमान-क्रम में रखने का विनिश्चय करे, वहाँ यह समझा जायगा कि उसने यह इंगित किया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(२) चयन-समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायगा।

धारा ३९ तथा ४९

११.२३ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अध्यापक की नियुक्ति की दशा में; यदि प्रबन्धतन्त्र चयन-समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो, तो प्रबन्धतन्त्र ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा ३९ तथा ४९

११.२४ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों या अध्यापकों की समस्त नियुक्तियाँ प्रबन्धतन्त्र द्वारा कुलपति के लिखित अनुमोदन के पश्चात् ही की जायेंगी[1]। कुलपति नियुक्ति से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों और अन्य पत्रादि मँगा सकता है और यदि उसकी राय में इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उस मामले पर

१ उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३(९)-८२, दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व 'किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों तथा अध्यापकों की प्रबन्धतन्त्र द्वारा की गयी समस्त नियुक्तियाँ कुलपति के अनुमोदनार्थ होंगी' था।

पुन: विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए उसे प्रबन्धतन्त्र को वापस कर देगा। कुलपति और प्रबन्धतन्त्र के बीच मतैक्य न होने की स्थिति में वह मामला कार्य-परिषद् को निर्दिष्ट किया जायगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा ३१ तथा ४९ ११.२५ स्थायी रिक्तियों में नियुक्त प्रत्येक प्राचार्य और अध्यापक एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

धारा ३१ तथा ४९ ११.२६ जब किसी निम्नतर श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालय की श्रेणी को बढ़ाया जाय और उसे उच्चतर श्रेणी में रखा जाय, तो ऐसा महाविद्यालय एक मास के भीतर कुलपति को वर्तमान प्राचार्य और अध्यापकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा और कुलपति के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह वर्तमान प्राचार्य और अध्यापकों को उस उच्चतर श्रेणी में, जिसमें महाविद्यालय रखा गया है, प्राचार्य और अध्यापक के रूप में अनुमोदन करें :

परन्तु यदि वह प्राचार्य या अध्यापक ऐसी उच्चतर श्रेणी के महाविद्यालय के लिए प्राचार्यों या अध्यापकों के लिए परिनियमों या अध्यादेशों में विहित अर्हताएँ या अन्य अपेक्षायें पूरी न करता हो, तो कुलपति प्रबन्धतन्त्र से पद का विज्ञापन करने और नया चयन तथा नियुक्ति करने की अपेक्षा करेगा।

धारा ३१ तथा ४९ ११.२७ सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति का अधिवेशन प्रबन्धतन्त्र के प्रधान के आदेश से बुलाया जायगा।

धारा ३१ तथा ४९ ११.२८ चयन-समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिष्ट्री डाक द्वारा दी जायगी।

धारा ३१ तथा ४९ ११.२९ अभ्यर्थियों को चयन-समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिष्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

धारा ३१ तथा ४९ ११.३० सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति के सदस्यों का यात्रा तथा दैनिक भत्ता सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायगा।

धारा ३१ तथा ४९ ११.३१ मौलिक रूप से या परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई प्राचार्य या अध्यापक अधिवार्षिता से भिन्न किसी अन्य आधार पर, कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना सेवा से हटाया नहीं जायगा।

धारा ३१ तथा ४९ ११.३२ किसी प्राचार्य या अध्यापक—

(क) ऐसी रिक्ति में जिसके छ: मास से अधिक बने रहने की सम्भावना न हो;

(ख) दस मास से अनधिक अवधि के लिए किसी प्राचार्य या अध्यापक को स्वीकृत छुट्टी के कारण होने वाली रिक्ति में, और

(ग) किसी अस्थायी पद के प्रति अस्थायी रिक्ति में;

स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति के लिए कुलपति का अनुमोदन आवश्यक न होगा।

धारा ३१ तथा ४९ ११.३३ (१) महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, कुलपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के परामर्श से, दस मास से अनधिक अवधि के लिए किसी पदधारी को स्वीकृत छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में चयन-समिति को अभिदेश किये बिना, किसी अध्यापक को स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकता है; किन्तु किसी ऐसी रिक्ति या पद को जिसके छ: मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, बिना ऐसा अभिदेश किये, नहीं भरेगा।

(२) जहाँ कोई अध्यापक किसी ऐसे अस्थायी पद पर, जिसके छ: मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो और तत्पश्चात् ऐसा पद स्थायी पद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, (चयन-समिति को अभिदेश करने के पश्चात्) नियुक्त किया जाय, वहाँ प्रबन्धतन्त्र चयन-समिति को पुन: अभिदेश किये बिना ऐसे अध्यापक को उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर सकता है।

अध्याय-१२

भाग-१

सम्बद्ध महाविद्यालयों का वर्गीकरण

धारा ३७ (२)

१२.०१ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित चार श्रेणी के होंगे :—

(१) **स्नातकोत्तर उपाधि महाविद्यालय**—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय, जो आचार्य पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर महाविद्यालय होंगे—

(क) महाविद्यालय में कम से कम '६०'[1] छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलीगत हों;

(ख) विश्वविद्यालय की शास्त्री और आचार्य परीक्षा में कम से कम १५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम ३५ प्रतिशत उक्त परीक्षा में सफल हों।

(२) **उपाधि महाविद्यालय**—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय, जो शास्त्री पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के उपाधि महाविद्यालय होंगे :—

(क) महाविद्यालय में कम से कम '५०'[2] छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलीगत हों;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रथमा से शास्त्री तक की परीक्षा में कम से कम ३० छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम-से-

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं उक्त तिथि से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व अङ्क '४०' था।

कम १० छात्र शास्त्री परीक्षा में सम्मिलित हों और उनमें कम-से-कम ३५ प्रतिशत उक्त परीक्षाओं मे सफल हों।

(३) **उत्तर माध्यमिक विद्यालय**—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय, जो उत्तर मध्यमा पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के उत्तर माध्यमिक विद्यालय होंगे—

(क) महाविद्यालय में कम से कम '४०'[1] छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलीगत हों;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रथमा से उत्तर मध्यमा तक की परीक्षा में कम से कम २५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम १० छात्र उत्तर मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हों और उनमें से कम मे कम ३५ प्रतिशत छात्र उक्त परीक्षाओं मे सफल हों।

(४) **पूर्व माध्यमिक विद्यालय**—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय, जो पूर्व मध्यमा पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के पूर्व माध्यमिक विद्यालय होंगे—

(क) महाविद्यालय में कम से कम '३५'[2] छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलीगत हों;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रथमा से मध्यमा परीक्षाओं मे कम से कम १५ छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम ५ छात्र पूर्व मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हों, उनमें कम-से-कम ३५ प्रतिशत छात्र उक्त परीक्षा में सफल हों।

१२.०२ वर्तमान सम्बद्ध महाविद्यालय को परिनियम १२.०१ के अनुसार विगत दो वर्षों में नामावलीगत छात्रों की संख्या, विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों की संख्या और

धारा ३७ (२)

१. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं उक्त तिथि से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व अङ्क '३५' था।

२. वही संशोधन के पूर्व अङ्क '२५' था।

उनके परीक्षाफल के आधार पर, यथास्थिति, वर्गीकरण या पुनः वर्गीकरण किया जायगा।

धारा ३७ (२) तथा ३७ (८)

१२.०३ यदि सम्बद्ध महाविद्यालय सम्बन्धित श्रेणी के लिए विहित शर्तें पूरी न करता हो या जिसने विहित शर्तें पूरी करना छोड़ दिया हो, तो ऐसे महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता निलम्बित की जा सकेगी।

परन्तु सम्बद्धता पुनर्जीवित की जा सकती है, जबकि सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्धता के निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर अपने से सम्बन्धित श्रेणी के लिए विहित शर्तों को पूरा कर ले :

परन्तु यह और कि यदि महाविद्यालय सम्बद्धता के निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में विहित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऐसे महाविद्यालय को दी गई सम्बद्धता वापस ले ली जायगी।

●

भाग- २

नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.०४ किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह वर्ष के, जिससे सम्बद्धता माँगी गयी हो, पूर्ववर्ती ३१ दिसम्बर तक (१०० रूपये विलम्ब शुल्क के साथ ३१ जनवरी तक) कुलसचिव के पास पहुँच जाय[1]।

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित। संशोधन के पूर्व १२.०४ इस प्रकार था—

'**१२.०४** किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र के, जिसके सम्बन्ध में सम्बद्धता माँगी गयी है, प्रारम्भ होने के कम से कम छः मास पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय;

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति, संस्कृत शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकता है, जहाँ तक वह आवश्यक समझे'।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.०५ '(१) उत्तर मध्यमा तक किसी महाविद्यालय की स्थिति में ५०० रूपये की धनराशि का और अन्य मामलों में १००० रूपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो विश्वविद्यालय को देय हो;

(२) उप-शिक्षा निदेशक (संस्कृत) की सिफारिश, जो जिला विद्यालय निरीक्षक से जहाँ महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हो, विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् की जायगी।

(३) सम्बद्ध सरकार की सिफारिश और सरकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट, जहाँ महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित हो'[1]।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.०६ सम्बद्धता चाहने वाला प्रत्येक महाविद्यालय निम्नलिखित ब्योरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का समाधान करेगा, अर्थात्—

(क) परिनियम १२.०७ और १२.०८ के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।

(ख) पाँच किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर (ग्रामीण क्षेत्रों में) और एक किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर (नगर क्षेत्रों में) आवेदित विषय में मान्यता प्राप्त कोई अन्य सम्बद्ध संस्था नहीं है।

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित। संशोधन के पूर्व इस प्रकार था—

'**१२.०५** (१) किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय ५०० रूपये की धनराशि का एक बैंक-ड्राफ्ट होगा, जिसे वापस नहीं किया जायगा।

(२) उत्तर-प्रदेश राज्य के भीतर किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे :—

(क) समस्त सुसंगत विषयों पर संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक या सम्बद्ध रीजन के संस्कृत पाठशालाओं के सहायक निरीक्षक की विस्तृत रिपोर्ट और

(ख) उपशिक्षा निदेशक (संस्कृत) उत्तर-प्रदेश की सिफारिश।

(३) उत्तर-प्रदेश के बाहर सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे—

(क) समस्त सुसंगत विषयों पर सम्बद्ध सरकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट और—

(ख) सम्बद्ध सरकार की सिफारिश'।

(ग) सम्बद्ध प्रबन्धतन्त्र ने अपनी ऐसी उपयुक्त और पर्याप्त भवन की व्यवस्था की है या उसकी व्यवस्था करने के लिये उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों, जिसमें :—

(एक) पर्याप्त पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, सज्जा और प्रयोगशाला सुविधायें हों।

(दो) संस्था के नाम पर पर्याप्त भूमि हो।

(तीन) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिये सुविधाएँ हों।

(घ) निम्नलिखित दर के अनुसार आरक्षित निधि और पूर्त निधि है, जो सम्बद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक के पास गिरवी रखा जायगा :—

संस्था की श्रेणी	पूर्त निधि	आरक्षित निधि
१. स्नातकोत्तर	२५,००० रूपया (नकद या सम्पत्ति)	३,००० रूपया नकद
२. स्नातक	२०,००० रूपया (नकद या सम्पत्ति)	२,००० रूपया नकद
३. उत्तर मध्यमा	१५,००० रूपया (नकद या सम्पत्ति)	१,००० रूपया नकद
४. पूर्व मध्यमा	१०,००० रूपया (नकद या सम्पत्ति)	८०० रूपया नकद।

टिप्पणी : शर्त (घ) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय के मामले में लागू नहीं होगी[1]।

१. उत्तर-प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित। संशोधन के पूर्व १२.०६ इस प्रकार था—

'१२.०६ सम्बद्धता चाहने वाला प्रत्येक महाविद्यालय निम्नलिखित व्यौरों के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय का समाधान करेगा, अर्थात्—

(क) परिनियम १२.०७ और १२.०८ के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है;

१२.०७ सरकार या किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप में प्रबन्धित महाविद्यालय से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय के संविधान में यह व्यवस्था होगी कि— धारा ३७ (२) तथा ४१ (ङ)

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतन्त्र का पदेन सदस्य होगा;

(ख) प्रबन्धतन्त्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं);

(ग) (१) अध्यापक खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य हैं;

(ग)-(२) प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेतर कर्मचारियों में से होगा, जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायगा[1];

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतन्त्र के कोई दो सदस्य धारा २० के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत एक-दूसरे के नातेदार न होंगे;

(ख) संस्था उस क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा की माँग पूरी करती है;

(ग) सम्बद्ध प्रबन्धतन्त्र ने—

(i) उपयुक्त और पर्याप्त भवन;

(ii) पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, उपस्कर और प्रयोगशाला की पर्याप्त सुविधा।

(iii) पर्याप्त भूमि।

(iv) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिये सुविधा।

(v) कम से कम तीन वर्ष के लिये महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते के भुगतान की व्यवस्था की है या उसके पास उपर्युक्त की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त संसाधन है'।

उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३ (१०)-७९ दिनाङ्क २ दिसम्बर, १९८० द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

(ङ) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नही किया जायगा;

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतन्त्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धतन्त्र वैध रूप से गठित है या नही, तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा;

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज को ऐसी सोसायटी/न्यास/बोर्ड मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने को तैयार है।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.०८ कोई महाविद्यालय जो किसी ऐसे पाठ्यक्रम मे सम्बद्धता चाहता हो, जिसमें प्रयोगशाला-कार्य या व्यावसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय का निम्नलिखित के सम्बन्ध में अग्रतर समाधान करेगा :—

(क) प्रत्येक शाखा के लिए पृथक् प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और उनमें से प्रत्येक उपयुक्त रूप से सुसज्जित है; और

(ख) प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त साधित्र और उपस्कर की व्यवस्था है।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.०९ (१) किसी ऐसे पाठ्यक्रम में, जिसमे प्रयोगशाला-कार्य या व्यावसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की दशा मे यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिनियमो में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो, आवेदन-पत्र कार्य-परिषद् के समक्ष रखा जायगा, जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयो के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक पैनल नियुक्त करेगी। निरीक्षक पैनल का व्यय सम्बद्धता चाहने वाली संस्था द्वारा वहन किया जायगा।

(२) खण्ड (१) में उल्लिखित पाठ्यक्रम से भिन्न किसी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की दशा में कुलपति

महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए या तो निरीक्षक पैनल नियुक्त कर सकता है या, यदि पूर्ववर्ती परिनियमों में उल्लिखित विषयो के सम्बन्ध में उसका समाधान हो जाय तो, परिनियम १२.०५ की अपेक्षानुसार आवेदन-पत्र के साथ की रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और आवेदन-पत्र को कार्य-परिषद् के समक्ष रखेगा :

परन्तु कार्य-परिषद् के समक्ष सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र रखे जाने के पूर्व विश्वविद्यालय को महाविद्यालय का निरीक्षण या पुनः निरीक्षण की छूट होगी।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१० साधारणतया सभी निरीक्षण सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनाङ्क से चार मास के भीतर पूरे कर दिये जायेंगे। कार्य-परिषद् द्वारा सम्बद्धता के लिए कोई आवेदन-पत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जायगा, जब तक कि सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की वित्तीय सुस्थिति और उपलब्ध संसाधनों के सम्बन्ध में उसका समाधान न हो जाय।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.११ '(१) सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन-पत्र को कार्य-परिषद् के समक्ष रखे जाने के पूर्व, उसका परीक्षण सम्बद्धता समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) कार्य-परिषद् का एक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति	सदस्य
(ग) शिक्षा निदेशक, उत्तर-प्रदेश या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद से कम का न होगा।	सदस्य
(घ) निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उत्तर-प्रदेश या उसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जो किसी राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के पद से कम का न होगा।	सदस्य
(ङ) कुल-सचिव	सदस्य-सचिव

(२) सम्बद्धता के आवेदन-पत्र पर विनिश्चय साधारणतया उस वर्ष के, जिसमें कक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, १५ मई के पूर्व किया जायगा'[1]।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१२ जहाँ किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बद्धता दी जाय, वहाँ महाविद्यालय तब तक छात्रों को भर्ती या रजिष्टर नहीं करेगा, जब तक कि कुलपति ने सम्यक् रूप से निरीक्षण के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया हो कि विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित शर्तें सम्यक् रूप से पूरी कर ली गयी हैं। यदि महाविद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने में कुलपति के समक्ष व्यावहारिक कठिनाइयाँ हों, तो वह महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए किसी अर्ह व्यक्ति अथवा किन्हीं अर्ह व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

●

भाग- ३

नई उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१३ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नई उपाधि के लिए अथवा नये विषयों में शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र की,

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं उक्त तिथि से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व १२.११ इस प्रकार था—

'**१२.११** सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन-पत्र को कार्य-परिषद् के समक्ष रखे जाने के पूर्व उसका परीक्षण कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त सात सदस्यों की समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें निरीक्षक संस्कृत पाठशाला, उत्तर-प्रदेश पदेन सदस्य और कुलसचिव पदेन सदस्य और सचिव होंगे। किसी आवेदन-पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया साधारणतया उस वर्ष की, जिसमें कक्षायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, १५ मई तक पूरी कर ली जायगी'।

जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, ३१ जुलाई के पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय :

परन्तु किसी ऐसे पाठ्यक्रम में, जिसमें प्रयोगशाला-कार्य अपेक्षित हो, या शिक्षाशास्त्र में सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र परिनियम १२.०४ के अनुसार दिया जायगा और परिनियम १२.०९ के उपबन्ध भी लागू होंगे।

१२.१४ प्रत्येक महाविद्यालय, जो किसी नई उपाधि के लिए या नये विषय में सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र दे, अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक विषय के लिए ५० रूपया तथा अधिक से अधिक २५० रूपये (दो सौ पचास रूपये) की धनराशि भेजेगा, जो वापस नही की जायगी। परिनियम १२.०५ (२) और १२.०५ (३) के उपबन्ध भी लागू होंगे। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१५ किसी नये विषय में सम्बद्धता के लिए किसी आवेदन-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जायगा, जब तक कि कुलसचिव लिखित रूप में यह प्रमाणपत्र न दे दें कि सम्बद्धता और/ या पूर्व सम्बद्धता की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१६ यदि कुलपति का ऐसी सम्बद्धता दिये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में समाधान हो जाय और यदि महाविद्यालय ने पिछली सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा कर दिया हो और बराबर पूरा कर रहा हो तो आवेदन-पत्र सम्बद्धता समिति की सिफारिश से कार्य-परिषद् के समक्ष रखा जायगा। परिनियम १२.०९ के उपबन्ध भी लागू होंगे। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१७ साधारणतया सभी निरीक्षण १५ सितम्बर तक पूरे कर लिए जायेंगे, जिससे कि विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा समय से कर सके। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१८ नई उपाधियाँ अथवा अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र देने वाले किसी सम्बद्ध महाविद्यालय पर परिनियम १२.१२ द्वारा आरोपित निर्बन्धन लागू होंगे। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

●

भाग - ४

सम्बद्धता का बना रहना

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१९ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रों के महाविद्यालय में प्रवेश लेने, निवास तथा अनुशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करेगा।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.२० प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने ऐसे भवनों, पुस्तकालयों तथा उपस्कर और उपकरण सहित प्रयोगशालायें और अपने ऐसे अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों की सेवायें भी उपलब्ध करायेगा, जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सञ्चालन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.२१ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक-वर्ग में ऐसी अर्हता के अध्यापक होंगे, जिन्हें ऐसी वेतन-श्रेणी दी जायगी और जो सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो समय-समय पर अध्यादेशों में अथवा उस निमित्त जारी किये गये सम्बन्धित सरकार के आदेशों में निर्धारित की जायें।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.२२ यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक प्राचार्य के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक सम्यक् रूप से चयन किया गया प्राचार्य पद ग्रहण न कर ले, परन्तु ऐसा अध्यापक ऐसी अवधि में वही वेतन आहरित करेगा, जिसे वह अध्यापक के पद पर पाने का हकदार है और उसे प्राचार्य के पद का वेतन नहीं मिलेगा[1]।

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३ (५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित एवं उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व परिनियम १२.२२ इस प्रकार था—

'**१२.२२** किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक प्राचार्य के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक कि सम्यक् रूप से चयन किया गया प्राचार्य पद न सम्भाल ले'।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.२३ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय परिनियमों या अध्यादेशों में दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा।

परन्तु इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की दशा में कुलपति ऐसे महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से परिनियम १२.०५ और १२.०६ में दी गई शर्तों में से ऐसी शर्तों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है, जिन्हें कुलपति युक्तियुक्त समझें;

परन्तु यह और कि यदि ऐसे महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कुलपति द्वारा जारी की गई अपेक्षाओं की विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूर्ति नहीं करता तो कुलपति परिनियम १२.३१ से १२.३५ के अनुसार सम्बद्धता वापस लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

धारा ३७ (५) तथा ४९ (ङ)

१२.२४ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय प्रति वर्ष १५ अगस्त तक प्राचार्य से कुलसचिव को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि सम्बद्धता के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती जा रही हैं।

धारा ३७ (५) तथा ४९ (ङ)

१२.२५ प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये अपेक्षित रजिष्टरों को रखेगा और समय-समय पर कुलसचिव को ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षा की जाय, विवरण प्रस्तुत करेगा।

धारा ३७ (५) तथा २८३ ४९ (ङ)

१२.२६ महाविद्यालय के अध्यापक-वर्ग के ऐसे समस्त पदों के सम्बन्ध में जो रिक्त हों, सूचना उनके रिक्त होने के दिनाङ्क से पन्द्रह दिन के भीतर कुलसचिव, सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशाला, जिला विद्यालय निरीक्षक और सम्बद्ध सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक को दी जायगी[1]।

धारा ३७ (५) तथा ४९ (ङ)

१२.२७ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन-कक्ष में व्याख्यान के

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३ (५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा बढ़ाया गया तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

प्रयोजनार्थ ६० से अधिक न होगी और कुलपति के पूर्वानुमोदन के सिवाय कोई नया अनुभाग प्रारम्भ नहीं किया जायगा।

धारा ४९ (ण)

१२.२८ जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उन व्यक्तियों के द्वारा, जिनके सम्बन्ध में 'सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक' के द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुत: उनके कब्जे और नियन्त्रण में है, अधिनियम तथा इन परिनियमों के प्रयोजनार्थ ऐसे महाविद्यालय का, जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबन्धतन्त्र गठित होने की मान्यता दी जा सकती है;

परन्तु इस परिनियम के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, 'सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक' दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण—इस बात का अवधारण करने के लिए कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुत: किसके कब्जे तथा नियन्त्रण में है 'सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक' संस्था की निधियों और उसके वास्तविक प्रशासन पर, संस्था की सम्पत्ति से होने वाली आय की प्राप्ति पर नियन्त्रण, ऐसी अन्य सुसंगत परिस्थितियों को, जिनका अवधारणार्थ प्रश्न के लिये महत्त्व हो, ध्यान में रखेगा[१]।

१२.२९ सम्बद्धता का बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शर्तों और विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये आदेशों और निदेशों का बराबर पालन किया जा रहा है।

●

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३ (५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा 'कुलपति' के स्थान पर 'सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक' शब्द संशोधित तथा प्रतिस्थापित एवं उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

भाग-५

सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण

धारा ३७ (६) तथा ४९ (ङ)

१२.३० (१) जहाँ कार्य-परिषद्, अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण कराये, वहाँ वह महाविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणाम और उसके सम्बन्ध में अपने विचार सूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रबन्धतन्त्र को निदेश दे सकता है।

(२) जहाँ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र कार्य-परिषद् के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे, वहाँ परिषद् प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और प्रबन्धतन्त्र ऐसे निदेशों का पालन करेगा। निदेशों का पालन न करने पर कार्य-परिषद्, परिनियम १२.३३ के अधीन अथवा अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

(३) यदि किसी कारणवश पूर्ववर्ती निरीक्षण के पाँच वर्ष के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण कराना सम्भव न हो तो निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, या सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट को विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये निरीक्षण की रिपोर्ट माना जायगा।

●

भाग-६

सम्बद्धता वापस लेना

धारा ३७ (८) तथा ४९ (ङ)

१२.३१ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायगी, यदि वह लगातार 'तीन वर्षों तक'[१] विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे।

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३ (५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व अङ्क 'पाँच' वर्ष था।

धारा ३७ (८) तथा ४९ (ङ)

१२.३२ कार्य-परिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में छात्रों का प्रवेश न करने का निदेश दे सकती है, यदि कार्य-परिषद् की राय में सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की उपेक्षा की गई हो। किन्तु कार्य-परिषद् की पूर्वानुज्ञा से उसके सन्तोषानुसार शर्तें पूरी कर लेने पर कक्षायें पुन: प्रारम्भ की जा सकती हैं।

धारा ३७ (८)

१२.३३ यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की उपेक्षा करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस के जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करे तो कार्य-परिषद् कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए सम्बद्धता निलम्बित कर सकती है, जब तक कि कार्य-परिषद् के सन्तोषानुसार शर्तें पूरी न कर दी जाँय।

धारा ३७ (८) तथा ४९ (ङ)

१२.३४ (१) कार्य-परिषद् कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो पूर्णत: अथवा किसी उपाधि या विषय में सम्बद्धता के विशेषाधिकारों से वंचित कर सकती है, यदि वह कार्य-परिषद् के निदेशों का अनुपालन न करे या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा न करे या घोर कुप्रबन्ध के कारण या किसी अन्य कारण से कार्य-परिषद् की यह राय हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता से वंचित किया जाना चाहिए।

(२) यदि अध्यापकवर्ग के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय, अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो, जिसके लिए वे परिनियमों या अध्यादेशों अथवा सम्बद्ध सरकार के आदेशों के अधीन हकदार थे, तो सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता इस परिनियम के अर्थान्तर्गत वापस ली जा सकती है।

धारा ३७ (२), ३७ (८) तथा ४९ (ङ)

१२.३५ कार्य-परिषद् पूर्ववर्ती परिनियमों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व महाविद्यालय से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बद्धता की शर्तों में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।

वित्त-सम्परीक्षा तथा लेखा

धारा ४९

१२.३६ (क) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र की सहायता के लिये एक वित्त-समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) प्रबन्धतन्त्र का सभापति अथवा सचिव, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) प्रबन्धतन्त्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य;

(iii) प्राचार्य (पदेन);

(iv) प्रबन्धतन्त्र का ज्येष्ठतम अध्यापक सदस्य (पदेन)।

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त-समिति का सचिव होगा और वह अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा।

धारा ४२

१२.३७ वित्त-समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र-निधि को छोड़कर) तैयार करेगी, जिसे प्रबन्धतन्त्र के समक्ष उसके विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायगा।

धारा ४९

१२.३८ ऐसा नया व्यय, जो महाविद्यालय के बजट में पहिले से न ही सम्मिलित हो, वित्त-समिति को निर्दिष्ट किये बिना नहीं किया जायगा।

धारा ४९

१२.३९ बजट में व्यवस्थित आवर्ती व्यय का नियन्त्रण किन्हीं विनिर्दिष्ट निदेशों के अधीन रहते हुए, जो वित्त-समिति द्वारा दिये जायें, प्राचार्य द्वारा किया जायगा।

धारा ४९

१२.४० सभी छात्र-निधि प्राचार्य द्वारा विभिन्न समितियों की, जैसे कि खेलकूद-समिति, पत्रिका-समिति, अध्ययनकक्ष-समिति और इसी प्रकार की अन्य समिति, जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होगी।

धारा ४९

१२.४१ छात्र-निधि के लेखों की सम्परीक्षा प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह सम्परीक्षक द्वारा, जो उसके सदस्यों में से न होगा, की जायगी। सम्परीक्षा फीस महाविद्यालय की छात्र-निधियों पर विधि-सम्मत प्रभार होगी। सम्परीक्षा रिपोर्ट प्रबन्धतन्त्र के समक्ष रखी जायगी।

धारा ४९

१२.४२ छात्र-निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय अन्य निधि में अन्तरित नहीं की जायगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं लिया जायगा।

अध्याय-१३

अधिछात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, निर्धन-छात्रवृत्ति, पदक तथा पारितोषिक

धारा ७ (१२) तथा ४९ (न)

१३.०१ विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ (जिसमें यात्रिक अधिछात्रवृत्ति भी सम्मिलित है), छात्रवृत्तियाँ, निर्धन-छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक संस्थित और प्रदान कर सकता है।

धारा ४९

१३.०२ समस्त विन्यास और वसीयत निम्नलिखित रूप में होंगी :—

(क) नकद रूप में कोई धनराशि या ऐसे न्यास प्रतिभूति के रूप में, जिसकी वार्षिक आय ५०० रूपये से कम हो।

(ख) कोई स्थावर सम्पत्ति, जिसका वार्षिक लाभ ५०० रूपये से कम न हो।

धारा ४९

१३.०३ सभी न्यास, चाहे वह वसीयत, दान के रूप में या सम्पत्ति-अन्तरण के रूप में हो, उन समस्त मामलों में जिनमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रजिष्ट्रीकरण आवश्यक हो, लिखित रूप में और रजिष्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया जायगा।

धारा ४९

१३.०४ कार्य-परिषद् इस निमित्त बनाये गये अध्यादेश के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, निर्धन-छात्रवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करने की शर्तें अवधारित करेगी।

अध्याय-१४

उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

१४.०१ डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी.लिट्.) अथवा महामहोपाध्याय की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा वेदवेदाङ्ग, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, श्रमणविद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकायों को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायगी। धारा ७ (६) १० (२) तथा ४९ (ज)

१४.०२ कार्य-परिषद् स्वत: अथवा विद्या-परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा की जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को धारा १० (२) के अधीन पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है : धारा ७ (६) १० (२) तथा ४९ (ज)

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

१४.०३ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिये धारा ६७ के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायगा। कुलसचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिष्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायगी कि वह आरोपों की प्राप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। धारा ४९ (१) तथा ६७

१४.०४ सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व-स्वीकृति अपेक्षित होगी। धारा ४९ (१) तथा ६७

अध्याय- १५

दीक्षान्त-समारोह

धारा ४९ (द) १५.०१ (१) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार ऐसे दिनाङ्क को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य-परिषद् नियत करे, एक दीक्षान्त-समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(२) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दीक्षान्त-समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(३) दीक्षान्त-समारोह में धारा ३ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, जिनसे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।

धारा ४९ (द) १५.०२ सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानीय दीक्षान्त-समारोह ऐसे दिनाङ्क को और ऐसे समय पर, जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पूर्वानुमोदन से नियत करे, आयोजित किया जा सकता है।

परन्तु स्थानीय दीक्षान्त-समारोह का, यदि कोई हो, दिनाङ्क सम्बद्ध वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-समारोह के दिनाङ्क के पूर्व न होगा।

धारा ४९ (द) १५.०३ दो या अधिक महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त दीक्षान्त-समारोह परिनियम १५.०२ में विहित रीति से आयोजित किया जा सकता है।

धारा ४९ (द) १५.०४ इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त-समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

धारा ४९ (द) १५.०५ जहाँ विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये परिनियम १५.०१ से परिनियम १५.०४ के अनुसार दीक्षान्त-समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो, वहाँ उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिष्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

अध्याय- १६

भाग- १

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

धारा ४९ (घ) १६.०१ परिनियम १०.०३ (१) में निर्दिष्ट नियुक्ति या किसी अध्यापक को १० मास से अनधिक के लिए छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुई रिक्ति में धारा ३१ (३) के अधीन नियुक्ति या धारा १३ (६) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अध्यापक **परिशिष्ट 'ख'** में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

धारा ४९ (घ) १६.०२ विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और **परिशिष्ट 'ग'** में दी गयी आचरण-संहिता का पालन करेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।

धारा ४९ (घ) १६.०३ **परिशिष्ट 'ग'** में दी गई आचरण-संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लङ्घन परिनियम १६.०४ (१) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायगा।

धारा ४९ (घ) १६.०४ (१) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं :

(क) कर्त्तव्य की जान-बूझकर उपेक्षा;

(ख) दुराचरण;

(ग) सेवा-संविदा की किसी शर्त का उल्लङ्घन;

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये दोषसिद्धि;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति।

(२) धारा ३१ (२) में की गयी व्यवस्था के सिवाय संविदा समाप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने पर नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायगी, या ऐसी नोटिस के बदले में, यथास्थिति, तीन मास (या उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया या वापस किया जायगा।

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय खण्ड (१) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या यदि कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों का उल्लङ्घन किये जाने के कारण समाप्त करे, वहाँ ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

धारा ३२ (२) तथा ४९ (घ)

१६.०५ धारा ३२ में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनाङ्क के तीन मास के भीतर रजिष्ट्रीकरण के लिये कुलसचिव के यहाँ जमा की जायगी।

धारा २१ (१) (xvii) तथा ४९ (घ)

१६.०६ (१) परिनियम १६.०४ के खण्ड (१) में उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए सिद्ध दोष होने या पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक कि अध्यापक को, उसके विरुद्ध आरोप लगाकर, उसकी सूचना जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसके विवरण सहित न दे दी जाय, और उसको :—

(i) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु कार्य-परिषद् या उसके द्वारा जाँच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी साक्षी को बुलाने से इनकार कर सकता है।

(२) कार्य-परिषद् किसी समय, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनाङ्क से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(३) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी।

(४) कार्य-परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है, अर्थात् अधिक से अधिक तीन वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करना, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियाँ रोकना और अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के यदि कोई हो, वेतन से (किन्तु जीवन-निर्वाह भत्ते से नहीं) वञ्चित करना।

धारा २१ (१) (xvii) तथा ४९ (घ)

१६.०७ (१) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो परिनियम ८.०१ में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम १६.०४ के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ करने का विचार है, तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जाँच करने का विचार था।

(२) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—

(क) यदि किसी अपराध के लिये दोष-सिद्धि की स्थिति में, उसे ४८ घण्टे से अधिक का कारावास का दण्ड दिया जाय और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त पदच्युत न किया जाय या सेवा से हटाया न जाय, तो उसकी दोषसिद्धि के दिनाङ्क से,

(ख) किसी अन्य स्थिति मे, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाय, चाहे निरोध किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिये, निलम्बित समझा जायगा।

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट ४८ घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की सविराम अवधि पर भी यदि कोई हो, विचार किया जायगा।

(३) जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जाँच करने का विनिश्चय करे, वहाँ यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने से ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनाङ्क को और से प्रवृत्त है।

(४) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में (समय-समय पर यथासंशोधित) उत्तर-प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड २ के भाग २ के अध्याय ८ के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, निर्वाह-भत्ता पाने का हकदार होगा।

धारा २१ (१) (xvii) तथा ४९ (घ)

१६.०८ परिनियम १६.०६ के खण्ड (२) या परिनियम १६.०७ के खण्ड (१) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, वह अवधि, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

धारा ३४ (१)

१६.०९ विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में धारा ३४ (१) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के कुल योग के छठें भाग या तीन हजार रूपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा[1]।

धारा ४९ (घ)

१६.१० इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—

(i) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधानमण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा;

(ii) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनाङ्क के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनाङ्क से या इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनाङ्क से, जो भी पश्चाद्वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा;

(iii) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम १६.११ द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये विश्वविद्यालय से त्याग-पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण— इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के

---

१ उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३ (१०)-७९ दिनाङ्क २ दिसम्बर, १९८० द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व परिनियम १६.०९ इस प्रकार था—

'**१६.०९** विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को उस विश्वविद्यालय द्वारा सञ्चालित परीक्षाओं के सम्बन्ध मे किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायगा'।

संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद नहीं समझा जायगा।

धारा ४९ (घ) १६.११ कार्य-परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा।

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधानमण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो, तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा।

●

भाग- २

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम

धारा ४९ (घ) १६.१२ छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी :—

(क) आकस्मिक छुट्टी;

(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी;

(ग) बीमारी की छुट्टी;

(घ) कर्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी;

(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी;

(च) असाधारण छुट्टी;

(छ) प्रसूति छुट्टी।

धारा ४९ १६.१३ **आकस्मिक छुट्टी** पूर्ण वेतन पर दी जायगी, जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

१६.१४ एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की **विशेषाधिकार की छुट्टी** पूर्ण वेतन पर होगी और वह ६० कार्य-दिवस तक सञ्चित की जा सकती है। धारा ४९

१६.१५ **बीमारी की छुट्टी**, वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रबन्ध किया जाय, तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम के कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये दी जायगी और सञ्चित नहीं होगी। धारा ४९ (घ)

१६.१६ विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो, अथवा जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षायें सञ्चालित करने के लिये १५ कार्य-दिवस तक की **कर्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी** पूर्ण वेतन पर दी जायगी। धारा ४९ (घ)

१६.१७ किसी एक सत्र में एक मास के लिए **दीर्घकालीन छुट्टी**, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक सञ्चित की जा सकती है, उन कारणों से, जैसे—लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति-पूर्वता के लिये दी जा सकती है; धारा ४९ (घ)

परन्तु, ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पाँच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है।

परन्तु यह और कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्य-परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है :

'परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'अध्यापक अधिछात्रवृत्ति' के लिये या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिये किया गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी अधिछात्रवृत्ति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है'[१]।

[१] उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३-(३०)-७९, दिनाङ्क २ दिसम्बर, १९८० द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित

धारा ४९ (घ) १६.१८ **असाधारण छुट्टी** बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से, जिन्हें कार्य-परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये दी जा सकती है; किन्तु परिनियम १६.१० में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, यह विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है[१]।

स्पष्टीकरण—(१) कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिये स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतन-वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—(२) राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड २ भाग २ से ४ फण्डामेन्टल नियम २७ के अनुसार अपना वेतन समय-मान में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा, जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन, जिसके लिये छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोक-हित में रहा हो[१]।

तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व परिनियम १६.१७ का तृतीय परन्तुक इस प्रकार था—

'परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'अध्यापक अधि-छात्रवृत्ति' के लिये किया गया हो, ऐसे अन्य निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, अधि-छात्रवृत्ति की अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है।

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-२१०२/१५-१०-८४-१५-(३)-८४, दिनाङ्क १४ मई, १९८४ द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित। संशोधन के पूर्व परिनियम १६.१८ इस प्रकार था—

'यह ऐसे कारणों से दी जा सकती है, जिन्हें कार्य-परिषद् उचित समझे, किन्तु परिनियम १६.१० में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर यह कभी भी ३ वर्ष से अधिक अवधि के लिये स्वीकृत नहीं की जायगी।

१६.१९ अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिये **प्रसूति छुट्टी**, जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनाङ्क से तीन मास तक अथवा प्रसवावस्था के दिनाङ्क से छः सप्ताह तक, जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। धारा ४९ (घ)

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा-अवधि में तीन बार से अधिक नही दी जायगी।

१६.२० छुट्टी अधिकारस्वरूप नहीं माँगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृति प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है और पहिले स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है। धारा ४९ (घ)

१६.२१ किसी रजिष्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण, दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी १४ दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिष्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण-पत्र माँगने के लिए सक्षम होगा। धारा ४९ (घ)

१६.२२ दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य-परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायगी, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा। धारा ४९ (घ)

भाग-३

अधिवर्षिता की आयु

१६.२३ इस भाग में, पद नये 'वेतनमान' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित शासनादेश संख्या-शिक्षा ११-९०४५/१५- धारा ४९

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३-(१६)-७९, दिनाङ्क २ दिसम्बर, १९८० द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

१४ (७)-७३, दिनाङ्क २८ दिसम्बर, १९७४ के अनुसार किसी अध्यापक को अनुमन्य वेतनमान से है।

धारा ४९ १६.२४ *(१) नये वेतनमान द्वारा नियन्त्रित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता आयु बासठ वर्ष होगी।

(२) विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अध्यापक की अधिवर्षिता आयु, जो नये वेतनमान द्वारा नियन्त्रित न हो, बासठ वर्ष होगी।

विशेष—जो अध्यापक दिनाङ्क ०१-०७-२००३ के पश्चात् अधिवर्षिता आयु-पूर्ण कर सत्रान्त लाभ पर चल रहे हैं, उन्हें भी अधिवर्षिता आयु-वृद्धि सम्बन्धी लाभ प्रदान किया जायगा।

(३) इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनाङ्क के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा में अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त कोई वृद्धि नहीं की जायगी।

---

*शासनादेश संख्या-२१३/सत्तर-२-२००४-१६(७९)/९९ टी.सी. दिनाङ्क ४ फरवरी, २००४ द्वारा साठ वर्ष के स्थान पर बासठ वर्ष प्रतिस्थापित एवं प्रवृत्त—मूलशासनादेश—

१. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शासन द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षिता आयु में वृद्धि कर दी जाय।

२. अतः श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों मे शासन द्वारा सृजित पदों पर कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षिता आयु को ६० वर्ष से बढ़ाकर ६२ वर्ष किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। फलस्वरूप ५८ वर्ष की अधिवर्षिता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक लाभ ६० वर्ष की अधिवर्षिता आयु पर तथा ६० वर्ष की अधिवर्षिता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक लाभ ६२ वर्ष की अधिवर्षिता आयु पर अनुमन्य होंगे।

३. श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि जो शिक्षक ०१-०७-२००३ के पश्चात् अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सत्रान्त लाभ पर चल रहे हैं, उन्हें भी अधिवर्षिता आयु-वृद्धि सम्बन्धी लाभ प्रदान किया जायगा।

४. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उनकी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

'परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनाङ्क ३० जून न हो, तो वह शिक्षा-सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती ३० जून तक सेवा में बना रहेगा और अपनी अधिवर्षिता के दिनाङ्क के ठीक अनुवर्ती दिनाङ्क से आगामी ३० जून तक पुनर्नियोजित समझा जायगा।

परन्तु यह और भी कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे अध्यापकों को, जिन्हें १९४२ के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया हो और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन मिल रही हो, उनकी अधिवर्षिता के दिनाङ्क से आगामी ३० जून के पश्चात् एक वर्ष की अग्रतर अवधि के लिये पुनर्नियुक्त किया जायगा और उनकी पुनः नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो, एक वर्ष की अग्रतर अवधि के लिये पुनः नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है'[१]।

धारा ४९ १६.२५ विश्वविद्यालय का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो १ अगस्त, १९७५ को परिनियम १६.२४ में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त बढ़ायी गयी सेवा-अवधि में कार्य कर रहा था और इस प्रकार बढ़ाई गई सेवा अवधि उक्त दिनाङ्क के पूर्व स्वीकृत की गयी थी, उक्त दिनाङ्क को प्रवृत्त परिनियमावली और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार बढ़ाई गयी अवधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जायगा;

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-४३६१/१५-१०-८०-१५(६९)-८० दिनाङ्क ८ अक्टूबर, १९८०, पुनः संख्या-२००८, १५-१०-८२-१५(९६)/८० दिनाङ्क ३० जून, १९८२ तथा संख्या-३५९९/१५/१५-१०-८५-१० (६)-८५ दिनाङ्क २९ जून, १९८५ तथा ३६५७/१५-१०-८५-१५ (१८५)-८४ दिनाङ्क ३ सितम्बर, १९८५ तथा ५६४४/१५-१०-८७-१० (६)/८५ दिनाङ्क १८ दिसम्बर, १९८७ एवं ४४०५/१५-१०-८८-१५(१८५)/८४ दिनाङ्क ३० जून, १९८८ द्वारा समय-समय पर संशोधित एवं परिवर्धित संशोधनों के पूर्व इस प्रकार था—'परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनाङ्क ३० जून को न हो, तो वह अध्यापक शिक्षा-सत्र के अन्त तक, अर्थात् अनुवर्ती ३० जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनाङ्क के ठीक अनुवर्ती दिनाङ्क से आगामी ३० जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

किन्तु ऐसा अध्यापक नये वेतनमान का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

धारा ४९ १६.२६ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनाङ्क परिनियम १६.२४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस अध्यापक के बासठवें जन्म के दिनाङ्क के ठीक पूर्व का दिनाङ्क होगा।

●

भाग - ४

अन्य उपबन्ध

धारा ४९ १६.२७ इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'ग' के साथ पठित परिशिष्ट 'ख' में दिये गये पत्र की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायेगी।

धारा ४९ १६.२८ परिनियम १६.०४ (१) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी विश्वविद्यालय या ऐसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा।

धारा ४९ १६.२९ (१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट 'घ' के प्रपत्र ३ में अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रति में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(२) मूल रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व, विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(३) किसी शिक्षा-सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चाद्वर्ती हो दी जायगी।

धारा ४९ १६.३० विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा सञ्चालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

धारा ४९ १६.३१ जहाँ अधिनियम द्वारा इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक नगर में न हो, वहाँ ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिष्ट्री डाक से भेजी जा सकती है।

●

अध्याय-१७

भाग-१

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा-शर्तें

धारा ४९ (ण) १७.०१ इस अध्याय के उपबन्ध किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नहीं होंगे :

धारा ४९ (ण) १७.०२ किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति में नियुक्ति को छोड़कर सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'घ' में दिये गये यथास्थिति, प्रपत्र (१) या (२) में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

धारा ४९ (ण) १७.०३ (१) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार-संहिता का पालन करेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले करार का एक भाग होगा।

(२) परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार-संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लङ्घन परिनियम १७.०४ (१) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायगा।

धारा ४९ (ण) १७.०४ (१) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक (प्राचार्य को छोड़कर) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं :—

(क) कर्तव्य की जान-बूझकर उपेक्षा;

(ख) दुराचरण, जिसके अन्तर्गत प्राचार्य के आदेशों की अवज्ञा भी है;

(ग) संविदा की किसी शर्त का उल्लङ्घन;

(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए सिद्ध-दोष होना;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता;

(ज) 'सरकार'[१] के पूर्वानुमोदन से पद का समाप्त किया जाना।

(२) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य खण्ड (१) में उल्लिखित कारणों से किसी एक या अधिक कारण से या महाविद्यालय के निरन्तर कुप्रबन्ध के कारण पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(३) सिवाय खण्ड (४) में की गयी व्यवस्था के, सेवा-संविदा समाप्त करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायगी, या ऐसी नोटिस के बदले में तीन मास (या उपर्युक्त दीर्घावधि) का वेतन यथास्थिति, दिया या वापस किया जायगा।

परन्तु प्रबन्धतन्त्र खण्ड (१) या खण्ड (२) के अधीन किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या जब कोई अध्यापक प्रबन्धतन्त्र द्वारा संविदा की शर्तों में से किसी का उलङ्घन किये जाने के कारण उसे समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी;

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८२-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा 'कुलपति' के स्थान पर शब्द 'सरकार' प्रतिस्थापित एवं उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त को अधित्यजित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

(४) अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवायें किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

धारा ४२ (ग) १७.०५ किसी प्राचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनाङ्क के तीन मास के भीतर रजिष्ट्रीकरण के लिये विश्वविद्यालय के पास जमा की जायगी।

धारा ४१ (ग) १७.०६ (१) परिनियम १७.०४ के खण्ड (१) में उल्लिखित किसी कारण से किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध-दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक कि अध्यापक के विरुद्ध आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय और उसे—

(i) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने के लिए, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;

परन्तु प्रबन्धतन्त्र या उसके द्वारा जाँच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इनकार कर सकता है।

(२) प्रबन्धतन्त्र किसी समय, साधारणतया जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनाङ्क से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकता है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(३) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी और अनुमोदन के लिए कुलपति को उसकी रिपोर्ट की जायगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगा, जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे।

(४) प्रबन्धतन्त्र, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकता है, अर्थात्—

(१) विनिर्दिष्टावधि के लिए वेतन कम करना;

(२) तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकना; तथा

(३) उसको निलम्बन की अवधि में, यदि कोई हो, वेतन से, जिसके अन्तर्गत निर्वाह भत्ता नहीं है, वंचित करना।

प्रबन्धतन्त्र द्वारा ऐसा दण्ड देने के संकल्प की सूचना कुलपति को दी जायगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा, जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय।

१७.०७ यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो प्रबन्धतन्त्र उसको परिनियम १७.०४ के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिए शक्ति-सम्पन्न होगा। किसी आपात स्थिति में (प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धतन्त्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राचार्य द्वारा किया जायगा। प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतन्त्र को शीघ्र देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ करने का विचार है, तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् चार सप्ताह की समाप्ति पर भङ्ग हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या आरोपों की सूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जाँच कराये जाने का विचार था। धारा ४१ (ग)

१७.०८ परिनियम १७.०६ के खण्ड (२) और परिनियम १७.०७ के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में ऐसी धारा ४१

कोई अवधि, जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश कायम हो, सम्मिलित नही की जायगी।

धारा ४९ १७.०९ सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में धारा ३४ (१) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के छठें भाग या तीन हजार रूपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा[1]।

धारा ४९ १७.१० इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—

(i) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधानमण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा;

(ii) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनाङ्क के पूर्व से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनाङ्क से या इस परिनियमावली के आरम्भ होने के दिनाङ्क से, जो भी पश्चाद्वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा।

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३(१०)-७९ दिनाङ्क २ दिसम्बर, १९८० द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व परिनियम १७.०९ इस प्रकार था—

'(१) विश्वविद्यालय के प्रयोज्य वेतनमान मे वेतन पाने वाले किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा सञ्चालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायगा।

(२) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष मे धारा ३४ (१) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी कर्तव्य के लिये तीन हजार रूपये या विश्वविद्यालयों के अध्यापकों पर प्रयोज्य वेतनमान में वेतन पाने वाले अध्यापकों की दशा में उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने २ मास के औसत वेतन, जो भी कम हो, से अधिक कुल पारिश्रमिक नहीं लेगा'।

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि मे या परिनियम १७.११ द्वारा उपबन्धित के सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये, महाविद्यालय से त्याग-पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नही की जायगी।

स्पष्टीकरण—इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिकीय पद नहीं समझा जायगा।

१७.११ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र कुलपति धारा ४९
के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा, जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहाँ महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान-मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायगा, जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो, तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा।

भाग- २

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम

१७.१२ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी धारा ४९
नियम से सम्बद्ध परिनियम १६.१२ से १६.२२ के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे, मानो क्रमशः शब्द 'कार्य-परिषद्' और 'कुलपति' के स्थान पर शब्द 'प्रबन्धतन्त्र' और 'प्राचार्य या निर्देशक' रखे गये हों।

भाग - ३

अधिवर्षिता की आयु

धारा ४९

१७.१३ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु से सम्बन्धित परिनियम १६.२३ से १६.२६ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होंगे।

●

भाग - ४

अन्य उपबन्ध

धारा ४९ (ण)

१७.१४ इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अन्य अध्यापक और प्रबन्धतन्त्र के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'ग' के साथ पठित परिशिष्ट 'घ' में दिये गये यथास्थिति प्रपत्र (१) या (२) की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायगी।

धारा ३५ तथा ४९ (ण)

१७.१५ परिनियम १७.०४ (१) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा।

धारा ४९ (ण)

१७.१६ परिनियम १६.०७ के खण्ड (२) से (४), परिनियम १६.२९, १६.३० और १६.३१ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक पर निम्नलिखित परिष्कार के साथ लागू होंगे, अर्थात्—

(क) परिनियम १६.०७ के खण्ड (२) से (४) में, क्रमशः 'कुलपति' और 'कार्य-परिषद्' के स्थान पर शब्द 'प्रबन्धतन्त्र' और 'कुलपति' रख दिये जायेंगे।

(ख) परिनियम १६.२९ में शब्द 'कुलपति' और 'विभागाध्यक्ष' के स्थान पर शब्द 'प्राचार्य' रख दिया जायगा।

●

अध्याय - १८

भाग - १

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा १६ (४) तथा ४९ (घ)

१८.०१ इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा १६ (४) तथा ४९ (घ)

१८.०२ कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

धारा ४९ (घ)

१८.०३ संकायों के संकायाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा;

परन्तु जब दो या इससे अधिक संकायाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

धारा ४९ (घ)

१८.०४ विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा;

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

धारा ४९ (घ)

१८.०५ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा।

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(ख) 'एक ही संवर्ग में वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायगी;

परन्तु जहाँ सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय में की गयी हों और यथास्थिति, चयन-समिति या कार्य-परिषद् द्वारा अधिमानता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियन्त्रित होगी;

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत पद पर थी'[१]।

(ग) जब (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान में 'चाहे वह उत्तर-प्रदेश राज्य में या उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित हो'[२] मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पंक्ति की श्रेणी के पद पर 'चाहे पहली अगस्त १९८१ के पूर्व या उसके पश्चात्'[३] नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा-अवधि को उसके सेवा-काल में सम्मिलित किया जायगा।

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक 'चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात्'[४]

---

१. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-२१८०/१५-१०-८५-९(६)-८० दिनाङ्क २८ सितम्बर, १९८५ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-१५१/१५-१०-८२-११(१२)-८१ दिनाङ्क ५ अप्रैल, १९८२ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. वही।

४. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३-(१०)-७९ दिनाङ्क २ दिसम्बर, १९८० द्वारा बढ़ाया गया तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा-अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा-अवधि में सम्मिलित किया जायगा।

(ङ) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रशासकीय नियुक्ति के प्रति की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में, पद 'प्रशासकीय' नियुक्ति का तात्पर्य धारा १३ की उपधारा (६) के अधीन की गयी नियुक्ति से है।

(च) ऐसे अस्थायी पद पर अनवरत सेवा की, जिस पर कोई अध्यापक चयन-समिति को निर्देश किये जाने के पश्चात् नियुक्त किया जाय, और यदि उसके पश्चात् धारा ३१ (३) (ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाय, गणना ज्येष्ठता के लिये की जायगी।

१८.०६ जहाँ एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायगी— धारा ४९ (घ)

(i) आचार्यों की स्थिति में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(ii) उपाचार्यों की स्थिति में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(iii) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा की अवधि उतनी ही हो, तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

१८.०७ जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है, वहाँ ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायगी। धारा ४९ (घ)

धारा ४९ (घ)

१८.०८ (१) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य-परिषद्—

(क) चयन-समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे, तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय ऐसे अध्यापकों का योग्यता-क्रम अवधारित करेगी;

(ख) चयन-समिति की सिफारिशों से सहमत न हो, और धारा ३१ (८) (क) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे, तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों का योग्यता-क्रम अवधारित करेंगे।

(२) ऐसे योग्यता-क्रम की, जिसमें खण्ड (१) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जाँय, सूचना सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

धारा ९९ (झ) तथा ४९ (घ)

१८.०९ (१) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे, जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे;

परन्तु उस संकाय का, जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(२) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायगा, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(३) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनाङ्क से साठ दिन के भीतर कार्य-परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य-परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

भाग-२

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा ४९ (ण)

१८.१० सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा :—

(क) प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(ख) उच्चतर श्रेणी के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य निम्नतर श्रेणी के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(ग) उच्चतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय के किसी विशिष्ट संवर्ग का कोई अध्यापक निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय के ऐसे संवर्ग के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(घ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता उसी श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों में अवधारित की जायगी;

(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनाङ्क से अनवरत सेवा-काल के अनुसार अवधारित की जायगी;

(च) प्रत्येक हैसियत में (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में) की गई सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार कार्य-भार ग्रहण करने के दिनाङ्क से की जायगी;

(छ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उसी श्रेणी के किसी अन्य महाविद्यालय में मौलिक रूप से की गई सेवा को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायगा; परन्तु ऐसे अन्य महाविद्यालय की सेवा उसी संवर्ग और उसी श्रेणी की हो;

(ज) एक ही श्रेणी के महाविद्यालयों के अध्यापकों में उच्चतर संवर्ग या श्रेणी का अध्यापक निम्नतर संवर्ग या श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(झ) अन्यत्र सेवा के लिए ली गई छुट्टी की अवधि की गणना ज्येष्ठता के लिए नहीं की जायगी।

धारा ४२ (ण) १८.११ जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहाँ ऐसे अध्यापक की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायगी :—

(i) प्राचार्यों की स्थिति में निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(ii) अध्यापकों की स्थिति में, निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय में उसी संवर्ग में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(iii) यदि दो या अधिक प्राचार्य अथवा अध्यापक समान अवधि की मौलिक सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, और उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता पूर्ववर्ती किन्हीं उपबन्धों के अधीन अवधारित न की जा सके तो ऐसी ज्येष्ठता आयु की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायगी।

धारा ४२ (ण) १८.१२ जहाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में प्राचार्य या अध्यापक के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहाँ केवल प्राचार्य या ऐसे अध्यापक के रूप में की गई सेवा की गणना की जायगी और जहाँ दो या अधिक प्राचार्य या अध्यापक इस प्रयोजन के लिए समान अवधि की मौलिक सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहाँ उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता आयु की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायगी।

धारा ४२ (ण) १८.१३ (१) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किये जाँय, तब उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यता-क्रम में, जिसमें चयन-समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी, अवधारित की जायगी।

(२) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (१) के अधीन अवधारित की गई हो तो उसकी सूचना प्रबन्धतन्त्र द्वारा अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

धारा ४२ (ण) १८.१४ एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनाङ्क से साठ दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। यदि कुलपति, प्राचार्य से सहमत न हों तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेंगे।

धारा ४२ (ण) १८.१५ सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेंगे। कुलपति के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनाङ्क से साठ दिन के भीतर कार्य-परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य-परिषद् कुलपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

धारा ४२ (ण) १८.१६ (१) परिनियम १८.०८ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि क्रमशः 'कार्य-परिषद्' और 'कुलाधिपति' के स्थान पर शब्द 'प्रबन्धतन्त्र' और 'कुलपति' रख दिये जायेंगे।

(२) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों की सापेक्ष-ज्येष्ठता सूची इस अध्याय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तैयार की जायगी और रखी जायगी।

(३) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों में उच्चतर संवर्ग या श्रेणी का अध्यापक निम्नतर संवर्ग या श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(४) इस अध्याय में दिये गये परिनियम से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व महाविद्यालय में नियोजित एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय- १९

छात्रावास

धारा ४९ १९.०१ विश्वविद्यालय अपने छात्रों के निवास के लिए छात्रावास या छात्रावासों का अनुरक्षण करेगा।

धारा ४९ १९.०२ कार्य-परिषद्, पूर्ववर्ती परिनियम में निर्दिष्ट छात्रावास या छात्रवासों का नियन्त्रण और प्रबन्ध करेगी। छात्रावास का आन्तरिक प्रशासन और अनुशासन एक वार्डेन में निहित होगा, जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। वार्डेन के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। वार्डेन के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति शेष अवधि के लिए कुलपति द्वारा भरी जायगी।

धारा ४९ १९.०३ विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावास में निवास करने के लिये शर्तें अध्यादेश द्वारा विहित की जायेंगी और प्रत्येक छात्रावास का निरीक्षण छात्रकल्याण के संकायाध्यक्ष, कुलपति या कार्य-परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा किया जायगा।

धारा ४९ १९.०४ छात्रकल्याण का संकायाध्यक्ष ऐसे छात्रों के, जिन्हें छात्रावास में स्थान न मिल सके, अन्य निवास-स्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिये कार्य-परिषद् को सिफारिश कर सकता है।

धारा ४९ १९.०५ प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो किसी छात्रावास या मान्यता-प्राप्त निवास स्थान में निवास न करता हो, शिक्षकीय सहायता और अनुशासनिक पर्यवेक्षण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो अध्यादेश में विहित किये जाँय, किसी छात्रावास से सम्बद्ध रहेगा।

अध्याय- २०

अध्यापकों और शिक्षा संस्थाओं की मान्यता

२०.०१ विद्या-परिषद् की सिफारिश पर कार्य-परिषद् उन अध्यापकों को जो लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् हों— धारा ७ तथा ४९

(क) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी को पढ़ाने और तैयार करने,

(ख) विश्वविद्यालय की अनुसन्धान उपाधि के लिए अभ्यर्थियों को अनुसन्धान-कार्य के लिए मार्ग-दर्शन करने और तैयार करने के लिए मान्यता दे सकती है।

२०.०२ विद्या-परिषद् की सिफारिश पर कार्य-परिषद् किसी शिक्षा-संस्था को विश्वविद्यालय की अनुसन्धान उपाधि के लिये अभ्यर्थियों को, जो परिनियम २०.०१ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक के मार्गदर्शन में अपना अनुसन्धान-कार्य करेंगे, तैयार करने की मान्यता दे सकती है। धारा ७ तथा ४९

२०.०३ परिनियम २०.०१ और २०.०२ के अधीन अध्यापकों या किसी विश्वविद्यालय या किसी शिक्षा संस्थान को मान्यता देने की रीति अध्यादेशों द्वारा विहित की जायगी। धारा ४९

अध्याय- २१

प्रकीर्ण

धारा ४९ तथा ६४ २१.०१ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सभी निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा परिशिष्ट 'क' में निर्धारित रीति से होंगे।

धारा ७ २१.०२ धारा ७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा सञ्चालित किसी परीक्षा में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे सकता है; परन्तु—

(क) ऐसा व्यक्ति अध्यादेशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता हो; और

(ख) ऐसी परीक्षा ऐसे विषय या शिक्षा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित न हो, जिसमें व्यावहारिक परीक्षा पाठ्यक्रम का भाग हो।

धारा ७ २१.०३ परिनियम २१.०२ का उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित पत्राचार पाठ्यक्रम पर लागू होगा।

२१.०४ इस परिनियमावली या विश्वविद्यालय के अध्यादेश में दी गयी किसी बात के होते हुए भी—

(i) किसी विद्या वर्ष में ३१ अगस्त के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा सञ्चालित सभी परीक्षाएँ ३० अप्रैल तक पूरी हो जायेंगी, और

(iii) १५ जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे :

'परन्तु १९८६-८७ के विद्या-सत्र के लिये विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें १५ जून, १९८७ तक पूरी की जा सकती हैं और सभी परीक्षाफल ३१ जुलाई, १९८७ तक घोषित किये जा सकते हैं और

सत्र १९८७-८८ के लिये प्रवेश १५ सितम्बर, १९८७ तक पूरे किये जा सकते हैं'[1]।

२१.०५ किसी अभ्यर्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी.एड. परीक्षा के, या एल.एल.बी. के किसी एक वर्ष की परीक्षा के या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के, एक प्रश्न-पत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है'[2]।

धारा ४९ (घ) २१.०६ [3](१) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा इससे सम्बद्ध ऐसे महाविद्यालय/विद्यालय, जो राज्य सरकार से सहायता-प्राप्त हैं और अशासकीय हैं, में सेवारत शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय में इस परिनियमावली के परिशिष्ट 'च' में उपबन्धित 'सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली' के अनुसार सेवायोजन प्रदान किया जाय।

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-३२७४/१५-१०-८७-१५ (३८२)-८६, दिनाङ्क ८ जुलाई, १९८७ द्वारा बढ़ाया गया तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

२. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-४१७२/१५-१०-८८-१५ (३८२)-८६ दिनाङ्क १५ जून, १९८८ द्वारा प्रतिस्थापित एवं संशोधित। संशोधन के पूर्व परिनियम २१.०५ जो ८ जुलाई १९८७ से बढ़ाया गया था, इस प्रकार है—'२१.०५' विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्याङ्कन नहीं किया जायगा और अनुपूरक परीक्षायें सञ्चालित नहीं की जायेंगी;

परन्तु परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी.एड. परीक्षा के किसी एक वर्ष के एक प्रश्न-पत्र में या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के एक प्रश्न-पत्र में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

३. कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र-संख्या ई. ५०३७/जी.एस. दिनाङ्क १४ जून, १९९९ द्वारा बढ़ाया गया।

(२) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् 'उत्तर-प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली १९९४, में उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधन/परिवर्तन के अनुरूप इस नियमावली को स्वत: संशोधित परिवर्तित समझा जाय।

धारा ३३ तथा ४९

२१.०७ [1](१) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इस परिनियमावली के संलग्न परिशिष्ट 'छ' में उपबन्धित नियमावली के अनुसार मृत्यु तथा सेवानिवृत्तिक आनुतोषिक लाभ प्रदान किया जायेगा।

(२) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधन/परिवर्तन के अनुरूप इस नियमावली को स्वत: संशोधित/परिवर्तित समझा जायेगा।

धारा ३३ तथा ४९

२१.०८ [2](१) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इस परिनियमावली के परिशिष्ट 'ज' में विहित कार्यकारी सिद्धान्त के अनुसार सामान्य भविष्य-निधि की सुविधा प्राप्त होगी।

(२) सामान्य भविष्यनिधि के लाभ की अनुमन्यता, उसके लेखों के रख-रखाव एवं सञ्चालन तथा अन्य विषय, जिनका उल्लेख परिशिष्ट 'ज' में नहीं है, के सम्बन्ध में वही नियम व प्रक्रिया लागू होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जाय।

●

---

१. कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र-संख्या ई. ७८१५/जी.एस. दिनाङ्क २७ अगस्त, १९९९ द्वारा बढ़ाया गया।

२. कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र-संख्या ई. जी.एस. दिनाङ्क १ जून, १९९९ द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय- २२

अधिभार

परिभाषायें

२२.०१ जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनियमावली में—

(१) 'परीक्षक' का तात्पर्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर-प्रदेश से है।

(२) सरकार का तात्पर्य उत्तर-प्रदेश सरकार से है।

(३) 'विश्वविद्यालय का अधिकारी' का तात्पर्य अधिनियम की धारा ९ के खण्ड (ख), (ग) और (ङ) से (ज) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और परिनियम २.०१—क के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

२२.०२ (१) किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है, तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाय और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनाङ्क से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायगा :

परन्तु कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से माँगा जायगा।

टिप्पणी :—(१) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जाँच के लिये अपेक्षित कोई

सूचना और समस्त सम्बन्धित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा (या यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में हों, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायगा और दिखाया जायगा।

(२) खण्ड (१) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण माँग सकता है—

(क) जहाँ व्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लङ्घन में किया गया हो;

(ख) जहाँ हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च टेण्डर स्वीकार करने से हुई हो;

(ग) जहाँ विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लङ्घन में किया गया हो;

(घ) जहाँ विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो;

(ङ) जहाँ विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को, ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(३) उस अधिकारी की, जिससे स्पष्टीकरण माँगा गया हो, लिखित अध्यपेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधायें देगा। परीक्षक, सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्ति-युक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियन्त्रण से परे कारणों से नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण—अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लङ्घन करके कोई नियुक्ति करने को अवचार करना समझा जायगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग समझा जायेगा।

२२.०३ विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिए, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है :

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथक्तः देनदार होगा :

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के दिनाङ्क से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनाङ्क से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी पश्चादवर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी न होगा।

२२.०४ परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को, जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनाङ्क से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

२२.०५ (१) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसे आदेश संसूचित किये जाने के दिनाङ्क से साठ दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो उक्त दिनाङ्क से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाय, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा

परन्तु यदि परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरुद्ध परिनियम २२.०४ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो, तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियाँ आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(२) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

२२.०६ जहाँ अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाय और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहाँ वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चे का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा और विश्वविद्यालय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब के करे[१]।

●

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-९२९/१५-१०-८५-१५-(७५)-३३ दिनाङ्क २० मार्च, १९८५ द्वारा खण्ड २२ बढ़ाया गया तथा २६ दिसम्बर, १९७८ से प्रवृत्त।

परिशिष्ट-'क'

(परिनियम ४.१० और २१.०१ देखिए)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन

भाग-१

सामान्य

१. जब तक कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो—

(i) 'अभ्यर्थी' का तात्पर्य निर्वाचन लड़ने के लिए सम्यक् रूप से अर्ह, ऐसे व्यक्ति से है, जो सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट किया गया हो;

(ii) 'अनवरत अभ्यर्थी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो न तो निर्वाचित हुआ हो और न किसी समयविशेष पर मतदान से अपवर्जित हुआ हो;

(iii) 'निर्वाचक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिए सम्यक् रूप से अर्ह हो;

(iv) 'निःशेष पत्र' का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है, जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रतर अधिमान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जायगा, यदि—

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे अनवरत हों या न हों, समान अङ्क से चिह्नित हों और उनका स्थान अधिमान-क्रम में अगला हो; या

(ख) अधिमान-क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह अनवरत हो या न हो—

(१) ऐसे अङ्क से चिह्नित हो, जो मतपत्र में किसी अन्य अङ्क के पश्चात् क्रमानुसार न हो; या

(२) दो अथवा अधिक अङ्कों से चिह्नित हो।

(v) 'प्रथम अधिमान मत' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है, जिसके नाम के सामने मतपत्र में अङ्क '१' लिखा हो, 'द्वितीय अधिमान मत' का तात्पर्य ऐसे

अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है, जिसके नाम के सामने अङ्क '२' लिखा हो; 'तृतीय अधिमान मत' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है, जिसके नाम के सामने अङ्क '३' लिखा हो और इसी क्रम में आगे भी लिखा हो;

(vi) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में 'मूल मत' का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत से है, जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये प्रथम अधिमान अभिलिखित हो;

(vii) 'कोटा' का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्याङ्क से है, जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त हो;

(viii) 'आधिक्य' का तात्पर्य उस संख्या से है, जितने से किसी अभ्यर्थी के मूल और संक्रमित मतों का मूल्याङ्कन कोटा से अधिक हो;

(ix) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, 'संक्रमित मत' का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत से है, जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए, द्वितीय अथवा उसके बाद वाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्याङ्कन या मूल्याङ्क का भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़ा जाय;

(x) 'अनि:शेषपत्र' का तात्पर्य ऐसे मतपत्र से है, जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए अग्रतर अधिमान अभिलिखित हो।

२. कुलसचिव रिटर्निङ्ग आफिसर होगा, जो सभी निर्वाचनों के सञ्चालन के लिये उत्तरदायी होगा।

३. कुलपति—

(i) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए परिनियम के उपबन्धों के अनुरूप दिनाङ्क नियत करेगा तथा उसे आपातिक स्थिति में इन दिनाङ्कों में परिवर्तन करने की, सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनियम के उपबन्धों का उल्लङ्घन होता हो, शक्ति होगी।

(ii) सन्देह की दशा में किसी अभिलिखित मत की वैधता अथवा अवैधता का विनिश्चय करेगा।

४. सभा के रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन (तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिनके विषय में कुलपति सुविधा तथा मितव्ययता के कारण निर्देश दे) डाक द्वारा मत-पत्र से किया जायगा। अन्य निर्वाचन सम्बन्धित प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशनों में किया जायगा।

५. मतपत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा—

विश्वविद्यालय का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा निर्वाचन—

अभ्यर्थियों के नाम तथा अधिमान-क्रम १, २, ३ इत्यादि अङ्कों द्वारा (रिक्त स्थान में) इंगित किये जायेंगे।

_____

_____

_____

६. निर्वाचक अपना मत देने में—

(i) अपने मतपत्र पर अङ्क १ उस अभ्यर्थी के सामने लिखेगा, जिसको कि वह अपना मत दे, और

(ii) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे, अपनी पसन्द या अधिमानता को उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमश: २, ३, ४ तथा इसी प्रकार अविच्छिन्न अङ्कों द्वारा लिखकर व्यक्त कर सकता है।

७. वह मतपत्र अविधिमान्य होगा—

(i) जिस पर अङ्क १ न लिखा हो; या

(ii) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अङ्क १ लिखा हो, या

(iii) जिस पर एक ही अभ्यर्थी के नाम के आगे अङ्क १ तथा कोई अङ्क लिखा हो; या

(iv) जिस पर अङ्क १ ऐसा लिखा हो जिससे यह सन्देह हो कि, वह किस अभ्यर्थी के लिये अभिप्रेत है; या

(v) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में, जिस पर कोई ऐसा चिह्न बना हो, जिससे कि मतदाता बाद में पहचाना जा सके; या

(vi) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अङ्क मिट गया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो; या

(vii) जो उक्त प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्रपत्र में न हो।

भाग - २

डाक मत-पत्र द्वारा सञ्चालित निर्वाचन

८. डाक मत-पत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ होने के कम से कम तीन मास पहले कुलसचिव प्रत्येक अर्ह मतदाता के पास, उसके रजिष्ट्रीकृत पते पर रजिष्ट्रीकृत डाक से नोटिस भिजवायेगा, जिसमें उससे नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नाम-निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायगा। नोटिस के साथ निर्वाचकों की एक सूची होगी।

९. कुलसचिव को, मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को, जो उसकी जानकारी मे लाया जाय, ठीक करने की शक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायगी, भले ही उसे मतपत्र मिल गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो और एक प्रमाण-पत्र कि ऐसा किया गया है, कुलसचिव तथा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा, यदि कोई हो, अभिलिखित किया जायगा।

१०. प्रत्येक निर्वाचक को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनधिक अभ्यर्थियों का नाम-निर्देशन करने का विकल्प होगा।

११. प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायगा; और उसके साथ निर्वाचन के लिए नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति होगी, जो या तो लिखित होगी या नाम-निर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गई होगी। उसमे नाम-निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हैं। किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम निर्देशन-पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के रूप मे लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

१२. नाम-निर्देशन-पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुलसचिव को बन्द लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायगा, जो नाम-निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिष्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा।

१३. कोई अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम-निर्देशन की प्राप्ति के लिए अन्तिम दिन के रूप में निश्चित दिन तथा समय के पूर्व पहुँच जाय, निर्वाचन से अपना नाम वापस ले सकता है। अनुप्रमाणन पर सम्बन्धित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिये।

१४. कुलसचिव नाम-निर्देशन-पत्रों के लिफाफों को खोलने का स्थान, दिनाङ्क और समय अधिसूचित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक, जो उपस्थित होना चाहें, उस अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं।

१५. कुलसचिव विधिमान्य नाम-निर्देशनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम-निर्देशन-पत्र कुलसचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाय, तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदनपत्र भेजे कि मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जाय, तत्पश्चात् वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

१६. यदि सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा। यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिये पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया जायगा और ऐसा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन का भाग समझा जायगा।

१७. यदि सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जायगा।

१८. कुलसचिव संवीक्षा पूरी होने के १५ दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक को रजिष्ट्रीकृत डाक से उसके रजिष्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिफाफा भेजेगा, जिस पर केवल निर्वाचन-क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा, जिसके बायीं ओर निर्वाचन नामावली में निर्वाचक की संख्या, निर्वाचन-क्षेत्र का नाम और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा। कुलसचिव अभिज्ञान का एक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेगा।

१९. (i) निर्वाचक अभिज्ञान के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक से सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित करायेगा—

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष;

(ग) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी।

(ii) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित करेगा।

(iii) निर्वाचक मतपत्र को बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के सम्यक् रूप से भरकर छोटे लिफाफे में बन्द करेगा और तब उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित अभिज्ञान के प्रमाण-पत्र के साथ बड़े लिफाफे में बन्द कर देगा और उसे सम्यक् रूप से मुहरबन्द करके या तो रजिष्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के पास भेज देगा या उन्हें स्वयं देगा।

२०. मतपत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनाङ्क तक अवश्य पहुँच जाना चाहिये। यदि मत-पत्र नियत समय और दिनाङ्क के पश्चात् प्राप्त हो तो वह उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायगा।

२१. यदि दो या उससे अधिक मतपत्र एक ही लिफाफे में भेजे जाँय, तो उनकी गणना नहीं की जायगी।

२२. कोई मतदाता, जिसे अपना मत-पत्र तथा अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त न हुए हों अथवा जिससे वे खो गये हों अथवा जिसके पत्रादि कुलसचिव को वापस किये जाने के पूर्व अनवधानतावश विकृत हो गये हों, इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र कुलसचिव को भेजकर उनसे प्राप्त न हुए, खो गये अथवा विकृत पत्रादि के स्थान पर पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अनुरोध कर सकता है। कुलसचिव प्राप्त न हुए, खो गये या विकृत पत्रादि के स्थान पर यदि उसका समाधान हो जाय 'द्वितीय प्रति' अङ्कित करके दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

२३. कुलसचिव मत-पत्रों को उनकी संवीक्षा के लिये निश्चित दिनाङ्क और समय तक मुहरबन्द तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा मे रखेगा।

२४. संवीक्षा के दिनाङ्क, समय तथा स्थान की सम्यक् सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायगी; जिन्हें संवीक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मत-पत्र का निरीक्षण करने की माँग करने का हक न होगा।

२५. कुलसचिव को यदि आवश्यक हो तो ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायगी, जिन्हें कुलपति संवीक्षा कार्य में सहायता देने के लिये नियुक्त करें।

२६. नियत दिनाङ्क, समय तथा स्थान पर कुलसचिव मतपत्रों के लिफाफे खोलेगा तथा उनकी संवीक्षा करेगा और जो विधिमान्य न हों, उन्हें अलग कर देगा।

२७. विधिमान्य मतपत्रों को छाँटकर उनकी पार्सल बनायी जायगी। एक पार्सल में वे समस्त मतपत्र होंगे, जिसमें किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो।

२८. इस परिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक मतपत्र का मूल्याङ्कन एक सौ समझा जायगा।

२९. परिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कुलसचिव—

(i) सभी भिन्नों की उपेक्षा करेगा;

(ii) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिये अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान न देगा।

३०. कुलसचिव तब समस्त पार्सलों के मतपत्रों के मूल्याङ्क का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा, जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक हो तथा भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या 'कोटा' होगी।

३१. यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लें, जितने कि निर्वाचित होने हैं तो ऐसे अभ्यर्थियो को निर्वाचित समझा जायगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

३२. (i) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसके पार्सल का मूल्याङ्क प्रथम अधिमान गिनने पर कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(ii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मतपत्रों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो तो वे मतपत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत-पत्रों का मूल्याङ्क कोटा से अधिक हो तो आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी हुई रीति से संक्रमित कर दिया जायगा, जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान-क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में इंगित हों।

३३. (i) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहित किसी प्रयोग के फलस्वरूप जब कभी किसी अभ्यर्थी को कुछ आधिक्य प्राप्त हो तो वह आधिक्य इस परिनियम के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया जायगा।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्राप्त हो तो अधिकतम आधिक्य पहले बरता जायगा तथा परिणाम के न्यूनता-क्रम के अनुसार दूसरों से बरता जायगा; परन्तु सदा ही प्रथम गणना में उद्भूत प्रत्येक आधिक्य दूसरी गणना में उद्भूत आधिक्य से पहले बरता जायगा और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(iii) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य बराबर हों तो कुलसचिव उपर्युक्त उपखण्ड (ii) में विहित शर्तों के अनुसार यह विनिश्चय करेगा कि किसके सम्बन्ध में पहले बरता जाय।

(iv) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य केवल मूल मतों से उद्भूत हो, तो कुलसचिव उस अभ्यर्थी के, जिसका कि आधिक्य संक्रमित किया जाने वाला हो, पार्सल के सब मतपत्रों की जाँच करेगा और अनि:शेष-पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा। वह नि:शेष-पत्रों का भी एक पृथक् उप-पार्सल बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उप-पार्सल के मत-पत्रों का तथा अनि:शेष मतपत्रों का मूल्याङ्क अभिनिश्चित करेगा।

(ग) यदि अनि:शेष मत-पत्रों का मूल्याङ्क आधिक्य के बराबर अथवा उससे कम हो तो वे सब अनि:शेष मतपत्रों को उस मूल्याङ्क पर, जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे, जिसका आधिक्य संक्रमित किया जा रहा हो, संक्रमित करेगा।

(घ) यदि अनि:शेष-पत्रों का मूल्याङ्क आधिक्य से अधिक हो तो वह अनि:-शेष-पत्रों के उप-पार्सलों का संक्रमण करेगा और वह मूल्याङ्क, जिस पर प्रत्येक मतपत्र संक्रमित किया जायगा, आधिक्य को अनि:शेष-पत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चय किया जायगा।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य संक्रमित तथा मूल मतों से उद्भूत हुआ हो तो कुलसचिव अभ्यर्थी को सबसे अन्त में संक्रमित उप-पार्सल के समस्त मतपत्रों की पुन: जाँच करेगा तथा अनि:शेष-पत्रों को उन पर अभिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा। तदुपरान्त वह उप-पार्सलों से उसी रीति से बरतेगा जैसा कि पूर्वगामी अन्तिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप-पार्सलों के सम्बन्ध में व्यवस्थित है।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी के संक्रमित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मतपत्रों में उप-पार्सल के रूप में मिला दिये जायेंगे।

(vii) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल अथवा उप-पार्सलों के वे सब मतपत्र, जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

३४. (i) यदि उपर्युक्त निदेशों के अनुसार सब आधिक्यों के संक्रमित कर दिये जाने के पश्चात् अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हों तो कुलसचिव मतदान के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनि:शेष-पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा, जो उन पर अभिलिखित हों। कोई नि:शेष-पत्र अन्तिम रूप में अलग रख दिया जायगा।

(ii) उन पत्रों को, जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूल मत अन्तर्विष्ट हो, सर्वप्रथम संक्रमित किया जायगा, प्रत्येक मतपत्र का संक्रमण मूल्याङ्क एक सौ होगा।

(iii) फिर उन पत्रों को, जिनमें किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के संक्रमित मत हों, संक्रमण के उसी क्रम में संक्रमित किया जायगा, जिस क्रम में और जिस मूल्याङ्क पर उसे प्राप्त हुए हैं।

(iv) ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक् संक्रमण समझा जायगा।

(v) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपवर्जन पर इस खण्ड द्वारा निदेशित प्रक्रिया तब तक दोहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपबन्धों के अनुसार न हो जाय।

३५. यदि मतपत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्याङ्क कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय, तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जायगी, और अग्रेतर कोई मतपत्र उसे संक्रमित नहीं किया जायगा।

३६. (i) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात्, किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्याङ्क कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय, तो उसे निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्याङ्क कोटा के बराबर हो जाय, तो उसी मतपत्र, जिन पर ऐसे मत अभिलिखित हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्याङ्क कोटा से अधिक हो जाय, तो तदुपरान्त किसी अन्य अभ्यर्थी को अपवर्जित करने के पूर्व उसका आधिक्य एतत्पूर्व अवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायगा।

३७. (i) जब अनवरत अभ्यर्थियों की संख्या घटकर अपूरित रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जाय, तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) जब केवल एक रिक्त स्थान अपूरित रह जाय और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्याङ्क अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मतों के मूल्याङ्क के पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अधिक हो जाय, तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(iii) जब केवल एक ही रिक्ति अपूरित रह जाय और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हों और उन दोनों में से प्रत्येक के मतों का मूल्याङ्क एक बराबर हो और संक्रमण के योग्य कोई आधिक्य न रह जाय, तो अगले खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

३८. जब कभी एक से अधिक आधिक्य वितरण के लिये हों, और दो या उससे अधिक आधिक्य बराबर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो जाय और दो या उससे अधिक अभ्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके मतपत्रों का मूल्याङ्क बराबर हो, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों पर ध्यान दिया जायगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों, तो यथास्थिति, उसका आधिक्य पहले वितरित किया जायगा अथवा उसको पहले अपवर्जित किया जायगा। यदि उसके मूल मतपत्रों का मूल्याङ्क बराबर हो तो कुलसचिव पर्ची डालकर यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाय अथवा किसको अपवर्जित किया जाय।

३९. पुनर्गणना—यदि कुलसचिव पूर्वतन गणना की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट न हो, तो वह या तो स्वत: या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों की पुनर्गणना एक या उससे अधिक बार करा सकता है :

परन्तु यहाँ दी गयी किसी बात से कुलसचिव के लिये यह बाध्यकर नहीं होगा कि वह उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराये।

४०. संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात्, कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलपति को तुरन्त देगा।

४१. कुलसचिव नाम-निर्देशन-पत्र तथा मतपत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा, जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जायगा।

भाग - २

अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

४२. विश्वविद्यालय प्राधिकारी या निकाय के किसी अधिवेशन में, आयोजित किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा तथा आपत्तियाँ आमन्त्रित करने के प्रयोजन से पहले से

निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम-निर्देशन आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्यक् रूप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी या निकाय के उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम अग्रिम रूप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तावित किये तथा वापस किये जा सकते हैं। मतदाताओं को दिये गये मतपत्रों में वे नाम होंगे, जिनकी सूचना छपने के लिये ठीक समय पर प्राप्त हो गई हो तथा उसमें अन्य नाम जिसके अन्तर्गत अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भी है, बढ़ाने के लिये रिक्त स्थान होगा। कुलसचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिवेशन की, जिसमें निर्वाचन होना है, सूचना भेजेगा, और उसमें सदस्यों की सूची के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनाङ्क और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायगी।

परिशिष्ट - 'ख'

(परिनियम १६.०१ देखिए)

विश्वविद्यालय के अध्यापक-वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनाङ्क.....२००.....को श्री/श्रीमती/कुमारी..... प्रथम पक्ष तथा.....विश्वविद्यालय (जिसे आगे 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया :

एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है—

१. विश्वविद्यालय, एतद्द्वारा, प्रथम पक्ष के पक्षकार श्री/श्रीमती/कुमारी..... को दिनाङ्क.....से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार, जिसे आगे अध्यापक कहा गया है, अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और अध्यापक एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है, जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखना, और किसी पाठ्य-चर्या या नैवासिक कार्य-कलाप के सम्बन्ध में छात्र-कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना भी है, जो उसे सौंपे जायें, तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता है, जिसके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण-संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा;

परन्तु अध्यापक प्रथमत: एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य-परिषद्, स्वविवेकानुसार परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

२. अध्यापक विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा-निवृत्त होगा।

३. अध्यापक के पद का, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतनमान..... होगा। अध्यापक को उस दिनाङ्क से जब से वह अपने उक्त कर्त्तव्यों का भार ग्रहण करता

है, उपर्युक्त वेतनमान में.....रूपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायगा और वह, जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु जहाँ समयमान में कोई दक्षता-रोक विहित है, वहाँ दक्षता-रोक के ऊपर अगली वेतन-वृद्धि अध्यापक की वेतन-वृद्धि रोकने के लिए सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायगी।

४. अध्यापक विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

५. अध्यापक एतद्द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

६. किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर अध्यापक विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुयें, जो उसके कब्जे में हों, विश्वविद्यालय को दे देगा।

७. समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायगा, मानों वे इसमें प्रत्युपपादित किये गये हों, और उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनाङ्क तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

.....

अध्यापक के हस्ताक्षर

.....

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी—

१.....

२.....

परिशिष्ट - 'ग'

(परिनियम १६.०२, १६.०३, १६.२७ और १७.१४ देखिए)

अध्यापकों के लिए आचरण-संहिता

यत: जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र-निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतन्त्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वास उसमें निहित किया गया है, उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओत-प्रोत रहकर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है।

अत: उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण-संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन वस्तुत: निष्ठापूर्वक किया जाय :

१. प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य-परायणता से करेगा।

२. कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा, न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

३. कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं उत्तेजित करेगा।

४. कोई भी अध्यापक जाति, मत, पन्थ, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेद-भाव नहीं करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिये उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

५. कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चियों को कार्यान्वित करने से इनकार नहीं करेगा।

६. कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्य-कलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।

परिशिष्ट - 'घ'

(परिनियम १७.०२ और १७.१४ देखिए)

(१) सम्बद्ध महाविद्यालयों में (प्राचार्य से भिन्न) अध्यापक के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनाङ्क.....२००.....को.....प्रथम पक्ष, जिसे आगे अध्यापक कहा गया है, तथा प्राचार्य/सचिव के माध्यम से.....महाविद्यालय.....के प्रबन्धतन्त्र द्वितीय पक्ष, जिसे आगे महाविद्यालय कहा गया है, के मध्य किया गया।

महाविद्यालय ने अध्यापक को, आगे दी गयी शर्तों और निबन्धों पर महाविद्यालय में कार्य करने के लिए.....के रूप में नियुक्त किया है। अत: अब यह करार इस बात का साक्षी है कि अध्यापक और महाविद्यालय, एतद्द्वारा संविदा करते हैं और निम्नलिखित के लिये सहमत हैं :—

१. नियुक्ति दिनाङ्क.....२००.....से प्रारम्भ होगी और एतद्द्वारा व्यवस्थित रीति से अवधार्य होगी।

२. अध्यापक प्रथमत: एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियोजित है और उसे.....रूपये का मासिक वेतन दिया जायगा। परिवीक्षा अवधि उतनी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जितनी कि महाविद्यालय उचित समझे, किन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक न होगी।

३. परिवीक्षा अवधि के पश्चात् स्थायी किये जाने पर महाविद्यालय अध्यापक को उसकी सेवाओं के लिए.....रूपये (केवल.....रूपये) प्रति मास की दर से देगा, जिसे.....रूपये की वार्षिक वेतन-वृद्धि से बढ़ाकर.....रूपये प्रतिमास कर दिया जायगा। वेतन-मान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

४. उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनाङ्क को देय हो जायगा और महाविद्यालय प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनाङ्क तक अध्यापक को उसका भुगतान कर देगा।

५. अध्यापक विश्वविद्यालय या प्रबन्धतन्त्र के किसी सदस्य को कोई अभ्यावेदन नहीं देगा, सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, जो उसे उच्च प्राधिकारियों के पास भेज देगा।

६. अध्यापक साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन या कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सौंपे जाँय।

७. अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा और उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

आज दिनाङ्क.....२००.....को.....द्वारा प्रबन्धतन्त्र की ओर से हस्ताक्षरित,

निम्नलिखित की उपस्थिति में अध्यापक द्वारा :

साक्षी—

१.....

२.....

(२) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनाङ्क.....२००.....को.....(जिसे आगे प्राचार्य कहा गया है) प्रथम पक्ष, तथा सभापति के माध्यम से.....महाविद्यालय के.....(जिसे आगे प्रबन्धतन्त्र कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया।

प्रबन्धतन्त्र ने प्रथम पक्ष के पक्षकार को आगे दी गयी शर्तों पर महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्राचार्य और प्रबन्धतन्त्र एतद्द्वारा निम्नलिखित संविदा करते हैं और उसके लिए सहमत हैं :—

१. यह सेवा-संविदा दिनाङ्क.....२००.....से प्रारम्भ होगी और आगे व्यवस्थित रीति से अवधार्य होगी।

२. प्राचार्य, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि की परिवीक्षा पर नियोजित है और उसे.....रूपये का मासिक वेतन दिया जायगा। परिवीक्षा अवधि प्रबन्धतन्त्र के स्वविवेक से और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।

३. परिवीक्षा अवधि के पश्चात् स्थायी किये जाने पर प्रबन्धतन्त्र प्राचार्य को.....रूपये के वेतनमान में केवल.....रूपये (.....रूपये) प्रति मास की दर से देगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

४. उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनाङ्क को देय हो जायगा और प्रबन्धतन्त्र प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनाङ्क तक प्राचार्य को उसका भुगतान कर देगा।

५. प्राचार्य ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा, जो किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्बन्धित हों तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्यक् रूप से पालन के लिये उत्तरदायी होगा। प्राचार्य उक्त महाविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध तथा अनुशासन के लिये पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा, जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी हैं जैसे कि सम्बन्धित विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक के परामर्श से पाठ्य-पुस्तकों का चयन, महाविद्यालय की अध्यापन सारणी की व्यवस्था, महाविद्यालय के अध्यापक-वर्ग के समस्त सदस्यों को कार्य वितरण, वार्डन, प्राक्टरों, खेल-कूद अधीक्षकों आदि की नियुक्तियाँ, कर्मचारिवर्ग की छुट्टी स्वीकृत करना, निम्न श्रेणी के कर्मचारिवर्ग, यथा चपरासी, दफ्तरी, माली, तकनीशियन आदि की नियुक्ति, पदोन्नति, उन पर नियन्त्रण तथा उन्हें हटाना, प्रबन्धतन्त्र द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर छात्रों की निःशुल्कता और अर्द्धनिःशुल्कता स्वीकृत करना, वार्डनों के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रावासों का नियन्त्रण करना, छात्रों का प्रवेश करना, उन पर अनुशासन करना और उन्हें दण्ड देना तथा खेल-कूद और अन्य कार्यक्रमों को संगठित करना। वह छात्रों की समस्त निधियों, यथा खेल-कूद निधि, पत्रिका-निधि, संघ (यूनियन) निधि, वाचनालय-निधि, परीक्षा-निधि आदि का प्रबन्ध अपने द्वारा नियुक्त समिति की सहायता से, तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार तथा प्रबन्धतन्त्र द्वारा किसी अर्ह लेखाकार द्वारा, जो प्रबन्धतन्त्र के सदस्यों में से न होगा, उक्त लेखों की सम्परीक्षा तथा संवीक्षा के अधीन रहते हुए, करेगा। लेखाकार की फीस महाविद्यालय की छात्र-निधियों पर यथार्थ प्रभार होगी।

उसको इस प्रयोजन के लिये, सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी, जिससे आपत्तिकाल में अध्यापकों या कर्मचारियों सहित कर्मचारिवर्ग के सदस्यों को, प्रबन्धतन्त्र को सूचित किये जाने और उसके द्वारा विनिश्चय करने तक निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित है। वह अपने निजी उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महाविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अथवा सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन करेगा। वित्तीय तथा अन्य मामलों में, जिसके लिए केवल वही उत्तरदायी नहीं है, प्राचार्य, प्रबन्धतन्त्र के निदेशों का, जैसा उसे सचिव के

माध्यम से लिखित रूप से जारी किया जाय, पालन करेगा। प्रबन्धतन्त्र या सचिव द्वारा कर्मचारिवर्ग के सदस्यों को समस्त अनुदेश प्राचार्य के माध्यम से जारी किये जायेंगे और कर्मचारिवर्ग का कोई भी सदस्य सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, प्रबन्धतन्त्र के किसी सदस्य से सीधे भेंट नहीं करेगा।

प्राचार्य को लिपिकीय तथा प्रशासकीय कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में नियन्त्रण तथा अनुशासन की समस्त शक्तियाँ होंगी, जिसके अन्तर्गत वेतन-वृद्धि रोकने की शक्ति भी है। प्राचार्य के कार्यालय में समस्त नियुक्तियाँ उसकी सहमति से की जायेंगी।

६. प्राचार्य, प्रबन्धतन्त्र तथा प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का पदेन सदस्य होगा और उसे मत देने की शक्ति होगी :

परन्तु वह उस समिति का सदस्य न होगा, जो उसके आचरण की जाँच करने के लिये नियुक्त की जाय।

७. प्राचार्य के जन्म का दिनाङ्क.....है, जिसके प्रमाण में उन्होंने हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र/.....परीक्षा का प्रमाण-पत्र, जिसे हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष माना गया है, प्रस्तुत किये हैं और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

८. अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

प्रबन्धतन्त्र की ओर से.....द्वारा आज दिनाङ्क.....२००.....को हस्ताक्षरित।

निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राचार्य द्वारा—

साक्षी (१)

पता.....

साक्षी (२)

पता.....

(३) शैक्षिक सत्र.....की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र
(परिनियम १६.२९ और १७.१६ देखिए)

१. अध्यापक का नाम

२. विभाग, जिससे वह सम्बद्ध हो

३. क्या प्राध्यापक, उपाचार्य, आचार्य, प्राचार्य आदि हैं?

४. सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हतायें या विशिष्टतायें, यदि कोई हों

५. अध्यापक की प्रकाशित रचनायें या उसके द्वारा किये गये अनुसन्धान-कार्य और/या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गये पत्रादि का विवरण,

६. सत्र के दौरान उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले अनुसन्धान छात्रों की संख्या और क्या उनमें से किसी को अनुसन्धान-कार्य के लिए उपाधि प्रदान की गयी?

७. सत्र के दौरान विश्वविद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यानों (पाठन कक्षा को छोड़कर) की संख्या.....

८. अभ्युक्ति

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुयें मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं।

दिनाङ्क..... अध्यापक का हस्ताक्षर

प्रति-हस्ताक्षरित पद-नाम

परिशिष्ट-'ङ'

(परिनियम ११.१२-ख देखिए)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

स्व-मूल्याङ्कन विवरण का निदर्श

खण्ड-एक

१. नाम दिनाङ्क

२. पद-नाम

३. जन्म-दिनाङ्क

४. शैक्षिक अर्हतायें

५. विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का दिनाङ्क

६. स्थायीकरण का दिनाङ्क

७. अध्यापन-कार्य का अनुभव

संस्था का नाम	धृत पद	किस दिनाङ्क से	किस दिनाङ्क तक	कुल अवधि

८. विभिन्न स्तर पर अध्यापित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों का नाम—

(विस्तृत ब्योरा दीजिए)

(क) अधिस्नातक—

(ख) स्नातकोत्तर—

---

१. यह भी इंगित करें कि क्या अस्थायी/तदर्थस्थायी है।

२. कृपया समस्त स्तम्भों को भरें। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ 'लागू नहीं है' लिखिए।

९. गत तीन वर्षों में अध्यापित पाठ्यक्रम (ठीक-ठीक ब्योरा दीजिए)

(क) अधिस्नातक—

(ख) स्नातकोत्तर—

१०. पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम के लिये सामग्री के स्रोत का ब्योरा, जिनका आपने अध्ययन किया (पुस्तकें, जर्नल आदि)

११. आपके द्वारा प्रयोग की गयी अध्यापन की रीति का ब्योरा (अध्यापन, ट्यूटोरियल, संगोष्ठी, प्रैक्टिकल आदि)

१२. पिछले शिक्षा-सत्र के दौरान ट्यूटोरियल का ब्योरा—

अधिस्नातक पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
कितनी बार	
निर्दिष्ट कार्य की जाँच	

१३. पिछले शिक्षा-सत्र में आप आवंटित कक्षायें नीचे दी गयी नियमितता के किस स्तर में ले सके—

(जो प्रयोज्य हो उस पर घेरा बना दीजिए)

(क) ९० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक

(ख) ८० प्रतिशत से ९० प्रतिशत तक

(ग) ७० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक

(घ) ७० प्रतिशत से नीचे।

खण्ड-दो

१. निम्नलिखित उपाधियों का ब्योरा दीजिये—

उपाधियाँ	विश्वविद्यालय	उपाधि दिये जाने का वर्ष	शोध-प्रबन्ध का विषय
एम.फिल.			
पी-एच.डी.			
डी.लिट्.			
डी.एस-सी.			

२. शोधप्रबन्ध (थीसिस), यदि प्रकाशित हुआ हो, का ब्योरा (इसकी एक प्रति संलग्न की जाय)।

३. प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तक, विशेष निबन्ध (मोनोग्राफ), समीक्षा (रिव्यूज), पुस्तक के प्रकरण, अनुवाद और सृजनात्मक रचना आदि, यदि कोई हो, का ब्योरा।

४. सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला (वर्कशाप) जिनमें भाग लिया। प्रस्तुत किये गये निबन्ध और/या धृत पदीय स्थिति का ब्योरा दीजिए।

५. ग्रीष्मकालीन संस्थान, अभिनवन (रिफ्रेशर) या अभिस्थापन पाठ्यक्रम (ओरियन्टेशन कोर्स) जिसमें भाग लिया (ब्योरा दीजिये)।

६. शोध मार्गदर्शन (रिसर्च गाइडेन्स)/वृत्तिक परामर्श (प्रोफेशनल कन्सल्टेन्सी), यदि कोई हो, का ब्योरा।

७. वृत्तिक/शैक्षिक निकायों, सोसाइटी आदि की सदस्यता या फेलोशिप (ब्योरा दीजिये)।

८. ऐसे शैक्षिक कार्यकलापों के सम्बन्ध में जो इस खण्ड के अन्तर्गत न आते हों, कोई अन्य सूचना।

खण्ड - तीन

अपनी संस्था के समष्टिगत जीवन (कारपोरेट लाइफ) में अंशदान का ब्योरा।

१. (क) पाठ्यचर्या विकास
   (ख) सांस्कृतिक/पाठ्येतर कार्य-कलाप
   (ग) खेलकूद/सामुदायिक और प्रसार सेवायें
   (घ) प्रशासनिक कार्य
   (ङ) कोई अन्य

२. कोई अन्य सूचना, जो उपर्युक्त प्रश्नावली के अन्तर्गत न आती हो।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और वास्तविक है।

हस्ताक्षर.....
विभाग.....
.....

नोट— परिशिष्ट 'ङ' उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-२१८०/१५-१०-८५-९-(६)-८० दिनाङ्क २८ सितम्बर, १९८५ द्वारा बढ़ाया गया तथा उक्त दिनाङ्क प्रवृत्त।

परिशिष्ट - 'ए'

(परिनियम ११.१२ (ग) देखिए)

भाग - १

शैक्षणिक सत्र.....हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों का वार्षिक शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन।

१. शिक्षक का नाम.....

२. विभाग.....

३. पद-नाम.....

४. सत्र के दौरान प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता या विशिष्ट उपलब्धियाँ।

५. सत्र के दौरान प्रकाशनों या किए गए शोध का विवरण (शोध जर्नल पत्रिका का नाम लिखें)।

(१) **प्रकाशित पुस्तकें**—
   (i) पाठ्य-पुस्तक
   (ii) सन्दर्भ-पुस्तक

(२) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्र—
   (i) स्वलेखन (Independent authorship))
   (ii) सह-लेखन (Co-authorship)

(३) प्रकाशनार्थ स्वीकृत शोध-पत्र.....

(४) परिसंवाद/सम्मेलनों में प्रस्तुत शोध-पत्र

(५) राज्य या राष्ट्रीय आयोग/समितियों/राज्य निकायों के समक्ष प्रस्तुत भेजे गये ज्ञापन।

६. शिक्षक के मार्गदर्शन में शोध-छात्रों का विवरण :—

(१) पञ्जीकृत शोध-छात्रों की कुल संख्या.....

(२) शोध उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या.....

७. दिए गये विशेष व्याख्यानों का विवरण :—

(१) विश्वविद्यालय स्तरीय।

(२) अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय।

८. शैक्षणिक उपलब्धियों के सन्दर्भ में अन्य कोई सूचना।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन में दी गई सूचनाएँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनाङ्क..... शिक्षक का हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर
(विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य)

भाग- २

१. शैक्षणिक योग्यताओं का विस्तृत विवरण :—

परीक्षा	विषय	वर्ग	श्रेणी
हाईस्कूल			
इण्टर			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
शोध उपाधि			
डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र			

२. प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तक, एकल विषय पर लेख (मोनोग्राफ), पुस्तक संख्य पुस्तकों के अध्याय, अनुदान तथा रचनात्मक लेखन आदि, कोई हो, का विस्तृत विवरण

३. पूर्ण की गई/चल रही शोध-परियोजनाओं का विवरण :—

परियोजना का शीर्षक	निधि प्रदान करने वाले अधिकरण का नाम	अवधि	अभ्युक्ति

४. शैक्षिक सम्मेलनों/परिसंवाद तथा कार्यशालाओं में भागीदारी का विवरण (प्रस्तुत किये गये शोध-पत्रों तथा धारित पदों का पूरा विवरण)।

५. ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या या अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भागीदारी (पूरा विवरण दें)।

६. किसी शोध-पत्रिका के सम्पादकीय मण्डल/शैक्षणिक निकायों की सदस्यता का विवरण।

भाग- ३

अपनी संस्था के नियमित जीवन में आप द्वारा दिए गए योगदान का विवरण :—

१. (क) पाठ्यक्रम-विकास

(ख) सांस्कृतिक/पाठ्येतर गतिविधियाँ

(ग) खेलकूद/सामुदायिक एवं प्रसार सेवाएँ

(घ) प्रशासनिक समनुदेशन

(ङ) प्रवेश परीक्षा कार्यों में भागीदारी

(च) अन्य कोई।

२. जो उपर्युक्त प्रपत्र (प्रोफार्मा) में आच्छादित न हुई हो (कोई अन्य सूचना)।

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचनाएँ सही एवं तथ्यात्मक हैं।

दिनाङ्क

हस्ताक्षर
पद-नाम

परिशिष्ट - 'बी'

(परिनियम ११.१२ (ग) देखिए)

स्वमूल्याङ्कन हेतु प्रपत्र

मूल्याङ्कन-वर्ष.....

१. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूरा नाम.....

२. प्राध्यापक का नाम.....

३. पद-नाम.....

४. जन्म-तिथि.....

५. वर्तमान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में

प्राध्यापक पद पर नियुक्ति आदेश संख्या सहित.....

६. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि.....

७. स्थायीकरण की तिथि.....

८. शिक्षण अनुभव—

संस्था का नाम	धारित पद	नियुक्ति की प्रकृति	कब से	कब तक	कुल अवधि
		अंशकालिक/अवकाश प्रबन्ध/ तदर्थ/अस्थायी/स्थायी (स्पष्ट उल्लेख किया जाय)			

९. विभिन्न स्तरों पर पढ़ाये गये विषय एवं प्रश्नपत्रों का विवरण :—

(क) स्नातक.....

(ख) स्नातकोत्तर.....

१०. पढ़ाये गये पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रयुक्त सामग्री का स्रोत (पुस्तकें, शोध-पत्रिकाएँ आदि का विवरण दें)।

११. आप द्वारा अपनायी गयी शिक्षण-विधियों का विवरण (व्याख्यान, उप-शैक्षणिक कक्षायें, ट्यूटोरियल परिसंवाद, प्रायोगिक, घटना, केस स्टडी, समूह-चर्चा आदि)

१२. वास्तविक व्याख्यानों का विवरण—

सत्र	कक्षा	विषय/प्रश्न-पत्र का नाम	सत्र में आवंटित व्याख्यानों की संख्या	सत्र में दिये गये व्याख्यानों की संख्या	प्रतिशत परिकलन
१	२	३	४	५	६

१३. सत्र में असाधारण अवकाश का विवरण (यदि सत्र में कोई लिया हो)।

परिशिष्ट-'च'

(परिनियम २१.०६ देखिए)

सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—

(i) यह नियमावली, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, सेवाकाल में मृत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली कहलायेगी।

(ii) यह जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

२. परिभाषायें—

जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक का तात्पर्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय में सेवायोजित ऐसे शिक्षक/कर्मचारी से है, जो,

(१) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

(२) यद्यपि अस्थायी है, तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या

(३) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में, तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण—(क) नियमित रूप से नियुक्ति का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय सेवक का तात्पर्य ऐसे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय सेवक से है, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय।

(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के निम्न-लिखित सम्बन्धी होंगे—

(१) पत्नी या पति,

(२) पुत्र,

(३) अविवाहित पुत्रियाँ अथवा विधवा पुत्रियाँ।

(घ) कार्यालय के प्रधान का तात्पर्य, यथास्थिति, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान से है।

(ङ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से है और महाविद्यालय का तात्पर्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय से है।

३. यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जिन पर विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम में निर्धारित प्रक्रिया से नियुक्तियाँ की जाती हैं, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सेवाओं और पदों पर मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

४. इस नियमावली का आद्यारोही प्रभाव—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

५. (१) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय, तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय के अधीन या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जायगा—

यदि ऐसा व्यक्ति—

(१) उस पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

(२) अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा के लिए अर्ह हो, और

(३) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक की मृत्यु के दिनाङ्क से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है।

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय-सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित

कठिनाई होती है, वहाँ व उन अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

५. (२) ऐसी नौकरी विश्वविद्यालय/उस महाविद्यालय में दी जायगी, जहाँ मृतक सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

६. सेवायोजन के लिए आवेदन-पत्र की विषयवस्तु इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र, जिस पद पर नियुक्ति अभिलाषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायगा।

आवेदन-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायगी—

(क) मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक की मृत्यु का दिनाङ्क;

(ख) विभाग और पद, जिस पर वह मृत्यु के पूर्व कार्यरत था;

(ग) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य विवरण, विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी विवरण;

(घ) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा, और

(ङ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें, यदि कोई हों।

७. प्रक्रिया, जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों—

यदि मृतक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों, तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवायोजन के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को निश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायगा।

८. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता—

(१) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय १८ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(२) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से यथा लिखित परीक्षा अथवा चयन-समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायगा। किन्तु अभ्यर्थी पद-विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा तथा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वतन्त्र होगा।

(३) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायगी—प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायगा और जो तब तक चलेगा, जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

९. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान—

किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवा में सेवायोजन करने के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

टिप्पणी—संघ सरकार या राज्य सरकार या इसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है, जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिए अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी। पुरुष अभ्यर्थी की दशा में उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

१०. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—

राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

●

परिशिष्ट-'छ'

(परिनियम २१.०७ देखिए)

राज्य सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली

भाग-क

सामान्य उपबन्ध

१. यह नियमावली 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली' कहलायेगी।

२. यह ३० जून, १९८९ से प्रवृत्त समझी जायगी।

३. यह नियमावली नियमित मासिक वेतन भुगतान १ अप्रैल, १९८७ की परिधि में ३०/०६/१९८९ या उसके पश्चात् कार्यरत केवल उन राज्य सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होगी, जो किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी अशासकीय प्रबन्धतन्त्र द्वारा सञ्चालित हैं तथा जो ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने के पक्ष में अपना विकल्प इस नियमावली की विज्ञप्ति की तिथि से छः मास के अन्दर दे देंगे। विकल्प का एक बार प्रयोग कर लेने पर वह अन्तिम समझा जायगा। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की तिथि सत्रान्त मानी जायगी और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि मासान्त मानी जायगी।

४. इस नियमावली की विज्ञप्ति की तिथि के उपरान्त नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों द्वारा अपने स्थायीकरण की तिथि से दो वर्षों के अन्दर ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने के पक्ष में अपना विकल्प न देने पर यह नियमावली उन पर लागू नहीं होगी।

विकल्प का एक बार प्रयोग कर लेने पर वह अन्तिम समझा जायगा।

भाग-ख

परिभाषाएँ

५. परिवार में शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर पूर्णतया आश्रित निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे—

१. पुरुष कर्मचारी की दशा में, पत्नी

२. महिला कर्मचारी की दशा में, पति

३. पुत्र, जिसमें सौतेले तथा दत्तक दोनों प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं।

४. अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ।

५. १३ वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित व विधवा बहनें, जिनमें ऐसे सौतेले भाई व बहनें भी सम्मिलित हैं।

६. पिता

७. माता

८. विवाहित पुत्रियाँ (जिनमें ऐसी सौतेली पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं)

९. पूर्व मृत पुत्र के बच्चे।

६. 'स्थानीय निकाय' का तात्पर्य यथावधि गठित तथा उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा मान्य किसी स्थानीय प्राधिकरण से है, जिसमें नगर महापालिका, जिला परिषद् अथवा नोटीफाइड एरिया सम्मिलित है।

७. 'प्रबन्धक' का तात्पर्य गैर सरकारी रूप से प्रबन्धित संस्था की प्रबन्ध समिति या किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी ऐसे अन्य निकाय या ऐसे किसी प्राधिकृत अधिकारी से है, जिसमें किसी संस्था का प्रबन्ध करने का अधिकार निहित हो और जो इस रूप में शासन द्वारा मान्य हो।

८. 'अर्हकारी सेवा' का तात्पर्य उस सेवा से है, जो पेंशन आगणन के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में गिनी जाय।

९. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का तात्पर्य उस स्थायी पूर्णकालिक व नियमित रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों से है, जो नियमित मासिक वेतन भुगतान के अन्तर्गत कार्यरत राज्य सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी अधिष्ठान में हों।

१०. 'परिलब्धियों' का तात्पर्य मूल वेतन से है, जो शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिमाह पाता है। जैसे—

उनकी व्यक्तिगत अर्हताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत वेतन को छोड़कर जो भी वेतन उस पद के लिए स्वीकृत किया गया हो, जिस पर वह या तो स्थायी या स्थानापन्न रूप से नियुक्त हो और जिसको वह संवर्ग में अपनी स्थिति के कारण पाने का अधिकारी हो।

भाग-ग

सेवानिवृत्ति आनुतोषिक

११. कोई शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी निम्नाङ्कित अवस्थाओं में इस नियमावली के अन्तर्गत आनुतोषिक पाने का पात्र होगा।

१. विकल्प-पत्र के अनुसार ५८ वर्ष की अधिवय पर सेवानिवृत्त होने पर,

२. ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने वाले ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जो २० वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने अथवा ४५ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् स्वेच्छया सेवानिवृत्त होना चाहें,

३. ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने वाले ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ होने का प्रमाणपत्र देकर ५८ वर्ष की आयु के पूर्व सेवानिवृत्त हों।

१२. आनुतोषिक के लिए अर्हकारी सेवा तथा आनुतोषिक की धनराशि की गणना राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देय आनुतोषिक की गणना की विधि द्वारा ही की जायगी।

१३. आनुतोषिक स्वीकृत करने के लिए नियन्त्रक अधिकारी सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पेंशन स्वीकृति अधिकारी होंगे।

१४. आनुतोषिक स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी स्वीकृति आदेश पर एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेंगे कि सेवानिवृत्त अध्यापक पर कोई राजकीय/प्रबन्धतन्त्र की धनराशि बाकी नहीं है। यदि सरकार अथवा विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र की कोई पावना शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के ऊपर है, तो नियन्त्रक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि इस नियमावली के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को देय आनुतोषिक में से उक्त पावना की धनराशि काटकर समायोजित कर ले।

१५. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी निर्धारित अवधि में अपना विकल्प संलग्न प्रारूप पत्र 'क' में तीन प्रतियों में भरकर अपनी संस्था के माध्यम से नियमित मासिक वेतन भुगतान के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम अधिकारी (जिला विद्यालय निरीक्षक) को प्रतिहस्ताक्षरित हस्ताक्षर करने हेतु देगा। प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी अपने पास रोककर एक प्रति नियन्त्रक प्राधिकारी को तथा अन्य प्रति विद्यालय/महाविद्यालय के प्रबन्धक को वापस कर देंगे, जो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में चस्पा कर दी जायगी।

१६. आनुतोषिक सम्बन्धी अन्य मामलों में, जिसकी इस नियमावली में विशिष्टत: व्यवस्था न की गयी हो, उसके लिए शिक्षा निदेशक, उत्तर-प्रदेश द्वारा शासन से स्पष्ट आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

१७. इस नियमावली के नियमों के विषय में किसी कठिनाई अथवा सन्देह की दशा में प्रकरण प्रशासन को यथावश्यक स्पष्टीकरण एवं आदेश हेतु शिक्षा निदेशक, उत्तर-प्रदेश के माध्यम से सन्दर्भित किया जा सकेगा।

१८. इस नियमावली से शासित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी संलग्न प्रपत्र 'ख' पर अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों को आनुतोषिक प्राप्त करने के लिए अधिकार देने के निमित्त एक नामाङ्कन नियम-१६ में उल्लिखित प्राधिकारी को करेगा, जिसमें नामित व्यक्तियों को मिलने वाली आनुतोषिक की धनराशि या अंश का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामाङ्कन अमान्य होगा।

१९. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस नामाङ्कन को नियम-१६ में उल्लिखित अधिकारी को लिखित सूचना देकर, दूसरे को हस्तान्तरित हो जाने की व्यवस्था नामाङ्कन में से न होने की दशा में किसी घटना के फलस्वरूप नामाङ्कन अवैध (इनवैलिड) कहे जाने पर शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस नामाङ्कन को निरस्त करने की सूचना उक्त अधिकारी को नये नामाङ्कन के साथ देगा।

२०. नामाङ्कन निरस्त करने की सूचना तथा नया नामाङ्कन उस तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को वह उपर्युक्त नियम-१६ में उल्लिखित अधिकारी को प्राप्त होगा तथा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायगा।

२१. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा अपनी मृत्यु-पूर्व कोई नामाङ्कन न करने की दशा में आनुतोषिक की धनराशि विधवा पुत्रियों को छोड़कर उपर्युक्त नियम के क्रम-१ से ३ तक पर उल्लिखित उसके परिवार के सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में भुगतान की

जाय, तथा यदि परिवार के क्रमाङ्क १ से ४ तक के सदस्य न हों, तो उक्त नियम-५ के क्रम ५ से ९ तक उल्लिखित उसके परिवार के सदस्यों तथा विधवा पुत्रियों को बराबर अंशों में भुगतान की जायगी।

इस नियमावली के अधीन आनुतोषिक स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना-पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर-प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर दिया जायगा।

कोई भी आनुतोषिक उस दशा में नहीं दिया जायगा, जब कि शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया हो अथवा कदाचरण (मिस कन्डक्ट), दिवालिया होने या कार्य अक्षमता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा हटा दिया गया हो।

आनुतोषिक आवेदन-पत्र

सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजाज्ञा संख्या

द्वारा अनुमोदित आनुतोषिक नियमावली के अन्तर्गत आनुतोषिक हेतु आवेदन-पत्र (नियमावली के) नियम-२५ के अनुसार :

भाग–अ

(प्रार्थी, प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक के प्रयोग हेतु)

१. विद्यालय का नाम.....

२. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का नाम तथा स्थायी पता.....

३. पिता/पति का नाम.....

४. पद-नाम.....

५. वेतनक्रम.....

६. विद्यालय में अविरत नियुक्ति की तिथि.....

७. स्थायीकरण की तीथि.....

८. जन्मतिथि.....

९. ५८ वर्ष के अधिवय पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने की तिथि.....

१०. ५८ वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—

११. ४५ वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—

१२. २० वर्ष की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—

१३. आगे सेवा के लिये स्थायी रूप से असमर्थ होने का प्रमाण-पत्र देकर ५८ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के इच्छुक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा—

नोट—१०,११,१२ अथवा १३ जो लागू न हो, उसके सामने (×) का चिह्न बनायें।

१४. स्तम्भ १०,११,१२,१३ के सम्मुख अङ्कित अविरत सेवा अवधि का विवरण सेवा-पञ्जिका के अनुसार—

विद्यालय का नाम	से	तक	वर्ष	महीना

१५. आनुतोषिक हेतु मान्य छमाही अवधि की संख्या, स्तम्भ-१४ के समक्ष अङ्कित मान्य सेवा अवधि के आधार पर—

१६. सेवाकाल में मृत्यु की दशा में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु की तिथि—

१७. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के ठीक पूर्व शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी की परिलब्धियों का विवरण—

(१) मूल वेतन—

(२) महँगाई व अतिरिक्त महँगाई भत्ते का वह अंश जो पेंशन आगणन हेतु शासन द्वारा वेतन का अंश माना गया हो–

(३) विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन–

योग _____

नोट—परिलब्धियों के निर्धारण हेतु नियमावली के नियम-१३ के नीचे अङ्कित प्रावधानों का दृष्टिगत रखा जाय।

१८. आनुतोषिक नियमावली के नियम-१३ के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि को देय आनुतोषिक धनराशि अवधि स्तम्भ-७ के समक्ष अङ्कित राशि स्तम्भ-१४ के समक्ष अङ्कित विवरण के अनुसार पूर्ण छमाही सेवा अवधि रू. ..... अथवा रू. १,००,००० इनमें जो भी कम हो—

१९. मृत्यु हो जाने की दशा में नियमावली के नियम-१७ के अन्तर्गत देय मृत्यु आनुतोषिक की धनराशि अर्थात् स्तम्भ-१७ में परिभाषित अन्तिम उपलब्धियों की धनराशि अथवा रू. १,००,००० इनमें जो भी कम हो—

२०. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा नियमावली के नियम-२१ के अन्तर्गत निम्नाङ्कित व्यक्तियों तथा उनसे प्रत्येक को देय आनुतोषिक का विवरण—

२१. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रवृत्ति राजकीय/प्रबन्धतन्त्र के बकायों का विवरण यदि कोई हो—

दिनाङ्क ..... प्रार्थी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से कर दिया गया है और ये सत्य हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उसके सामान्य भविष्यनिधि से स्वीकृत अग्रिमों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई वसूली शेष नहीं है। निम्नाङ्कित मदों के अन्तर्गत वसूली शेष है तथा प्रार्थी ने न तो विद्यालय से त्यागपत्र दिया है और न ही उसे कभी कदाचरण, दिवालियापन या कार्य अक्षमता के कारण पदमुक्त किया गया है या हटाया गया है।

वसूली का विवरण (यदि कोई हो) धनराशि.....

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य
(विद्यालय की मुहर)

मैं भी प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यों के उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए श्री/श्रीमती/कु.....के आनुतोषिक की पूरी राशि रू.....(शब्दों में).....के भुगतान की संस्तुति करता हूँ; क्योंकि इनके विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली शेष नहीं है. रू.....की वसूली शेष है, जिसे भुगतान की देय राशि में से काट लिया जाय।

हस्ताक्षर प्रबन्धक
मुहर

भाग–ब

(जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के प्रयोग हेतु)

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ-१६ अथवा १९ के आगणित सेवानिवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की धनराशि.....की जाँच मेरे द्वारा प्रार्थी के माह के वेतन-बिल से कर ली गयी है और श्री/श्रीमती/कु.....को अथवा इनके आश्रितों को रू.....की सेवानिवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर लेखाधिकारी हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक

दिनाङ्क ..... दिनाङ्क .....

मुहर मुहर

भाग–स

(मण्डलीय उप-शिक्षा-निदेशक के कार्यालय के लिये)

श्री/श्रीमती/कु.....को रू.....के सेवानिवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके प्रति राजकीय/प्रबन्धतन्त्र का कोई बकाया शेष नहीं है, रू.....का बकाया शेष है, जिसका समायोजन आनुतोषिक की कुल देय राशि अङ्कन रूपया.....से काटकर कर लिया गया है।

दिनाङ्क .....

आनुतोषिक स्वीकृत करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रपत्र-क

मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली के भरण हेतु विकल्प-पत्र
(नियमावली के नियम-१६ के अन्तर्गत)

मैं.....पुत्र श्री.....राजाज्ञा-संख्या—५१३/१५-१७-९०-५६ (२८)/८७, दिनाङ्क २२/२३ मार्च, १९९० में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता हूँ तथा राजाज्ञा-संख्या.....द्वारा लागू की गयी 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली' का वरण करने का भी विकल्प देता हूँ।

अथवा

२. मैं.....पुत्र श्री.....राजाज्ञा-संख्या—५१३क/१५-१६-९०-५६ (२८)/८७, दिनाङ्क २२/२३ मार्च, १९९० के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से ५८ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति न होने का विकल्प चुनता हूँ तथा राजाज्ञा-संख्या.....द्वारा लागू की गयी 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली' का वरण भी नहीं करता हूँ। बल्कि मैं वर्तमान लाभत्रयी योजना से ही पूर्ववत् शासित हूँ/रहूँगा।

साक्षी	हस्ताक्षर.....
हस्ताक्षर.....	दिनाङ्क.....
नाम.....	नाम.....
पद-नाम.....	पद-नाम.....
संस्था का नाम.....	संस्था का नाम.....
जनपद.....	जनपद.....

टिप्पणी—(१) जो विकल्प लागू न हो, उसको काट दिया जाय।

३. उक्त सन्दर्भित मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली की विज्ञप्ति की तिथि के अन्दर यह विकल्प चुनना है, परन्तु विज्ञप्ति की तिथि के उपरान्त नियुक्त अध्यापक अपनी स्थायीकरण की तिथि के छः माह के अन्दर यह विकल्प चुनेंगे।

संख्या विकल्प-पत्र की प्राप्ति

दिनाङ्क .....

श्री.....

पद-नाम.....विद्यालय का नाम.....

जनपद.....से ५८ वर्ष की आयु पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होंगे, अतएव मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति नियमावली चुनने अथवा न चुनने का विकल्प-पत्र आज दिनाङ्क.....को प्राप्त किया।

	हस्ताक्षर.....
प्रतिहस्ताक्षरित.....	पद-नाम.....
हस्ताक्षर.....	संस्था की मुहर.....

(जि.वि.नि./म.उ.शि.नि.)

मुहर

परिशिष्ट-'ज'

(परिनियम २१.०८ देखिए)

गैर अशासकीय सहायताप्राप्त संस्कृत पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के कार्यकारी सिद्धान्त

१. यह कार्यकारी सिद्धान्त 'उत्तर-प्रदेश राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निर्वाह निधि कार्यकारी सिद्धान्त' कहलायेंगे।

भाग-क

परिभाषायें

२. यह कार्यकारी सिद्धान्त ३० जून, १९८९ से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

३. परिवार से तात्पर्य है—

१. (क) पुरुष अभिदाता की दशा में अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और अभिदाता के बच्चे तथा अभिदाता के मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें तथा बच्चे। प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता सिद्ध करता है कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे अलग हो गई है, अथवा जातीय कस्टमरी कानून, जो उस पद पर लागू हो, के अन्तर्गत अनुरक्षण पाने की अधिकारिणी नहीं रह गयी है, तो वह इन कार्यकारी सिद्धान्तों के उद्देश्य के लिए अभिदाता के परिवार की सदस्या तब तक नहीं रहेगी, जब तक अभिदाता जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से सूचित नहीं करता है कि उसकी पत्नी उसके परिवार की सदस्या है।

(ख) महिला अभिदाता के सम्बन्ध में उसका पति, अभिदाता के बच्चे तथा मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें तथा बच्चे। प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता लिखित रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक से इच्छा प्रकट करती है कि उसके पति को परिवार से निकाल दिया जाय तो अभिदाता का पति परिवार का सदस्य इन कार्यकारी सिद्धान्तों के उद्देश्य के लिए तब तक नहीं रहेगा, जब तक अभिदाता इसे लिखित रूप से रद्द करने के लिए सूचना न दे दे।

टिप्पणी–(१) बच्चे का तात्पर्य वैध बच्चे से है।

(२) दत्तक बच्चा भी बच्चा समझा जायगा, यदि वह विधिक रूप से मान्य होगा।

२. 'स्थानीय निकाय' का तात्पर्य यथाविधि गठित तथा उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा मान्य किसी प्राधिकृत स्थानीय संस्था से है। इसमें नगर महापालिका, नगरपालिका, जिला परिषद्, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी तथा कैन्टूमेन्ट बोर्ड सम्मिलित हैं।

३. 'प्रबन्धक' का तात्पर्य गैर सरकारी रूप से प्रबन्धित संस्था की प्रबन्ध-समिति या ऐसे स्थानीय निकाय, किसी ऐसे अन्य निकाय से है, जिसमें किसी संस्था का प्रबन्ध करने के अधिकार निहित हों और इस रूप में शासन द्वारा मान्य हो अथवा उस व्यक्ति से है, जिसमें तत्समय प्रावधानानुसार प्रबन्धतन्त्र के अधिकार प्रतिनिहित हों।

४. 'कर्मचारी' का तात्पर्य पूर्णकालिक नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत पाठशाला का शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी हो तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से वेतन एवं भत्ते पाता हो।

५. 'निधि' का तात्पर्य एतदर्थ स्थापित सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से है।

६. 'संस्था' का तात्पर्य स्थानीय निकायों अथवा गैर सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलायी जाने वाली राज्य सहायताप्राप्त संस्कृत पाठशालाओं से है, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी प्रथम परिनियमावली १९७८ के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त हों तथा इसके अन्तर्गत सम्मिलित हों। साथ ही जो नियमित मासिक वेतन भुगतान १९८७ के अन्तर्गत भी आती हों।

७. 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर-प्रदेश सरकार से है।

८. 'विभाग' का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तर-प्रदेश से है।

९. 'जमा धनराशि' का तात्पर्य सदस्यों के मूल वेतन तथा शासन द्वारा आदेशित महँगाई-भत्ते आदि की धनराशि से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के अन्तर्गत कटी गई धनराशि तथा उस पर शासन के आदेश से देय एवं आगणित व्याज की धनराशि के है, जो उनके फण्ड (निधि) में जमा हो।

१०. 'अभिदाता' का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है, जिसके लिए भविष्य निर्वाह निधि में अभिदान करना अपेक्षित हो या जिसे ऐसा करने की अनुमति दी गयी हो और जो इस प्रकार उक्त निधि में अभिदान कर रहा हो।

११. 'वेतन' का तात्पर्य कर्मचारी के मासिक मूल वेतन से है।

भाग-ख

सामान्य उपबन्ध

४. ये कार्यकारी सिद्धान्त नियमित मासिक वेतन वितरण १९८७ की परिधि में कार्यरत केवल उन राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी अशासकीय प्रबन्धतन्त्र द्वारा सञ्चालित है तथा जिन्होंने राजाज्ञा-संख्या—५१३/१५-१७-९०-५६-(२८)/८७, दिनाङ्क २३ मार्च, १९९० एवं राजाज्ञा-संख्या—४७३१/१५-८-५६-(२८)/८७, दिनाङ्क २५ मार्च, १९९१ के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर नवीन पेशनयोजनान्तर्गत अपना विकल्प-पत्र दिया हो।

५. इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अंशदायी प्राविधायी निधि खाते (यदि कोई हो) में वह सब धनराशि, जो प्रबन्धकीय या राजकीय अंशदान के रूप में २३ जून, १९९१ तक जमा की गयी है या जमा होने योग्य है, संकलित ब्याज सहित राजकोष में शिक्षा के प्राप्ति, लेखा शीर्षक—'०२०२-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति—०१-सामान्य शिक्षा—६००—सामान्य—०१-विशेषशिक्षा—०१०२ अन्य प्राप्तियों में एवं इन कर्मचारियों के अंशदान की समस्त धनराशि उस पर संकलित ब्याज सहित राजकोष में निशेष लेखा शीर्षक—८३३८—स्थानीय निधियों की जमा—१०४ अन्य स्वायत्तशासी निकायों की जमा के अधीन नई इकाई—०६ सहायता-प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की भविष्य-निधि के लेन-देन' के अन्तर्गत जमा कर दी गयी हो।

६. इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त कर्मचारियों को राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में कोई भी धनराशि देय न होगी।

७. इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि योजनान्तर्गत सम्प्रति कम से कम मूल वेतन का १० प्रतिशत (दस प्रतिशत) की दर से कटौती प्रतिमाह करानी होगी। कर्मचारी पूर्व सूचना देकर अपनी इच्छानुसार इस धनराशि को बढ़ा भी सकता है।

८. इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त कर्मचारियों पर अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के स्थान पर ३०.६.८९ से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू समझी जायगी।

९. अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों के समान निर्धारित दर पर वार्षिक ब्याज देय होगा।

१०. (१) निधि के अभिदाता द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करते समय किसी व्यक्ति को नामित करने का प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा, जिसमें यह उल्लेख किया जायगा कि अभिदाता के खाते में जमा वह धनराशि, जिसके भुगतान किये जाने योग्य होने के पहले यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो, अथवा भुगतान किये जाने योग्य हो गयी थी, परन्तु भुगतान न की गयी हो, नामित व्यक्ति को प्राप्त होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामाङ्कन-पत्र दाखिल करते समय अभिदाता का परिवार है तो ऐसी दशा में परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नामाङ्कित नहीं किया जा सकता।

(२) यदि अभिदाता द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को नामाङ्कित किया जाता है, तो नामाङ्कन-पत्र में अभिदाता द्वारा प्रत्येक नामित व्यक्ति को मिलने वाले हिस्से का इस प्रकार उल्लेख करना होगा कि खाते में जमा पूरी धनराशि का बटवारा हो सके।

(३) प्रत्येक नामाङ्कन इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायगा।

(४) अभिदाता द्वारा उपरोक्त नियम २० (१) में उल्लिखित अधिकारी को सूचित करते हुये किसी भी समय नामाङ्कन निरस्त किया जा सकता है, बशर्ते पत्र के साथ नया नामाङ्कन-पत्र संलग्न किया गया हो।

(५) अभिदाता द्वारा नामाङ्कन-पत्र में नामित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में उसके स्थान पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जायगा।

(६) परिवार न रहने की दशा में भरा गया नामाङ्कन-पत्र परिवार हो जाने की दशा में स्वतः निरस्त हो जायगा और अभिदाता को पुनः नामाङ्कन-पत्र भरना होगा।

(७) प्रत्येक नामाङ्कन-पत्र या निरस्तीकरण की सूचना उसी तिथि से प्रभावी मानी जायगी, जिस तिथि को वह सम्बन्धित अधिकारी को प्राप्त होगी।

११. अभिदाता की जमा धनराशि पर अन्तिम भुगतान आदेश की तिथि के पूर्व माह तक का ब्याज आगणित किया जायगा। भविष्य-निधि खाते की धनराशि अन्तिम रूप से जमा होने पर ६ माह के अन्दर अन्तिम भुगतान का प्रार्थनापत्र देने पर ही पूरी अवधि का ब्याज देय होगा। ६ माह के बाद प्रार्थनापत्र देने पर अधिकतम एक वर्ष का ही ब्याज देय होगा।

१२. समस्त अस्थायी कर्मचारी, पुनर्नियोजित पेंशनरों को छोड़कर, जिन्होंने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा समस्त स्थायी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रतिबन्ध यह है कि वे कर्मचारी जिन्होंने

अंशदायी प्राविधायी निधि योजना से शासित होना वरण किया हो, पर सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू नहीं होगी।

१३. यदि किसी कर्मचारी ने अपना नामाङ्कन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अथवा नामाङ्कन-पत्र उसके खाते में उपलब्ध धनराशि के एक भाग के लिए दिया गया है, तो कुल धनराशि अथवा उस धनराशि के लिए, जिसके सम्बन्ध में नामाङ्कन-पत्र नहीं भरा गया है, वह धनराशि अभिदाता के परिवार के सदस्यों में बराबर भाग में बाँट दी जायगी।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई अंश निम्न को देय न होगा, जब तक कि परिवार के और सदस्य हों—

१. पुत्र जो विधिक रूप से बालिग हो।

२. मृतक पुत्र के पुत्र, जो विधिक रूप से बालिग हों।

३. विवाहित पुत्रियाँ, जिनके पति जीवित हों।

४. विवाहित पुत्र की पुत्रियाँ, जिनके पति जीवित हों।

प्रतिबन्ध यह है कि मृतक पुत्र की विधवा अथवा विधवायें तथा बच्चों को उतनी ही धनराशि देय होगी, जो उस पुत्र के जीवित रहने की दशा में उसके अंश की होती।

१४. सेवानिवृत्ति की तिथि के चार माह पूर्व से भविष्य निर्वाह निधि की न तो कोई कटौती की जायगी और न ही कोई अग्रिम स्वीकृत किया जायगा; परन्तु पूर्व में लिए गये अग्रिम का समायोजन अन्तिम भुगतान के समय कर लिया जायगा।

१५. अभिदाता के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि को निकालने की अनुमति सामान्यतया अभिदाता के नौकरी छोड़ देने अथवा सेवानिवृत्त होने अथवा अभिदाता की मृत्यु हो जाने की दशा में ही दी जायगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में अभिदाता की आर्थिक स्थिति और आवश्यकता को देखते हुए उसे आगे नियम-१६ एवं १७ के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी अग्रिम तथा नियम १९, २० एवं २१ के प्रावधानों के अनुसार विशेष अग्रिम और अन्तिम निष्कासन की अनुमति सेवाकाल में सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

१६. सदस्यों की निधि में जमा धनराशि से अग्रिम स्वीकृत करने वाले निम्नलिखित सक्षम अधिकारी होंगे—

(क) अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक/सह जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे।

(ख) विशेष अग्रिम/अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम) के अन्तिम भुगतान की स्वीकृति के अधिकारी सम्बन्धित मण्डलीय उप-शिक्षा-निदेशक होंगे।

१७. अभिदाता की भविष्य निर्वाह निधि से साधारण अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित दशाओं में उनके फण्ड में जमा धनराशि से की जा सकती है। यह धनराशि अभिदाता के तीन माह के वेतन अथवा उसके निधि में जमा धनराशि का आधा इनमें से जो भी कम हो सीमित रहेगी—

(क) अभिदाता अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के उपचार सम्बन्धी व्यय हेतु।

(ख) अभिदाता अथवा उसके परिवार के उस पर पूर्णतया आश्रित किसी सदस्य की अस्वस्थता अथवा उच्च-शिक्षा के सम्बन्ध में की गयी विदेश यात्रा के व्यय हेतु।

(ग) अपने अथवा उस पर पूर्णतया आश्रित सदस्य के विवाह, अन्त्येष्टि अथवा ऐसे उत्सव के सम्बन्ध में व्यय के वहन हेतु, जो अभिदाता को धार्मिक/सामाजिक रीति-रिवाज के कारण करना अनिवार्य है।

१८. साधारणतया अस्थायी अग्रिम धन की वसूली स्वीकृत-कर्ता अधिकारी के विवेकानुसार कम से कम बारह किश्तों में और अधिक से अधिक चौबीस किश्तों में की जायगी। कोई अभिदाता अपनी इच्छानुसार बारह से कम किश्तों में अथवा दो या अधिक किश्तों का भुगतान एक साथ कर सकता है।

१९. विशेष अग्रिम धनराशि निम्नलिखित विशेष स्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायगी—

(क) अग्रिम की धनराशि तीन माह का वेतन अथवा सदस्य के फण्ड में जमा धनराशि के आधे से अधिक होने पर।

(ख) पूर्व-स्वीकृत अग्रिम की वसूली न होने पर अथवा वसूली पूर्ण होने के बारह माह व्यतीत होने के पूर्व ही द्वितीय अग्रिम की माँग किये जाने पर।

२० विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किये गये अग्रिम की वसूली सम्बन्धित अधिकारी के विवेकानुसार अधिकतम छत्तीस किश्तों में की जा सकती है। किश्तों की धनराशि पूर्ण रूपयों में होगी।

२१. अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम) की स्वीकृति अभिदाता को उसकी २० वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अथवा आयु के अनुसार अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने

में केवल १० वर्ष रह गये हों, निम्नलिखित प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है—

(क) अभिदाता के पुत्र/पुत्री की शादी।

(ख) अभिदाता के पुत्र/पुत्री को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु।

(ग) अभिदाता द्वारा भूमि क्रय करने, भवन के निर्माण, क्रय एवं भवन में परिवर्तन या परिवर्धन हेतु।

(घ) अभिदाता पर आश्रित व्यक्ति की दीर्घकालीन चिकित्सा हेतु अन्तिम निष्कासन अभिदाता के खाते में जमा धनराशि में से अधिकतम तीन चौथाई [३/४ धनराशि] तक स्वीकृत किया जा सकता है।

२२. अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का अन्तिम तथा पूर्ण भुगतान उसके सेवानिवृत्त होने/सेवा से निकाल दिये जाने/त्यागपत्र देने/मृत्यु हो जाने पर देय होगा।

२३. सामान्यत: अन्य निर्धारित शर्तों के रहते हुये अन्तिम निष्कासन की धनराशि अभिदाता के छ: माह के वेतन अथवा उसके खाते में जमा अवशेष धनराशि को आधी, जो भी कम हो, से अधिक नहीं, किन्तु विशेष परिस्थितियों में निधि में जमा अवशेष के तीन चौथाई के बराबर तक स्वीकार किया जा सकता है।

२४. भवन निर्माण हेतु निष्कासन के सम्बन्ध में यह भी प्रतिबन्ध हो कि अभिदाता द्वारा इस प्रयोजन हेतु सभी स्रोतों से ली गयी धनराशि [निम्न अथवा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना या अन्य स्रोतो से प्राप्त] गृह निर्माण की धनराशि सहित कुल मिलाकर ७५,०००/- रूपया अथवा अभिदाता के पाँच वर्ष के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

२५. एक से अधिक अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करते समय पिछले अग्रिम की वसूली की अवशिष्ट धनराशि को अनुवर्ती अग्रिम के साथ समेकित (कन्सालीडेटेड) करके वसूली की किश्तें निश्चित की जायेंगी।

२६. भविष्य-निधि नियमों के अन्तर्गत अग्रिमों पर कोई ब्याज अभिदाता से नहीं लिया जायगा।

२७. भविष्य-निधि से अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विवरण में दिया गया विवरण किसी भी स्तर पर गलत/भ्रामक पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे तथा वे विधिक कार्यवाही के भागी होंगे।

२८. स्वीकृत की गयी अग्रिम की धनराशि की पूर्ण वसूली निर्धारित समय तथा किश्तों में नियमित रूप से करने हेतु सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। वसूली की किसी भी किश्त का स्थगन अभिदाता की निलम्बन अवधि, वेतनरहित अवकाश अवधि या अर्धवेतन अवकाश अवधि को छोड़कर किसी दशा में नहीं किया जायगा।

२९. सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा वेतन बिल पर इस आशय का प्रमाण-पत्र उल्लिखित किया जायगा कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम दिये गये धनराशि की किश्तों की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से कर ली गयी है।

३०. अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम) स्वीकृत करने के पूर्व सक्षम अधिकारी को अपने विवेकानुसार अभिदाता से इस बात का पुष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सन्तुष्ट हो लेना अपेक्षित है कि जिस उद्देश्य के लिए निधि से अग्रिम की माँग की गयी है, वह औचित्यपूर्ण है।

३१. अभिदाता के भविष्य निर्वाह निधि लेखों का रख-रखाव सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, अथवा शिक्षा-निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायगा तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अभिदाता को उसके लेखे में जमा धनराशि की लेखा पर्ची निर्गत की जायगी। मण्डलीय उप-शिक्षा-निदेशक को यह अधिकार प्राप्त होगा कि समय-समय पर वे भविष्य निर्वाह निधि लेखों की विधिवत् जाँच करेंगे। लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/मण्डलीय आडिट इकाई सम्पूर्ण वर्ष में जमा की गई धनराशि की विधिवत् जाँच करके प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

३२. जमा धनराशि पर ब्याज की धनराशि की माँग प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा मण्डलीय उप-शिक्षा-निदेशक के माध्यम से शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

३३. इन कार्यकारी सिद्धान्तों में जो बिन्दु परिभाषित नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों पर लागू जी.पी.एफ. मैनुवल के नियम लागू होंगे।